खण्ड-430, अंक-4
शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1920
(19 मार्च, 1999 ई0)

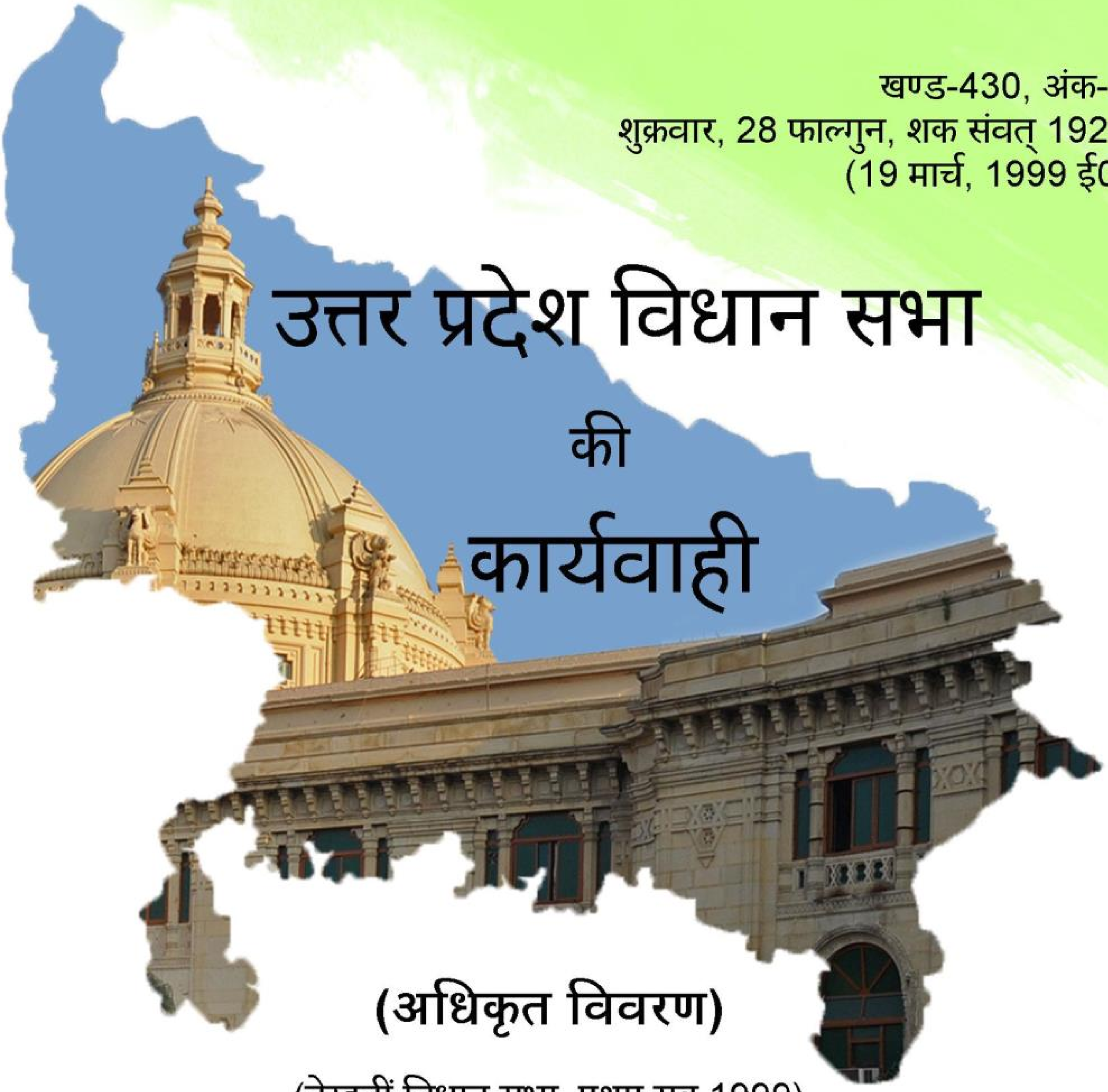

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 430 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
अरबी मदरसों से सम्बन्धित प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास (जारी) ..	1–2
प्रश्नोत्तर	2-100
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	101
बलिया के थानाध्यक्ष भीमपुरा (तत्कालीन) के दुर्व्यवहार एवं कथित भ्रष्टाचार आदि की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	101-102
जनपद बलरामपुर के गैसड़ी एवं तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत सुचारु रूप से पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद उन्नाव के ग्राम मवई बभनान में जुलाई, 97 में किये गये 83 पट्टेदारों में से अधिसंख्य को कब्जा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
श्री गांधी इण्टर कालेज, गढ़गवां, जनपद जालौन में आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के समस्त जूनियर विद्यालयों के अध्यापकों का अगस्त, 98 से वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित भूमि का प्रतिकर शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
जनपद फैजाबाद के मड़हा नदी पर उसरू अमोना के पास टकसरा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
अरबी और फारसी मदरसों से सम्बन्धित प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास ..... (जारी)	104-105
प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न कर समय नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	105-106
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	106
उत्तर प्रदेश वन विभाग का वार्षिक विवरण वर्ष 1979-80 से 1992-93, सदन के पटल पर विलम्ब से रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	107-108
विधान सभा के दिनांक 18 मार्च, 1999 के उपवेशन में अनुदान संख्या–37 पर सरकार द्वारा विपक्ष को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	108-109
प्रक्रिया नियमावली के नियम–32 के साथ पठित प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–40 (1) एवं (2) में स्पष्ट प्राविधानों के बावजूद प्रश्नोत्तर की निर्धारित अवधि में सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	109-110
दिनांक 9 मार्च, 1999 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वीकृत वक्तव्य पूरा न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110-111

विषय	पृष्ठ-संख्या
वर्ष 1999 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–83 का उत्तर सत्य से परे दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	111
स्पष्ट शासनादेश के बावजूद प्रदेश में अप्रेन्टिस कर चुके 30 हजार डिप्लोमा धारकों के बेरोजगार होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112-113
मृतक आश्रित के रूप में एक के स्थान पर तीन मृतक आश्रितों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में औचिय का प्रश्न	113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का चतुर्थ प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का पंचम प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	114
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का षष्टम् प्रतिवेदन ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	114
जनपद मथुरा में लोअर कैनाल आगरा के अधिशासी अभियन्ता का कैम्प कार्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में चौ० भद्रपाल सिंह तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)... ...	114
जनपद मथुरा के ब्लाक फरह से ग्राम परखम ओल जाजन पट्टी के चौराहे तक के मार्ग को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार निवासीगण आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	114
जनपद मथुरा में "बृज उत्सव" हेतु शासन से निधि की स्थापना किये जाने एवं उक्त कार्यक्रम को आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र कुमार पोइया तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया) ...	114
जनपद रायबरेली क्षेत्र बछरावां, के ग्राम बेड़ारू से चौराहा भवानीगढ़ के मध्य सम्पर्क मार्ग डामरयुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार वर्मा तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)... ...	114
जनपद कानपुर नगर, तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चौ० संजीत कुमार तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115
जनपद कानपुर नगर की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में पेयजल की व्यवस्था हेतु ग्रामीण पेयजल योजना चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115
जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
संत रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां मौहरिया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम श्रृंगार पाण्डेय तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115
जनपद सीतापुर के कस्बा तम्बौर के दक्षिण में बहा नाले पर पुल (काजवे) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहीर मिर्जा निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115
जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के सात्थेन घाट पर पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जागेश्वर तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित किया)	115
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	116-117
उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों में सदस्यता के लिये सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	117-118
उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 ..... (पुरःस्थापित)	118
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना	118
प्रदेश के सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति वेतनमान एवं सुख सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	119-129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें.....	129-132
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग ..... (स्वीकृत) ...	132-133
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय ..... (स्वीकृत) ...	133
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय ..... (स्वीकृत) ...	133
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	133-134
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	134
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	134-135
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	135
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	135
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	135-136
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	136
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	136
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–82 सर्तकता विभाग (स्वीकृत)	136-137
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	137
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	137
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	137-138
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	138
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 ..... (पारित)	138-140
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	140-141
प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	141-142
संत रविदास नगर (भदोही) के छः/सात वर्ष पूर्व कराये गये बैनामें में स्टाम्प शुल्क की कमी दिखाकर अधिकारियों द्वारा किसानों/व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	142-143
जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित माननीय सदस्य की आवश्यक परियोजना को स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मो० मुकीम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में पात्र व्यक्तियों को प्रदत्त पट्टों की अमल दरामद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददू प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	143-144
जनपद मथुरा में डी०आर०डी०ए० द्वारा सड़कों/लिंक मार्गों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जांच आख्या को गायब किये जाने विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	144-145
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवा के उच्चीकरण एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	145-146
माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों के 8 से 10 किमी० दूरी पर निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	146-149
जनपद बिजनौर के अन्तर्गत स्योहारा गन्ना मिल द्वारा प्रदूषित जल को गांगन नदी में प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	149-150
कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	150-151
वाराणसी में गंगाजल का रंग काला एवं बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	151-154
प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति पांच गांव विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मुहल्लों में विद्युतीकरण की अनुशंसा के अधिकार के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन	154
प्रदेश में ग्रामीण अंचल में पानी की निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	154-155
प्रदेश में संचालित आई०सी०एस०ई० तथा सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में जारी किये गये शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में डा० रामबाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	155-157

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अल्मोड़ा में "जालली" विकास खण्ड की घोषणानुसार अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	157
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा नगर पालिका/परिषद् अधिनियम में संशोधन कर गृह कर प्रणाली को बदलने के सम्बन्ध में योजना बनाये जाने विषयक श्री केशो मेहरा आदि की नियम–49 के अन्तर्गत तथा सरकारी नलकूपों के रख-रखाव अथवा संचालन हेतु वर्तमान व्यवस्था नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक, कुंवर रेवती रमण सिंह आदि की नियम–49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का स्थगन	157–158
नत्थियां	159–170

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार दिनांक 19 मार्च, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
5–अमर मणि, श्री — महराजगंज
6–अमीर आलम खान, श्री — मुजफ्फरनगर
7–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
8–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
9–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
10–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
11–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
12–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
13–ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
14–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
15–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री — सहारनपुर
16–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
17–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
18–केशो मेहरा, श्री — आगरा
19–के०सी० सिंह "बाबा", श्री — उधमसिंह नगर
20–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
21–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
22–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
23–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
24–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
25–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
26–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
27–जितेन्द्र कुमार जायसवाल, उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
28–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
29–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
30–देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर — एटा
31–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
32–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
33–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
34–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
35–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
36–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
37–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
38–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
39–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
40–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
41–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
42–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
43–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
44–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
45–बाबू राम, श्री — जालौन
46–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
47–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
48–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
49–मंजू, श्रीमती — बलिया
50–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
51–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
52–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
53–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
54–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
55–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
56–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
57–रघुराज प्रताप सिंह, "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
58–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
59–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी

60–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
61–राजधारी, श्री — बलिया
62–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
63–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
64–राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
65–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
66–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
67–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
68–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
69–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
70–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
71–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
72–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
73–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
74–बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
75–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
76–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
77–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
78–विनय कुमार पाण्डेय, ''बिन्नू'', श्री — गोण्डा
79–विशम्भर सिंह, श्री — मथुरा
80–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
81–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
82–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
83–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
84–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
85–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
86–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
87–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
88–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री — वाराणसी

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

अरबी मदरसों से सम्बन्धित प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास (जारी)

(समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के अपने-अपने आसन पर खड़े होने एवं जोर-जोर से बोलने पर)

(घोर व्यवधान)

मद संख्या–1 नत्थी (क), (डा० सरजीत सिंह डंग एवं सिंचाई मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें। यह नई परम्परा मत डालें।

(श्री राम ललित चौधरी एवं श्री राम तेज यादव एडवोकेट अपने-अपने आसन से पोस्टर हाथ में लिए खड़े थे)

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जायेगा।

जो कुछ बात कहनी है उचित समय पर और उचित नियम के अन्तर्गत कहिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

सब कुछ सुना जायेगा लेकिन उचित समय पर और नियम के अन्तर्गत।

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के वेल में आ गए)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के रिपोर्टर्स टेबुल पर पर्चा रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्टर्स पर्चा वापस करिए।

(कई सदस्यों द्वारा सदन के वेल में खड़े होकर पर्चे रिपोर्टर्स टेबुल की तरफ दिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्टर्स पर्चे वापस करिये।

(सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। केवल काल्पनिक बातों के आधार पर विधान सभा की कार्यवाही बाधित की जा रही है।

(कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अविरल पत्रकार विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

सबसे ज्यादा असुरक्षा इस देश के राजनीतिज्ञ कर रहे हैं । काल्पनिक बातों के आधार पर यहां सवाल उठाये जाते हैं । आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

मैं 12.20 तक सदन को स्थगित करता हूं ।

*(इस समय 11 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की सभी बड़ी नहरों को आपस में जोड़कर वाटर ग्रिड बनाने की योजना

**1– डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की सभी बड़ी नहरों को आपस में जोड़कर वाटर ग्रिड बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एड्स रोग की रोक थाम हेतु कार्यक्रम बनाने की जानकारी

**2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एड्स रोग की रोकथाम के लिये आन्दोलन चलाये जाने हेतु माननीय प्रधान मंत्री का कोई पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो राज्य में एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार नें क्या कार्यक्रम बनाया है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी हां ।

प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1992-93 से चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में वर्ष 1994 में राज्य एड्स नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है । प्रदेश में एच०आई०बी०/एड्स सर्वेक्षण कार्य के लिए 05 सर्वेलेंस केन्द्र स्थापित एवं कार्यरत हैं । हाई रिस्क रोगियों तथा लो रिस्क गर्भवती माताओं हेतु 10 सेन्टीनल सर्वेलेंस केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

वर्तमान में रक्त सुरक्षा हेतु 13 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र कार्यरत हैं और समस्त जिला स्तरीय रक्त कोषों से भी एच०आई०बी० परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है । उक्त के अतिरिक्त 06 ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेंशन सेन्टर स्थापित है । रक्त कोषों को रक्त देने से पूर्व एच०आई०वी०, मलेरिया, सिफलिस तथा हेपेटाइटिस–बी की जांच की अनिवार्यता है ।

एड्स कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक 1,05,933 हाई रिस्क व्यक्तियों का परीक्षण कर कुल 1237 एच०आई०बी० धनात्मक व कुल 185 एड्स रोगी चिन्हित किये गये हैं ।

इस कार्यक्रम हेतु जिला चिकित्सालयों में 40 एस०टी०डी० क्लीनिक स्थापित है । इन एस०टी०डी० क्लीनिक पर तैनात चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है । अब तक 5600 चिकित्सा अधिकारियों, 65 पैथालाजिस्ट, 156 फिजीशियन/बाल रोग विशेषज्ञ तथा 60 लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षित किये गये हैं । एड्स की रोकथाम हेतु सूचना, शिक्षा एवं प्रसारण कार्यक्रम यथा दूरदर्शन, रेडियो, गोष्ठी, सेमिनार,

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

होर्डिंग, परिवहन निगम के बसों पर प्रचार, पठनीय सामग्री वितरित करायी गयी है । एड्स कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर उनका सहयोग लिया जाता है । वर्तमान में लखनऊ में दूरभाष नम्बर 1097 द्वारा टेलीफोन काउन्सिलिंग द्वारा एड्स/एच०आई०बी० की जानकारी दी जा रही है ।

द्वितीय चरण (1999-2004) में एड्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य एड्स सोसायटी का गठन किया गया है और कार्यक्रम की द्वितीय चरण की परियोजना की रूपरेखा भारत सरकार के निर्देशानुसार तैयार की जा रही है जिसमें लक्षित उच्च जोखिम समूहों के मध्य एड्स नियंत्रण सम्बन्धी कार्य की योजना है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर निगमों, नगर/जिला पंचायतों को अधिक वित्तीय प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की नीति की जानकारी

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निगमों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य के कुल कर राजस्व की शुद्ध आय जिसमें वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि निहित है, का 3.12% नगर निगमों, 3.12% नगरपालिका परिषदों एवं 0.76% नगर पंचायतों को इस प्रकार कुल 7% धनराशि संक्रमित की जा रही है ।

प्रशासनिक अधिकारों में विभिन्न प्रकार के शुल्कों व चार्जेज की दरों में संशोधन/वृद्धि हेतु उप विधि के अनुमोदन के अधिकार जो पूर्व में राज्य सरकार में निहित थे, वे अब नगरीय निकायों को सौंप दिये गये हैं ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य के कुल कर राजस्व की शुद्ध आय जिसमें वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि निहित है, का 4% अंश ग्रामीण निकायों को संक्रमित किया जा रहा है। उक्त का 1/5 भाग जिला पंचायतों तथा 4/5 भाग ग्राम पंचायतों को संक्रमित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में खारे पानी की समस्या के निदान हेतु महायोजना तैयार करने की जानकारी

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खारे पानी की समस्या से निपटने के लिये मीठे पानी की उपलब्धता हेतु कोई महायोजना तैयार करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है तथा भू-वैज्ञानिकों ने क्या रिपोर्ट दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

खारे पानी की समस्या प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार प्रदेश के 4426 ग्रामों में है । इस संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

लागू नहीं ।

प्रदेश में ग्रामीण जनता के शहरी पलायन को रोकने की योजना

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण जनता के शहरों की ओर पलायन रोकने की दिशा में सरकार ने कोई प्रभावी योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

श्रम विभाग के अन्तर्गत जिला सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन एवं नियोजकों द्वारा नाम मंगाये जाने पर उनका सम्प्रेषण किया जाता है ।

अपितु प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998-99 में रोजगार संकल्प (छतरी योजना) के नाम से एक कार्य योजना दिनांक 12 अक्टूबर, 1998 से आरम्भ की गई है जिसके क्रियान्वयन से रोजगार अवसरों की उपलब्धता के द्वारा ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रुकने की पूर्ण संभावनायें है ।

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं में 10 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास विभाग, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, दुग्ध विकास, विकलांग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है । इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गाजियाबाद विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम में एच०वी० 1/2 उपभोक्ताओं के परिसर में रखे ट्रान्सफार्मर एवं मीटर रूम की दूरी हेतु प्राप्त शिकायत की जानकारी

*1–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम, गाजियाबाद में ऐसे कितने एच०वी०–1 एवं एच०वी०–2 उपभोक्ता हैं जिनके परिसर में ट्रान्सफार्मर रखा गया है ? क्या मंत्री जी उन उपभोक्ताओं के नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ट्रान्सफार्मर से मीटर रूम की निर्धारित दूरी पर ही इन उपभोक्ताओं के मीटर रूम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 20-1-99 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम गाजियाबाद के अन्तर्गत एच०वी०–1 एवं एच०वी०–2 के कुल 12 (बारह) उपभोक्ता हैं जिनके परिसर में ट्रान्सफार्मर रखा गया है ।

उपरोक्त 12 उपभोक्ताओं के नाम निम्नवत् है :–

1–मे० सहाय केबिल, 4–2 बुलन्द शहर रोड, गाजियाबाद	92 के०वी०ए०
2–मे० किसान स्टील, बुलन्द शहर रोड, गाजियाबाद	89 ,,
3–मे० केपीटल पेपर मिल, बुलन्द शहर रोड, गाजियाबाद	375 ,,
4–मे० सीडी इन्डस्ट्रीज, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	89 ,,
5–मे० इन्द्रा स्टील, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	250 ,,
6–मे० ज्योति रबड़, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	150 ,,
7–मे० सीसेल सिरेमिक्स, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	130 ,,
8–मे० एलीजेन्ट पोटरी, छपरोला, गाजियाबाद	132 ,,
9–मे० रेडिएन्ट वायर, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	200 ,,
10–मे० बायोमेड इन्डस्ट्रीज, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	133 ,,
11–मे० बाबा विश्वकर्मा, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	140 ,,
12–मे० एलाय स्टील फोरजिंग, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	60 ,,

प्रश्न नहीं उठता ।

इन उपभोक्ताओं के मीटर रूम एवं ट्रान्सफार्मर के मध्य दूरी का कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता की जानकारी

*1–कुंवर रेवनी रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता 6158.75 मेगावाट है ।

जनपद भदोही, ज्ञानपुर में इनार ग्राम समूह पेयजल योजना द्वारा ग्राम गजाधरपुर में बिना पानी सप्लाई के जल शुल्क की वसूली

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समूह इनार गांव से ग्राम सभा ओझापुर, बैरवां पहाड़पुर, गजाधरपुर ग्रामों में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त पेयजल समूह से पानी की सप्लाई दर्शायी जा रही है तथा पानी का पैसा भी वसूल किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में इनार (न कि इन्दार) ग्राम समूह पेयजल योजना से ग्राम सभा ओझापुर में पानी की सप्लाई आंशिक है । ग्राम सभा बैरवां पहाड़पुर में पानी की सप्लाई हो रही है तथा ग्राम गजाधरपुर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ।

जी हां । उपरोक्तानुसार पेयजल समूह से पानी की आपूर्ति दर्शाई जा रही है तथा निजी संयोजन धारकों से नियमानुसार जलशुल्क लिया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी महानगरों में गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत गंदा पानी प्रवाहित होने से रोकने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही

*4–श्री राजधारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गंगा ऐक्शन प्लान के तहत गंगा नदी के वृहद सफाई के निर्धारित कार्यक्रम से गंगा जल प्रदूषण कम हुआ है ? यदि हां, तो कानपुर आदि बड़े महानगरों के गन्दे पानी को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोकने की दिशा में क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री लालजी टण्डन–

जी, हां ।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगरों यथा हरिद्वार, ऋषिकेश, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी में 106 परियोजनायें 185 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की गई हैं । इसमें 56 योजनायें जल निगम की तथा 50 योजनायें अन्य विभागों/संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की गयी है । उ० प्र० जल निगम द्वारा क्रियान्वित 56 परियोजनाओं से गंगा नदी में गिरने वाले 372 एम०एल०डी० जलमल को शोधित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यावरण रक्षा हेतु पालिथीन के बढ़ते प्रयोग को पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*5–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालिथीन के बढ़ते हुये प्रयोग से पर्यावरण की रक्षा हेतु इसके प्रयोग को प्रतिबन्धित करने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत की आवश्यकता, उत्पादन तथा कमी को दूर करने की योजना

*6–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत की प्रदेश में कितनी आवश्यकता है और कितना उत्पादन है ? विद्युत की इस कमी को दूर करने के लिये क्या

सरकार ने कोई सार्थक योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? उक्त योजना कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश में विद्युत की कुल आवश्यकता लगभग 5000 मेगावाट है । पीक समय की मांग 5700–5800 मेगावाट हो जाती है । कुल उत्पादन लगभग 3000 मेगावाट है । कुल खपत में घरेलू एवं औद्योगिक खपत का प्रतिशत क्रमशः 26.8 एवं 22.3 है ।

वर्तमान में लगभग 800–1000 मेगावाट की विद्युत की कमी रहती है । प्रदेश में विद्युत की इस कमी को दूर करने के लिये निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :–

(1) प्रदेश की बन्द पड़ी तापीय इकाइयों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण करके अधिक उत्पादन प्राप्त करना ।

(2) केन्द्रीय विद्युत घरों से अतिरिक्त विद्युत आयात किया जाना ।

(3) निजी क्षेत्र सहित नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।

सभी प्रस्तावित कार्यों पर कार्यवाही की जा रही है। संसाधनों की उपलब्धता पर ही कार्य पूर्ण किया जाना संभव होगा । अतः कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना समीचीन नहीं होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बन्द पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने के उपाय

*7–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी जल विद्युत परियोजनायें हैं ? उनमें कितनी योजनायें ठप्प पड़ी हैं ? क्या सरकार ठप्प पड़ी या कम उत्पादन कर रही जल विद्युत परियोजनाओं को सुधारने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश में कुल 52 जल विद्युत परियोजनायें हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पास 22 तथा उ०प्र० जल विद्युत निगम के पास 30 विद्युत परियोजनायें हैं । इसके अतिरिक्त उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के पास निर्माणाधीन 4 जल विद्युत परियोजनायें हैं ।

प्रदेश की 20 जल विद्युत परियोजनायें वर्तमान में ठप्प पड़ी हैं ।

जी हां ।

लखवाड़ व्यासी तथा मलेरी भाली द्वितीय चरण का कार्य पूरा करने के लिये वित्तीय संसाधन जुटाये जाने का प्रयास किया जा रहा है । कम उत्पादन देने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण कराकर उत्पादन वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । 20 ठप्प पड़ी परियोजनाओं का तकनीकी निरीक्षण कराया जा रहा है । निरीक्षण के परिणाम के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाओं को चालू करने की कार्यवाही की जायेगी । 2 परियोजनायें–श्रीनगर एवं विष्णु प्रयाग का कार्य निजी क्षेत्र में कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवसृजित जनपद चम्पावत का पूर्णागिरी मेला, वैष्णव देवी की भांति विकसित करने की मांग

*8–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत का पूर्णागिरी मेला, वैष्णव देवी की भांति विकसित किया जायेगा ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्णागिरी मेला एवं वैष्णो देवी की यात्रा में काफी अन्तर है । पूर्णागिरी का मेला एक मास तक चलता है और इसे मेले के रूप में लिया जाता है जबकि वैष्णोदेवी की यात्रा मेले के रूप में न होकर यात्रा के रूप में वर्ष भर होती है । उक्त यात्रा से संबंधित व्यवस्थायें एक अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित रहती है और उसकी सम्पूर्ण व्यवस्थायें जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा की जाती है ।

प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार तथा जनवरी 1995 से दिसम्बर 1998 तक लखनऊ में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु उठाये गए कदम

*9–श्री हरदेव सिंह, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने एवं जनता को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? वर्तमान समय में शहरी/ग्रामों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? लखनऊ में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ठीक रखने हेतु जनवरी, 1995 से दिसम्बर, 1998 तक क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रदेश की जनता को 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे है :–

1–प्रदेश की बन्द पड़ी तापीय एवं जलीय इकाइयों का नवीनीकरण करके उत्पादन योग्य बनाना ।

2–केन्द्रीय विद्युत घरों से अतिरिक्त विद्युत आयात करना ।

3–निजी क्षेत्र सहित नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।

शहरी क्षेत्रों में 24 घन्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति प्राविधानित है ।

लखनऊ में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को ठीक रखने हेतु सतत् रूप से कार्य किये जाते हैं । जनवरी 1995 से दिसम्बर 1998 तक की अवधि में किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

(अ) नये 33 के०वी० सब स्टेशनों का निर्माण

(कुल 9 नग) कुल क्षमता 42 एमबीए

1×3 एम०बी०ए० क्षमता – 3 नग

1×5 एम०बी०ए० क्षमता – 5 नग

1×8 एम०बी०ए० क्षमता – 1 नग

(ब) 33 के०वी० सब स्टेशनों पर क्षमता में वृद्धि

कुल 99 एम०बी०ए०, 28 सब स्टेशनों पर

(स) नये 11 के०वी० सब स्टेशनों का निर्माण

1–1000 के०वी०ए० – 5 नग

2–750 के०वी०ए० – 3 नग

3–630 के०वी०ए० – 3 नग

4–400 के०वी०ए० – 98 नग

5–250 के०वी०ए० – 76 नग

6-25 के०वी०ए० से 160 के०वी०ए० क्षमता के बीच – 215 नग

7–अन्य क्षमता बृद्धि– 75 नग

(द) 132 के०वी० नीबू बाग पार्क उपकेन्द्र का निर्माण (31-3-97 को ऊर्जीकृत) क्षमता 40 एम०बी०ए०

*10–श्री लाल जी वर्मा तथा श्री राम औतार शाक्य–

[7वें बुधवार में ता०प्र०सं०–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11–श्री राम ललित चौधरी–

[दिनांक 3-7-98 को, नत्थी 'ख', ता०प्र०सं०–1 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में नजूल की भूमि का पट्टा जारी करने की नीति एवं कमजोर वर्ग को निशुल्क भूमि देने की योजना की जानकारी

*12–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल भूमि का नया पट्टा जारी करने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? क्या कमजोर वर्ग को निःशुल्क भूमि आवास हेतु देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

केवल निम्न सार्वजनिक संस्थाओं को जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन या कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट या किसी संविधि के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तत्समय तद्नुसार आयकर से मुक्त की गयी हों को उनके द्वारा की जा रही सामाजिक सेवा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु अलग-अलग रियायती दरों पर विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत पट्टा स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है :–

(क) महिला संरक्षण गृहों, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों, मूक-बधिर, अन्धे लोगों, भिखारियों, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, निःसहाय वृद्ध एवं अपाहिज व्यक्तियों के उत्थान व अनाथालय हेतु सेवारत संस्थायें शैक्षिक क्षेत्र में मूक-बधिर, मन्द मस्तिष्क के व्यक्तियों, तिरस्कृत महिलाओं को सेवा में अथवा प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत एवं कुष्ठ रोगियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये चिकित्सालयों का संचालन कर रही संस्थाओं को बिना किसी प्रीमियम के केवल सामान्य वार्षिक किरायों की दरों का 10 प्रतिशत लेकर ।

(ख) शैक्षिक, चिकित्सा अथवा अन्य श्रेणी में महत्वपूर्ण कार्य कर रही संस्थाओं से बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से प्रीमियम व सामान्य वार्षिक किराये की दरों का 25 प्रतिशत लेकर जो उपरोक्त बिन्दु–क के अन्तर्गत नहीं आती है ।

(ग) अन्य सामाजिक सांस्कृतिक संस्थायें जो उपरोक्त बिन्दु–क के अन्तर्गत नहीं आती है व समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सहकारी गृह निर्माण समितियों जिनके सदस्यों की मासिक आय

रुपया 350 से अधिक न हो से बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से प्रीमियम व सामान्य वार्षिक किरायों की दरों का 50 प्रतिशत लेकर नजूल का पट्टा दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में भी नया पट्टा दिया जाता रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नजूल नीति में निःशुल्क भूमि केवल राज्य सरकार के सरकारी विभागों को ही दिये जाने का प्राविधान है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण कराने की मांग

*13–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता इस समय कार्यरत हैं? क्या इसमें अनु० जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संवर्ग में अ०जा०/अ०ज०जा० का आरक्षण कोटा पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वर्तमान में 1080 अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सका है।

जी हां।

समय-समय पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अधिशासी अभियन्ता के आरक्षित पदों के विरुद्ध प्रोन्नत का प्रकरण विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करके आरक्षित पदों को भरा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में आरक्षण कोटे के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाकर वर्ष 1990 में नियुक्त, अर्ह सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति करने की मांग

*14–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत परिषद् में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता पद की 192 अवशेष रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो क्या इनको शासनादेश संख्या 22/43/1982–कार्मिक–2, दिनांक 30-1-89, 4-10-89, 22-8-91 एवं 4-9-96 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान चलाकर वर्ष 1990 में नियुक्त किये गये अर्ह सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति करके अवशेष रिक्तियों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं। अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (ई०एण्ड एम०) से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत पिछले चयन के आधार पर विभिन्न चयनों में अग्रेनीत किये गये पदों की संख्या 148 है।

प्रश्नगत अभ्यर्थी उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता पद पर 07 वर्ष की नियमित सेवा मार्च 1999 में पूरी करने

के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु विचारित किये जाने हेतु अर्हता पूर्ण करेंगे । अतः इन सहायक अभियन्ताओं को आगामी चयन वर्ष यथा जुलाई 1999 से जून 2000 के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु सन्दर्भित शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार विचारित किया जायेगा ।

*15–डा० सरजीत सिंह डंग–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अतिक्रमण अभियान के दौरान उजाड़े गये दुकानदारों को पुनः बसाने की योजना

*16–श्री कृपा शंकर सिंह

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिक्रमण अभियान के दौरान उजाड़े गये दुकानदारों को पुनः बसाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अतिक्रमण अभियान के दौरान उजाड़े गये दुकानदारों को यथासंभव समीप में कोई स्थल उपलब्ध होने की दशा में भू-खण्ड/छोटी-छोटी दुकानें बनवाकर आसान किश्तों में उपलब्ध कराई जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्यों की राय से इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की नीति की जानकारी

*17–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्यों की राय से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की शासन की नीति क्या है ? क्या इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० विधान सभा सदस्यों को उनके लिए निर्धारित कोटा के अन्तर्गत प्राप्त हैण्डपम्प्स ही उनकी राय से लगाने की व्यवस्था की गई हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा/परिषद् सदस्यों को लखनऊ मध्य में भूखण्ड दिलाने की मांग

*18–श्री श्याम प्रकाश–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा एवं विधान परिषद् सदस्यों को आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध करने की घोषणा के अन्तर्गत ऐसे आवास अथवा भूखण्डों को प्रस्तावित किया गया है जो या तो शहर के दूर-दराज क्षेत्रों में हैं अथवा जिनकी बिक्री नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ के मध्य में सदस्यों हेतु कोई अलग से आवासीय योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई से सितम्बर, 1998 तक गोमती नगर के विशेष, विभव, विजयन्त तथा विक्रान्त खण्डों में उपलब्ध भूखण्डों के आवंटन हेतु पंजीकरण आमंत्रित किये गये थे । यह

सभी खण्ड न ही दूरदराज क्षेत्र में हैं और न ही अलोक प्रिय है, बल्कि इनकी लोकप्रियता इससे ही स्पष्ट होती है कि 605 भूखण्डों के सापेक्ष 1919 पंजीकरण हुए थे ।

वर्णित क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

अतिक्रमण हटाओ अभियान की नीति एवं जनपद आगरा में रोकने के उपाय की जानकारी

*19–डा० राम बाबू हरित–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के संबंध में सरकार की क्या नीति हैं ? क्या यह सही है कि जनपद आगरा में अवैध निर्माण होते समय आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अतिक्रमण रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों को संज्ञेय अपराध निर्धारित किया गया है तथा अतिक्रमण रोकने के लिये उतारदायी बनाये गये कर्मी द्वारा स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर उपेक्षा करना भी दंडनीय अपराध बनाया गया है । सड़क व नाली पर अतिक्रमण बिना नोटिस के भी हटाया जा सकता है ।

अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में समय-समय पर अभियान चलाने जाने के निर्देश भी शासन द्वारा दिये जाते है ।

जी नहीं । प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण की जानकारी प्राप्त होने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 तथा धारा–28 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के मामलों में कार्यवाही की जाती है । निर्माण रोके जाने के धारा–28 अन्तर्गत आदेशों के बावजूद निर्माण जारी रखते हुए अनाधिकृत निर्माण हो जाने पर उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 को संशोधित करते हुए सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा तथा अतिक्रमण संज्ञेय अपराध बना दिया गया है तथा आर्थिक दण्ड की व्यवस्था की गयी है । नगरों में सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु 15 नवम्बर से 14 दिसम्बर, 1998 तक विशेष अभियान चलाये जाने के लिए शासनादेश संख्या–3493/9–आ–3–289-का०प/1998 दिनांक 11 नवम्बर, 1998 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे । अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22-11-98 से 14-12-98 तक कुल रु० 132.08 लाख मूल्य की 4460 वर्गमीटर भूमि अतिक्रमण मुक्त करायी गयी । कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण/नगर पेयजल समूहों को स्वीकृत/व्यवस्था करने की शासन की नीति एवं जनपद प्रतापगढ़ में पेयजल समूहों की स्वीकृति की जानकारी

*20–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण पेयजल समूहों/नगर पेयजल समूहों को स्वीकृत करने, व्यवस्था करने संबंधी शासन की नीति क्या है ? क्या उक्त नीति के क्रम में प्रतापगढ़ की विधान सभा पट्टी में भी कुछ पेयजल समूहों की स्वीकृति प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्रामीण पेयजल समूहों/नगर पेयजल समूहों को स्वीकृत करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था उन स्थानों पर की जाती है जहां हैण्डपम्प सफल नहीं हैं या भूमिगत जल रासायनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

नगर क्षेत्र में पाइप पेयजल योजनाएं नगरवार पानी की आवश्यकता तथा उपलब्धता को देखते हुए बनायी जाती है ।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त भूमिगत जल की गुणवत्ता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 16–3–99 को अता०प्र०सं० 180 द्वारा उत्तरित]

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु विधायकों से मांगी गयी सूची के अनुसार ग्रामों मे विद्युतीकरण की व्यवस्था

2–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच ग्रामों का विद्युतीकरण के लिए सूची विधायकों द्वारा मांगी गयी थी ? यदि हां, तो विद्युतीकरण की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा मंसूरी विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों का प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युतीकरण की स्वीकृति दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मसूरी विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक द्वारा संस्तुति चार ग्रामों/मजरों की सूची निम्नवत् है :–

1–इठारना–विकास खण्ड डोईवाला

2–संतली–विकास खण्ड रायपुर

3–बुल्हाट–नगर पालिका मसूरी

4–सूर्यधार–विकास खण्ड डोईवाला

पांचवे ग्राम (डाटवाली मन्दिर) के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देहरादून में जंगली जानवरों से फसलों को हुई हानि की पूर्ति की व्यवस्था

3–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि देहरादून जनपद में श्यामपुर, रानीपोखरी तथा मारखम ग्रान्ट न्याय पंचायत में जंगली हाथियों व बन्दरों द्वारा कृषकों की फसलों को तहस-नहस कर दिया गया है ? यदि हां, तो कृषकों की फसलों के नुकसान की पूर्ति करने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

जंगली हाथियों द्वारा कृषकों की फसल को क्षति पहुंचाये जाने पर वन विभाग से निम्न प्रकार आर्थिक अनुग्रह सहायता दिये जाने की व्यवस्था है :–

फसल का नाम	आर्थिक अनुग्रह सहायता प्रति एकड़
1–गन्ना	रु० 2,500.00
2–धान/गेहूं/तिलहन	रु० 2,000.00
3–अन्य फसलें	रु० 1,000.00
4–झोपड़ी	रु० 400.00

प्रश्न नहीं उठता ।

4–श्री राजेन्द्र सिंह–

[दिनांक 18–3–99 को अता०प्र०सं० 138 द्वारा उत्तरित ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डा० छोटे लाल वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 23-4-97 एवं दिनांक 1-1-98, जो कि क्रमशः मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार एवं मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद को सम्बोधित था और जो अधीक्षण अभियन्ता के भ्रष्टाचार संबंधी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

डा० छोटे लाल वर्मा, विधायक के पत्र दिनांक 23-4-97 में अंकित शिकायत की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर को पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत विगत वर्ष में आवंटित धनराशि के उपयोग की जांच की मांग

6–श्री मुरलीधर–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर, पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में फतेहपुर को इस निधि से कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण उक्त धनराशि खर्च नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत जिलांश से रु० 152.60 लाख आवंटित है तथा राज्यांश से रु० 67.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

जी नहीं । अधिकारियों की उदासीनता के कारण नहीं अपितु तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण करके धनराशि का उपयोग किया जा रहा है । अतः अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा के विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत सप्लाई की मांग

7–श्री बिन्दु लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में विकास खण्ड गैसड़ी व पचपेड़वा में कितने ऐसे ग्राम हैं जिसमें पिछले कई वर्षों से विद्युतीकरण तो हो चुका है परन्तु अभी तक उन ग्रामों में विद्युत सप्लाई नहीं की गयी है और क्यों ? क्या सरकार इन ग्रामों में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । 8 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति कई वर्षों से बाधित है । उपरोक्त ग्रामों की विद्युत आपूर्ति तेज आंधी एवं तूफान में लाईन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बाधित हो गई थी । उपरोक्त 8 ग्रामों में से 3 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति चालू करने का कार्य प्रगति पर है । उपरोक्त 3 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति माह जून 99 तक चालू करने का लक्ष्य । शेष बचे 5 ग्रामों में समुचित मात्रा में उपभोक्ताओं द्वारा संयोजनों की मांग आने पर विद्युत आपूर्ति चालू करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री गोपाल कृष्ण–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मैनपुरी, तहसील भोगांव कस्बा बेवर में वक्फ की सम्पत्ति का फर्जी बैनामा के आधार पर अनाधिकृत कब्जा तथा कब्रिस्तान भूमि का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कस्बा बेबर तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी में कितनी और कौन-कौन सी सम्पत्ति वक्फ के रिकार्ड में अंकित है ? क्या यह सच है कि उक्त वक्फ की सम्पत्ति पर फर्जी बैनामा के आधार पर अनाधिकृत कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी कस्बे में ईदगाह के इर्द गिर्द जो भूमि पूर्व में कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग होती रही है वह खतौनी में कब्रिस्तान दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि का सर्वे कराकर कब्रिस्तान में दर्ज कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली)–

कस्बा बेवर, तहसील–भोगांव, जनपद मैनपुरी में निम्न सम्पत्ति/औकाफ उ०प्र० सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकार्ड में अंकित है :–

(1) वक्फ सं०–212–वक्फ फारूक अली एक अदद दुकान ।

(2) वक्फ नं०–221 मस्जिद व तकिया कस्बा बेवर, खसरा नम्बर 1258 रकबा 10.03डिसमल ।

(3) वक्फ नं०–236/815 कब्रिस्तान बेवर, खसरा नम्बर 2306 रकबा एक एकड़ 2डिसमल ।

(4) वक्फ नं०–15–ए वक्फ शेख कल्लू एक किता मकान, मय दो किता दुकानात ।

केवल वक्फ संख्या–15–ए वक्फ अलल औलाद शेख कल्लू की सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा है ।

चूंकि उक्त वक्फ के मुतवल्ली का देहान्त 31 जनवरी, 1996 को हो गया एवं उनका कोई वारिस जीवित न होने के कारण उक्त वक्फ असुरक्षित रहा । शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अनाधिकृत कब्जों

को हटवाने एवं वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी/अपर वक्फ आयुक्त, मैनपुरी को निर्देश दिये गये हैं ।

जी हां ।

ईदगाह के इर्द गिर्द जो भूमि है वह राजस्व में बंजर व खेड़ा दर्ज है परन्तु उक्त के सम्पूर्ण रकबे में मौके पर कच्ची व पक्की कब्रें बनी हैं ।

अतः उक्त भूमि का सर्वे कराया जा चुका है परन्तु इसके कब्रिस्तान के रूप में अमल दरामद हेतु कार्यवाही उप जिलाधिकारी भोगांव के स्तर पर इसलिये लम्बित है चूंकि प्रश्नगत मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

उक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अंचलों में ऊर्जीकरण हेतु सर्वे कराने का कार्य अवर अभियन्ता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा कराये जाने की मांग

10–श्री विश्वनाथ तथा श्रीमती सीमा द्विवेदी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के पैरा–2 में इंगित आदेश का पालन क्या ग्रामीण अंचलों में नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इस्टीमेट पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान या प्रार्थी के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्राविधान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित पैरा–2 में किसी आदेश का संदर्भ नहीं दिया गया है । अतः "कथित" इंगित आदेश के पालन अथवा अन्यथा का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ में विभिन्न परियोजना/योजना/ निर्माण इकाईयों में विगत तीन वर्षों से लम्बित लेखाबन्दी कार्य के सत्यापन की जानकारी

11–श्रीमती माया प्रसाद तथा श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० जल निगम लखनऊ के कामर्शियल विंग में विगत तीन साल से विभिन्न योजनाओं/ परियोजना एवं निर्माण इकाइयों की लेखाबन्दी नहीं हुई है ? क्या इस कारण 15 से 18 प्रतिशत के अनुमानित कमीशन (लाभ) के आधार पर बैलेंस सीट बनवाकर करोड़ों रुपये के घाटे को छिपाया जा रहा है ? क्या वास्तविक अनुरक्षण (कमीशन/लाभ) एक से दो प्रतिशत ही पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमित कार्य के लिये जिम्मेदार लेखाधिकारी व निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० जल निगम के कामर्शियल विंग में विगत तीन साल में पूर्ण हुए कुल कार्यों की संख्या–445 है जिसके विरुद्ध 439 कार्यों की लेखा बन्दी नहीं हुई है, जिसमें से 164 के लेखे चार्टर एकाउन्टेन्ट के

पास सत्यापन हेतु भेजे गये हैं तथा शेष 275 कार्यों पर लेखे प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

विगत तीन वर्षों में विंग का शुद्ध लाभ वर्ष 1995-96 के लिये 6.9%, 1996-97 के लिये 4.9% तथा 1997-98 के लिये 0.9% है ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मथुरा, गोवर्धन, मानसी गंगा के प्रदूषित जल निकासी एवं गऊघाट की सफाई हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित गोबर्धन मानसी गंगा के प्रदूषित जल की निकासी एवं गऊघाट की सफाई कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/17574/मथुरा/98, दिनांक 29-10-98 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार तत्काल प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में वर्णित संदर्भ सीधे जिलाधिकारी, मथुरा को भेजा गया किन्तु जिलाधिकारी कार्यालय में उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है । पत्र की खोज के लिये जिलाधिकारी को निर्देश भेजे गये हैं ।

मानसी गंगा में प्रदूषित जल निकासी हेतु विस्तृत प्राक्कलन उ० प्र० जल निगम द्वारा बनाया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है । इस कारण समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–15-23 की स्ट्रीट लाइट के प्वाइन्ट्स ठीक कराने की जानकारी

13–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 15 से 23 में कितने स्ट्रीट लाइट्स के प्वाइन्ट्स सही काम कर रहे हैं तथा कितने प्वाइन्ट्स खराब हैं ? क्या मंत्री जी जनहित में इन प्वाइन्ट्स को ठीक करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–15 से 23 में स्ट्रीट लाइट के 115 प्वाइन्ट्स सही कार्य कर रहे हैं तथा 1695 प्वाइन्ट्स खराब हैं ।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय शाहजहांपुर द्वारा स्ट्रीट लाइट की लाइनें ठीक कराये जाने के उपरान्त व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, नगर वार्ड संख्या–25-31 की गड्ढायुक्त सड़कों के निर्माण की जानकारी

14–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 25 से 31 में कितने कि०मी० डामर की सड़कें हैं तथा इनमें से कितनी सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढायुक्त हैं ? क्या मंत्री जी इन गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं०–25 से 31 में 8-950 किमी० डामर की सड़कें हैं, जिसमें 2 कि०मी सड़कें गड्ढायुक्त हैं ।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को उनके अंश की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान, सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्य कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, नगर वार्ड संख्या–24-31 के हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की जानकारी

15–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 24 से 31 में कितने हैण्ड पम्प लगे हैं ? इनमें कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? क्या मंत्री जी पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिये खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद ललितपुर के नजूल भूमि संख्या–1893 पर अतिक्रमण एवं नहर में मलमूत्र गिराने हेतु रोक सम्बन्धी उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

16–श्री अफरोज अली खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिशंकर दुबे, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, जनपद ललितपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 21-3-98, जो नजूल भूमि सं० 1893 पर अतिक्रमण एवं नहर में गन्दे मलमूत्र गिराने पर रोक के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, ललितपुर एवं संबंधित तहसीलदार से जांच कराई गयी । जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत भूमि नं० 1893 पर कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि उक्त भूमि पंजीकृत बैनामें में प्राप्त करके उस पर डाक्टर अनुराग चौधरी का भवन निर्मित है ।

जहां तक नहर में गंदे मलमूत्र गिराने का प्रश्न है, दिनांक 27-11-98 को प्रश्नगत भूमि पर बने मकान के गन्दे पानी की निकासी नगर पालिका की नाली में कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान ऐशबाग, लखनऊ द्वारा मोतीझील कालोनी में अवैध कनेक्शन प्रकरण की जांच

17–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–25 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले की जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18–श्री मो० मुकीम तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[दिनांक 16–3–99 को अता०प्र०सं० 176 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० जल निगम, मुख्यालय लखनऊ के सामग्री प्रबन्धक के विरुद्ध घपले की जांच

19–श्री संजय गर्ग तथा श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में सामग्री प्रबन्धक कब से वर्तमान पद/शाखा में तैनात हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि इनके विरुद्ध सामग्री खरीद में लाखों के घपले की शिकायत है ? क्या सरकार इनके विरुद्ध चल रही जांच की प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त अधिकारी को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सामग्री प्रबन्धक दिनांक 5-8-97 से वर्तमान तक क्रय अनुभाग, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ में तैनात हैं ।

जी हां ।

इनके विरुद्ध तथ्यान्वेषण जांच में कोई अनियमितता प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हुई है ।

जी नहीं ।

इनका कार्यकाल मात्र डेढ़ साल है तथा इनके विरुद्ध तथ्यान्वेषण जांच में कोई दोष प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हुआ है ।

नवसृजित जनपद चम्पावत में सुखोन्मुख विभाग का मुख्यालय लोहाघाट में खोलने की मांग

20–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवसृजित जिला चम्पावत में सुखोन्मुख विभाग का कार्य संचालित करने हेतु क्या विभाग का मुख्यालय स्थापित है ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद के चार

विकास खण्डों में सुखोन्मुख योजना आवंटित है ? यदि हां, तो क्या कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु इकाई का मुख्यालय लोहाघाट खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्डों क्रमशः बाराकोट, लोहाघाट व चम्पावत में सुखोन्मुख योजना आवंटित है ।

फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़, गांव धारचूला में भू-स्खलन से मृत मान सरोवर यात्रियों के आश्रितों को, यात्रा हेतु जमा धनराशि कुमायूं मण्डल विकास निगम से वापस कराने की मांग

श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री महाराज सिंह यादव, श्री विश्वनाथ एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

21–क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18/19 अगस्त, 1998 को जनपद–पिथौरागढ़ के गांव धारचूला के पास हुये भारी भू-स्खलन से मरने वाले मान सरोवर यात्रियों के आश्रितों को उनके द्वारा जमा किये गये चालीस हजार रुपये (प्रत्येक) तथा अन्य जिनकी यात्रायें निरस्त कर दी गई हैं उनके रुपये कुमायूं मण्डल विकास निगम से वापस कराने का सरकार शीघ्र आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

यात्रा प्रारम्भ करने पर यदि किसी बिन्दु पर यात्रा स्थगित कर दी जाती है तो ऐसी दशा में धनराशि वापस किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सचिवालय में भत्तों सम्बन्धी शासनादेश का अनुमोदन वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कराने सम्बन्धी विवरण

22–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में सचिवालय कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा वेतन भत्तों सम्बन्धी किन-किन शासनादेशों को अंगीकार किया गया है ? क्या सचिवालय कर्मियों द्वारा लिये गये वाहन भत्ता का अनुमोदन वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में सचिवालय कर्मियों एवं अधिकारियों को अनुमन्य निम्नांकित वेतन भत्तों विषयक शासनादेशों की अनुरूपता में परिषदीय आदेश निर्गत किये गये हैं :–

1–नगर प्रतिकर भत्ता

2–मंहगाई भत्ता

3–मकान किराया भत्ता

4–पौष्टिक आहार भत्ता

5–द्विभाषी भत्ता

6–सचिवालय विशेष भत्ता ।

इसके अतिरिक्त वाहन भत्ता एवं स्थानीय बर्हिगमन भत्ता सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अनुरूपता में अनुमन्य किये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा–79 (सी) में निहित प्राविधानानुसार परिषद् अपने सेवकों में वेतन एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम है । अतः सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अनुरूपता में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में सचिवालय कर्मियों की परिषद् के अनुमोदनोपरान्त वाहन भत्ता अनुमन्य किया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना के सहायक अभियन्ताओं द्वारा आर्थिक अनियमितता

23–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया÷

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना में ऐसे कितने सहायक अभियन्ता हैं, जिनको अधिशासी अभियंता का कार्यभार दिया गया है ? इन सहायक अभियन्ताओं ने कार्यों का कब-कब प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया ? क्या यह सत्य है कि इनके द्वारा भारी आर्थिक अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि से अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार का अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

1–श्री आर०एस० दुबे, सहायक अभियन्ता	28-9-96
2–श्री राम केवल, सहायक अभियन्ता	29-8-97
3–श्री वी०पी० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता	15-9-97
4–श्री रंजन श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता	9-10-97
5–श्री अरुण कुमार, सहायक अभियन्ता	18-12-97
6–श्री के० पी० शुक्ला, सहायक अभियन्ता	11-6-98

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न मदों से व्यय धन तथा जानवरों को शहर के बाहर करने हेतु कैटिल कालोनी की स्थापना

24–श्री समरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष लखनऊ के सौन्दर्यीकरण हेतु किन-किन मदों से कितना धन व्यय करने का प्राविधान किया गया था ? क्या इस सौन्दर्यीकरण योजना से राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करने और जानवरों को शहर से बाहर करने का भी प्राविधान था ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी टण्डन–

विवरण निम्नवत् है :–

मार्ग प्रकाश–347.72 लाख, तीन चौराहों का विकास 19.00 लाख, जल निकासी–34.50 लाख ट्रैफिक सिग्नल–15.12 लाख ।

जी नहीं ।

राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करने और जानवरों को शहर से बाहर करने की योजना सौन्दर्यीकरण योजना के अतिरिक्त है ।

शहर से जानवरों को बाहर करने की दिशा में नगर के विभिन्न क्षेत्र में कैटिल कालोनी विकसित कर आवण्टन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद द्वारा की जा रही है ।

लखनऊ, अम्बेडकर उद्यान के निर्माण में घोटाले की जांच में दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25–श्री समरपाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राजधानी में निर्माणाधीन अम्बेडकर उद्यान के निर्माण में हुये घोटालों की जांच कराई है ? यदि हां, तो किससे ? क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट में किसको दोषी पाया गया है और सरकार ने दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

यह जांच प्रशासनिक अधिकारी श्री टी० जार्ज जोजफ तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी है ।

कुछ विषयों पर प्राप्त हुई हैं ।

परीक्षण पूर्ण नहीं हुआ है ।

तदोपरान्त ही उत्तरदायित्व निर्धारण होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

26–श्री गोपाल कृष्ण–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

27–श्री गोपाल कृष्ण–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सचिवालय, शक्ति भवन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आहरित किये जा रहे विशेष भत्ते के अनुमोदन की जानकारी

28–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय, शक्ति भवन में किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जा रहा है और कब से ? क्या मंत्री जी विशेष भत्ता देने के लिये परिषद् स्तर पर वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) से लिये गये अनुमोदन की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

शक्ति भवन में कार्यरत परिषद सचिवालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 1-3-87 से विशेष भत्ता दिया जा रहा है :–

(1) प्रवर वर्ग सहायक तथा उसके समकक्ष

(2) अवर वर्ग सहायक तथा उसके समकक्ष

(3) दैनिक श्रेणी लिपिक तथा उसके समकक्ष

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

इसी प्रकार शक्ति भवन में कार्यरत परिषद सचिवालय संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1-12-88 से विशेष भत्ता दिया जा रहा है :–

(1) अपर सचिव (2) संयुक्त सचिव/प्रमुख निजी सचिव (3) उप सचिव/निजीसचिव (विशेष श्रेणी) (4) अनुसचिव/निजी सचिव (श्रेणी–1) (5) अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव (श्रेणी–2)

जी नहीं । विद्युत परिषद की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत परिषद–दी इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्राविधानानुसार अपने सेवकों के वेतन एवं भत्तों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम है । अतः सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अनुरूपता में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद में सचिवालय कर्मियों को परिषद के अनुमोदनोपरान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया है ।

जनपद रायबरेली ग्राम पूरे में निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर खराब रहने के बावजूद बिल वसूल ने एवं केबिल उतार ले जाने एवं परेशान करने हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

29–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगें कि अधिशासी अभियन्ता, वि०वि० खण्ड, रायबरेली को सम्बोधित श्री एम०पी० सिंह, ग्राम उमरा मऊ विकास खण्ड, लालगंज रायबरेली का रजि० प्रार्थना पत्र दिनांक 21-12-98 जिसमें ग्राम पूरे धवाल मजरे देवगांव, रायबरेली में लगे निजी नलकूपों का ट्रांसफार्मर छः माह खराब रहने के बावजूद बिल वसूलने तथा केबिल नानपेमेंट दिखा कर उतार ले जाने की शिकायत तथा उक्त अवधि का बिल माफ करने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार संबंधित किसानों के उक्त अवधि का बिल माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मामले की जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषदीय नियमों के अन्तर्गत 30 दिन के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के न बदले जाने पर छूट दिये जाने का प्राविधान है वशर्ते कि उपभोक्ता पर परिषदीय देय राशि अवशेष न हो । जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमती नगर योजना, फेज–दो के भूखण्डों पर वर्ष 1985–1990 तक दण्ड ब्याज माफी का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

30–श्री राम अचल राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के फेज–दो में वर्ष 1985 से 1990 तक आवंटित भूखण्डों पर दण्ड ब्याज माफ किया गया है ? यदि हां, तो आवंटी का क्या मंत्री जी नाम व पता तथा धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां । वांछित विवरण की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 159–160 पर)

जनपद लखनऊ इन्दिरा नगर–सेक्टर–16 में कम्युनिटी प्रोजेक्ट की साइड का इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

31–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर सेक्टर 16, लखनऊ में आवास सं०–1446 और कम्युनिटी प्रोजेक्ट की साइड में स्वच्छ पेयजल के लिये एक इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सितम्बर, 98 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सचिवालय में वेतन भत्तों सम्बन्धी शासनादेश तथा शासकीय सचिवालय और परिषदीय सचिवालय में अन्तर तथा व्याप्त घोर अनियमितताओं को समाप्त किया जाना

33–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय प्रशासन वेतन भत्तों संबंधी किन-किन आदेशों को अंगीकार कर लिया है और किन-किन आदेशों पर परिषदीय ज्ञापन जारी कर भत्ते आदि देने लगे हैं और कब से ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय सचिवालय एवं शासन के सचिवालय में क्या अन्तर है ? क्या यह सत्य है कि

शासन के समानान्तर परिषदीय सचिवालय बनाकर भारी अनियमितता बरती गई है और अनेक भत्ते गलत तरीके से परिषदीय सचिवालय कर्मी ले रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक यह भत्ते समाप्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत सचिवालय अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित वेतन भत्तों से संबंधित शासनादेशों को अंगीकार करते हुये परिषदीय ज्ञापन जारी करके भत्ते उनके सम्मुख अंकित तिथियों से अनुमन्य हैं :–

1–नगर प्रतिकर भत्ता दिनांक 1-7-88 से

2–महंगाई भत्ता दिनांक 01-01-86 से

3–मकान किराया भत्ता दिनांक 01-7-88 से

4–पौष्टिक आहार भत्ता दिनांक 14-8-88 से

5–द्विभाषीय भत्ता दिनांक 17-01-85 से

6–सचिवालय विशेष भत्ता दिनांक 01-12-88 से (अधिकारियों को)

7–सचिवालय विशेष भत्ता दिनांक 01-03-87 से (कर्मचारियों को)

इसके अतिरिक्त निम्न भत्ते सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अनुरूपा में अनुमन्य किये गये हैं :–

1–स्थानीय बहिर्गमन भत्ता दिनांक 12-4-77 से (अधिकारियों को)

2–वाहन भत्ता दिनांक 01-12-88 से (कर्मचारियों को)

सचिव परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनके कार्यालय को परिषद सचिवालय कहा जाता है ।

जी नहीं । शासन के सामानान्तर परिषदीय सचिवालय का गठन नहीं किया गया है ।

जी नहीं । दि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट–1948 की धारा 79 (सी) में निहित प्राविधानानुसार परिषद अपने सेवकों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम है । अतः विद्युत परिषद् द्वारा स्वीकृत भत्ते ही परिषद् सचिवालय कर्मियों को अनुमन्य किये गये हैं ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

34–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता कार्यालय के लिपिकीय कर्मचारियों को द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु परिषदीय आदेश सं० 1920 एवं 1940 दिनांक 28-11-98 के क्रियान्वयन संबंधी श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष, उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 14–12–98 जो कि ऊर्जा मंत्री/ऊर्जा राज्य मंत्री व अध्यक्ष, उ०प्र० रा० विद्युत परिषद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत मजूर संघ के उक्त पत्र 14-12-98 में परिषदीय आदेश संख्या–1992–काविनी/राविप, दिनांक 11-12-98 को निरस्त किये जाने की मांग की गई थी ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार परिषदादेश सं०–418–कावनी/राविप–29/99-62पी/86, दिनांक 15-3-99 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 11-12-98 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों को इलाज हेतु नर्सिंग होम को मान्यता की जानकारी

35–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत वर्तमान ऊर्जा मंत्री द्वारा परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों को इलाज कराने हेतु कितने नर्सिंग होम को मान्यता दी गई है ? क्या मंत्री जी मान्यता की तिथि एवं नर्सिंग होम का नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि परिषद् पर मेडिकल व्यय लगभग 4 गुना हो गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

किसी भी नर्सिंग होम को मान्यता नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । विगत पांच वर्षों में परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनपर आश्रित परिवारजनों की चिकित्सा पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	धनराशि (रु० करोड़ में)
1993-94	1.38
1994-95	1.71
1995-96	2.04
1996-97	2.48
1997-98	3.67

चिकित्सा व्यय में हुई वृद्धि ऊपर इंगित है । बढ़ती आयु से चिकित्सा व्यय में वृद्धि हुई है ।

जनपद हरदोई मल्लावां नगर पंचायत माधोगंज की वोल्टेज समस्या के निराकरण की मांग

36–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत माधौगंज में वोल्टेज उच्च स्तर का आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वोल्टेज की समस्या का निराकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वोल्टेज ठीक है । उच्च वोल्टेज की समस्या नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में से सामान्य/मृतक आश्रितों के पदों से भरने की मांग

37–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–मैनपुरी में कौन-कौन से नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद कब से रिक्त चल रहे हैं और उनमें

कितने-कितने प्रकरण मृतक आश्रितों के हैं ? क्या सरकार सामान्य एवं मृतक आश्रितों के पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद मैनपुरी में तृतीय श्रेणी एवं मृतक आश्रित का कोई पद रिक्त नहीं है । सेवानिवृत्त होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सात पद रिक्त हैं । जिनमें से एक पद पम्प सेवक का जनवरी, 1998 से दो पद सफाई नायकों के जनवरी, 98 व मार्च, 98 से व चार पद सफाई कर्मचारियों के क्रमशः एक पद वर्ष 1994 से, दो पद वर्ष 1996 से एक पद वर्ष 1999 से रिक्त हैं ।

नगर पंचायत करहल में तृतीय श्रेणी के रिक्त पांच पदों में से सेवानिवृत्त होने से दो पद क्रमशः मार्च, 89 एवं अप्रैल 89 से तथा तीन पद मृतक आश्रितों के क्रमशः दो पद वर्ष 1981 व एक पद मार्च 1989 से रिक्त है । चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पांच पदों में से मृतक आश्रित का एक पद वर्ष 1981 से तथा सेवानिवृत होने के कारण चार पद क्रमशः वर्ष 1988 नवम्बर, 90, दिसम्बर, 90 एवं वर्ष 1997 से रिक्त है ।

नगर पंचायत घिरोर में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं मृतक आश्रित का कोई पद रिक्त नहीं है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक पद रिक्त है ।

नगर पंचायत, भोगांव में तृतीय श्रेणी एवं मृतक आश्रित का कोई पद रिक्त नहीं है । चतुर्थ श्रेणी में सेवानिवृत्त होने से दो रिक्त पदों में से एक पद ट्रैक्टर चालक का वर्ष 1998 से एक पद सफाई कर्मी का जनवरी, 1999 से रिक्त है ।

जिन मृतक आश्रितों द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया था उनकी नियुक्ति कर दी गयी है, तत्पश्चात शासनादेश संख्या–4530/9-1-92 दिनांक 7-5-92 से अकेन्द्रीयत सेवा, मिश्ती एवं चुंगी चपरासी के पद समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चम्पावत, राजकीय इण्टर कालेज, लोहाघाट के भवन का पुनर्निर्माण

38–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेज भवन लोहाघाट, जि० चम्पावत का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कब से आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

उक्त भवन मरम्मत हेतु 68000/- रु० की धनराशि जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ।

कार्य प्रगति पर है ।

नगर पालिका मथुरा के अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्त कर्मचारियों की मांगों के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

39–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की नगरपालिका के अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्त कर्मचारियों की मांगों के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–3/16743/मथुरा/98, दिनांक 28-9-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में नगरपालिका के अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का महंगाई भत्ते सहित भुगतान, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं संचित अवकाशों का नकद भुगतान तथा उक्त भुगतान को जिला कोषागार के माध्यम से कराने की मांग की गयी है । ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं संचित अवकाशों का भुगतान नगर पालिका के स्तर से किया जा रहा है । यद्यपि पालिका की आर्थिक स्थिति गम्भीर होने के कारण कभी-कभी उक्त भुगतान में विलम्ब हो जाता है । जहां तक पेंशन का महगाई भत्ते सहित भुगतान का प्रश्न है, इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय से पेंशन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त यथासमय निर्णय लिया जाएगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर, नगर पंचायत खड्डा के वार्ड नं०–3 में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा विगत वर्ष आवंटित धनराशि से खड़न्जा बिछाने हेतु निर्माण कार्य की जानकारी

40–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार को ज्ञान है कि पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 1997-98 के प्रस्ताव पर नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के वार्ड सं०–3 में भारतीय शिशु मन्दिर से उत्तर लक्ष्मी गोंड के घर होते हुए पी० डब्लू० डी० रोड तक खड़न्जा बिछाने हेतु 80 हजार रुपये आवंटित हैं ? क्या यह आज तक निर्मित नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए दोषी कौन-कौन है ? क्या उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कार्यदायी संस्था को जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय के पत्र संख्या 1032/ अभि०-पू-वि० नि०/98-99 दिनांक 11 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधित परियोजना पर कार्य कराने हेतु आदेशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा 28-1-99 को प्रारम्भ कर दिया गया है जो मार्च, 1999 तक पूर्ण होने की आशा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र, अधिशासी अभियन्ता, आनपारा, ताप विद्युत परियोजना, की, प्रोन्नति हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

41–श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्यालय में माह 9/98 में श्री राम मूरत राय अधि० अभि० अनपरा ताप विद्युत परियोजना, सोनभद्र की प्रोन्नति के बारे में श्री राम आसरे वर्मा पूर्व उपाध्यक्ष का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 9-10-98 को मूल रूप में अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली विकास खण्ड नवाबगंज, भदपुरा में विगत वर्ष चयनित घोषित अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण

42–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जिला बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा में कौन-कौन से ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये ? क्या इन सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)– (श्री राधेश्याम–)

वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड नवाबगंज में पांच ग्रामों-अहमदाबाद, अख्तियारपुर, भटपुरा जागीर, कल्याणपुर, हिकमतअली, मौजम नलगा खालसा तथा विकास खण्ड भटपुरा में पांच ग्रामों धिमरी, नरहरपुर गोरी खेड़ा, निरंदापुर, विशेषरपुर, धमीपुर का अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयन किया गया है । शासन की नीति के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों का ही विद्युतीकरण कराये जाने का प्राविधान है । उक्त नीति के अन्तर्गत केवल दो ग्राम अहमदाबाद तथा धिमरी 1000 से अधिक आबादी के हैं तथा पूर्व से विद्युतीकृत हैं ।

43–श्री अब्दुल मन्नान–

[6वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।

जनपद हरदोई, सण्डीला के ग्रामों में विद्युत तार चोरी से बाधित विद्युत ठीक कराने की मांग

44–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के ग्राम कन्जौरा, रसूलपुर ब्रह्मनान, दिवारी, महमूदपुर लालता, बिरौली, कोड़ौनी, गौरी बदूर, सिंधवल मलिहाबाद, गोसवा डोंगवा, महसोना, पिलखिनी, हिया, जरहा, सर्वे खरिका, बेहसार, निर्मलपुर, खजोहना, तलौली तथा मऊ आदि ग्रामों में विद्युत तार चोरी हो जाने के कारण गत तीन वर्षों में उक्त ग्रामों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित है ? यदि हां,तो उक्त ग्रामों को पुनः विद्युत सप्लाई अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण ठीक कराकर विद्युत सप्लाई कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संबंधित ग्रामों में कोई विद्युत उपभोक्ता न होने व अनवरत हो रही तार चोरी की घटनाओं के कारण संबंधित ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा विद्युत संयोजन लेने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़, में विगत वर्ष अतिवृष्टि से ध्वस्त पेयजल योजनाओं हेतु धन की मांग

45–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से वर्ष 1997-98 में जो पेयजल योजनायें ध्वस्त हो चुकी है ? उक्त योजनाओं की मरम्मत हेतु धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

रु० 188.54 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़, विकास खण्ड बेरीनाग के ग्राम पंचायतों में विद्युत लाइन बिछाने एवं आपूर्ति कराने की जानकारी

46–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बड़ेत बाफिला व बर्वायत में कब विद्युत लाईन बिछायी गयी ? क्या उक्त ग्राम पंचायतों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बड़ैत, वाफिला का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-88 को किया गया था व वर्वायत का 30-3-82 में ।

उक्त ग्राम पंचायतों की विद्युत आपूर्ति वाधित है ।

गत वर्ष में अतिवृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण ग्राम पंचायत बड़ैत, वाफिला की 11 के०वी० लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे यथाशीघ्र ठीक कर विद्युत आपूर्ति जारी कर दी जायगी ।

जनपद हरदोई, सण्डीला, में शासन की नीति के अन्तर्गत पांच गांवों के विद्युतीकरण की जानकारी

47–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में शासन की नीति के अनुसार पांच ग्रामों में विद्युतीकरण की स्वीकृति माह नवम्बर/दिसम्बर, 1998 में प्रदान की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युतीकरण का कार्य मार्च, 99 से प्रारम्भ किया जायेगा ।

जी नहीं । उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 1999-2000 से जून, 99 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

कार्य अधिक होने तथा जिलाधिकारी से माह दिसम्बर, 98 में धन उपलब्ध होने के कारण वर्ष 98-99 में कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन पार्कों में अतिक्रमण हटाने/प्राधिकरण द्वारा पुनः कब्जा लेने की जानकारी

48–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन कितने सार्वजनिक पार्कों पर विगत 10 वर्षों में कितने अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अतिक्रमण करने वालों में से कितने लोगों का अतिक्रमण समाप्त कर प्राधिकरण द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया है ? क्या यह सच है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों में से एक आई० पी० एस० अधिकारी भी है ? यदि हां, तो वह कौन है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में समय-समय पर जब भी अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होती है तब इस अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की जाती है । सामान्यतः यह अतिक्रमण/कब्जे अस्थायी प्रकृति के होते हैं ।

सार्वजनिक पार्कों पर ऐसे अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमणों/कब्जों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों में की गयी कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना संकलित न होने के फलस्वरूप विवरण उपलब्ध नहीं है ।

वर्तमान में प्राधिकरण के समस्त पार्कों पर प्राधिकरण का ही स्वामित्व है । इन पर अस्थायी अतिक्रमणों/कब्जों की जानकारी होने पर उन्हें हटाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है ।

शासन के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विदेशी कम्पनी पटनम हेज एण्ड बार्टलेट कम्पनी पर व्यय का विवरण एवं नियुक्ति की जानकारी

49–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विदेशी कम्पनी पटनम हेज एण्ड बार्टलेट पर राज्य विद्युत परिषद् ने कितना व्यय किया ? क्या यह कार्य अपने देश की कोई संस्था कर सकती थी ? यदि हां, तो उससे न कराने का क्या कारण रहा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने पटनमहेज एण्ड बार्टलेट कम्पनी पर कन्सल्टेंसी चार्जेज पर यू० एस० डालर 1240210.00 का व्यय किया । उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर के पुनर्गठन हेतु जो निविदायें परामर्शदाताओं से प्राप्त हुई थीं उनके परीक्षण/मूल्यांकन के उपरान्त तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ संस्था मेसर्स पटनमहेज एण्ड बार्टलेट को नियुक्त किया गया ।

जनपद लखनऊ, जल संस्थान में कार्यरत पम्पों प्रतिमाह आय-व्यय के विवरण की जानकारी

50–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में कुल कितने पम्प हैं एवं उनमें से कितने कार्यरत हैं, उनके मेन्टिनेन्स पर प्रतिमाह कितना व्यय हो रहा है तथा उनसे कितना प्रतिमाह राजस्व प्राप्त हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस समय संस्थान में ठेकेदार के माध्यम से कितने पम्प चलाये जा रहे हैं ? उनको प्रतिमाह कितना धन किन-किन मदों में दिया जा रहा है ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ जल संस्थान में कुल 347 पम्प लगे हैं जिनमें से 330 कार्यरत हैं । इनके मेन्टेनेन्स पर लगभग रु० 5.5 लाख प्रतिमाह व्यय हो रहा है तथा इनसे लगभग रु० 125.00 लाख प्रतिमाह राजस्व प्राप्त हो रहा है ।

संस्थान में ठेकेदारों के माध्यम से 61 नलकूप एवं 3 जोनल पम्पिंग स्टेशन चलाये जा रहे हैं ।

ठेकेदारों को केवल पम्प संचालन हेतु रु० 1.79 लाख का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है ।

जनपद फतेहपुर, खण्ड विकास धाता में घोषित अम्बेडकर ग्राम की सड़क का डामरीकरण

51–श्री मुरलीधर–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के खण्ड विकास धाता में कौन-कौन से ग्राम अब तक अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? क्या भदौंहा ग्राम भी अम्बेडकर ग्राम है ? यदि हां, तो क्या इस ग्राम की सड़क का डामरीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त ग्राम में कब तक डामरयुक्त सड़क बन जायेगी ?

श्री राधेश्याम–

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड धाता में अब तक 22 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये जो निम्नवत् हैं :–

रतनपुर, भेदपुर, सेमरहटा, कारीकान, डेण्डासाई, बसवा, तेन्दुवा, जाम, भदौआ, आलमपुरगेरिया, बेरी, अढौली, कबरा, बमरौली, बरहटा, बिछियांवा, उमरा, मंझनपुर, जहांगीरनगर, कोट, हाकिमपुर खन्तवा, खैरेई ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त सम्पर्क मार्ग हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जनपद को प्राप्त हो गई है, टापकोट का कार्य प्रगति पर है तथा लेपन कार्य जून, 99 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड योजनान्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों को रेल नगर में आवंटित भवन/भूखंडों के पास स्थित कब्रिस्तान का मुख्य द्वार स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण

52–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कानपुर रोड योजनान्तर्गत रेल नगर में केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु ग्रुप इन्श्योरेन्स हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भवन/भूखण्ड बनाये गये थे ? क्या इनमें से शत-प्रतिशत भवनों/भूखण्डों का कब्ज़ा आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कालोनी से लगा हुआ एक कब्रिस्तान है, जिसका मुख्य द्वार इस कालोनी के अन्दर खुलता है, जिसमें आज भी शवों को दफनाया जाता है ? क्या सरकार इस कब्रिस्तान के मुख्य द्वार को कालोनी की ओर से स्थानान्तरित कराकर, इसमें शवों के दफनाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं, परन्तु कुल 108 भवनों के विरुद्ध 100 तथा 23 भूखण्डों के विरुद्ध 20 भूखण्डों का कब्जा दिया जा चुका है ।

जी हां ।

जी नहीं, यह काफी पुराना कब्रिस्तान योजना के पूर्व से ही यहां स्थापित है, इसके दूसरी तरफ की भूमि जेल विभाग से विवादित है, साथ ही किसी अन्य समीप स्थान पर इस कब्रिस्तान को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मथुरा, संजीवन नि०, बड़ा बाजार गोवर्धन की दुकानें तोड़े जाने की शिकायत

53–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम संजीवन, नि०–बड़ा बाजार, गोवर्धन पुरवा मथुरा की कथित भेदभाव पूर्ण नीति के तहत दुकानें तोड़े जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–3/14439/मथुरा/98, दिनांक 31-7-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अतिक्रमण हटाने का कार्य निष्पक्षतापूर्वक किया गया है । श्री राम संजीवन निवासी-बड़ा बाजार, गोवर्धन पुरवा मथुरा की शिकायत निराधार है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ नगर निगम जोन–3 बुक सं० 4477 क्र० सं० 55 पर गृह कर की मद में जमा धनराशि की जानकारी

54–श्री हरदेव सिंह तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम जोन–3, लखनऊ द्वारा दिनांक 26-2-98 को बुक सं०–4477 क्रम सं०–55 पर कोई भुगतान लिया गया है ? यदि हां, तो भवन स्वामी एवं भुगतान प्राप्तकर्ता का क्या नाम है तथा वार्षिक मूल्यांकन एवं गृहकर की मद में जमा धनराशि कितनी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भवन स्वामी का नाम श्री गनेशराम चौरसिया एवं भुगतान प्राप्तकर्ता श्री रामलखन कुशवाहा, निरीक्षक श्रेणी–2 हैं । वार्षिक मूल्यांकन रु० 600/- है तथा गृह कर की मद में निवासित समयावधि के अन्दर गृह कर जमा करने के फलस्वरूप 25 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की छूट देने के उपरान्त जमा की गई धनराशि रु० 40.50 है ।

55–श्री हरदेव सिंह तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद–लखनऊ, जल संस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक के विरुद्ध आर्थिक/प्रशासनिक अनियमितता की जांच की जानकारी

56–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक, लखनऊ में कब से कार्यरत हैं तथा लखनऊ में तैनाती से दिसम्बर, 1998 तक इनके विरुद्ध आर्थिक अनियमितता एवं प्रशासनिक अनियमितता की कितनी जांचे चल रही हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती, शहरी विकास हेतु सीवर/नालियों के निर्माण की योजना की जानकारी

57–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के शहर के विकास के लिये सीवर लाइन एवं मुहल्लों की नालियों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् बस्ती क्षेत्र में सीवर लाइन की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है किन्तु नगर पालिका परिषद् द्वारा मोहल्लों की नालियों के निर्माण हेतु मु० 114.42 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित है ।

मोहल्लो की नालियों के निर्माण की रूपरेखा का विवरण संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार ।

(देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 161 पर)

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर सेक्टर–16 से सीतापुर मार्ग में मिलने वाली लेन तथा पानी की टंकी से सुख बिल्डिंग तक मुख्य मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

58–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर सेक्टर–16 लखनऊ से सीतापुर मार्ग में मिलने वाली लेन एवं जलकल की पानी की टंकी से सुख बिल्डिंग तक मुख्य मार्ग के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र मार्ग निर्माण कार्य से संबंधित है । मार्ग निर्माण कार्य धन उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है ।

जनपद बस्ती, जयपुरवा-गड़गोड़िया मार्ग की नाली निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

59–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नगर पालिका के अन्तर्गत जयपुरवा–गड़गोड़िया मार्ग को तथा इसकी नाली के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरपालिका परिषद्, बस्ती द्वारा संदर्भित मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु ट्राली युक्त ट्रान्सफारमर एवं रात्रिकालीन बिजली मिस्त्रियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

60--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में ट्रान्सफारमर की कमी से उत्पन्न होने वाली विद्युत आपूर्ति व्यवधान को दुरुस्त करने हेतु 8-10 की संख्या में उच्च शक्ति के ट्रान्सफारमर ट्राली में फिट करके रखने एवं ट्रान्सफारमर जल जाने पर वहां ट्रान्सफारमर युक्त ट्राली को पहुंचाकर अविलम्ब विद्युत आपूर्ति चालू करने एवं आपात स्थिति में ब्रेकडाउन अथवा फाल्ट को ठीक करने हेतु रात्रिकालीन बिजली मिस्त्रियों के दो-तीन गैंग नियुक्त करने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें दिनांक 11-9-98 तथा अध्यक्ष एवं सदस्य वितरण, उ० प्र० रा० विद्युत परिषद्, लखनऊ को दिनांक 10-9-98 को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां ।

चार ट्रालीयुक्त ट्रांसफारमरों को क्रय करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं और इनके क्रय/निर्माण की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

33/11 के०वी० उपकेन्द्रों/शिकायत कक्षों पर रात्रि में विद्युत कर्मचारी उपभोक्ताओं की शिकायतों/ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिये लगाये गये है ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए धन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर (सिधौली क्षेत्र) को विद्युत आपूर्ति में कटौती की जानकारी

61--श्री चेतराम--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शाहजहांपुर में स्थापित 132 के०वी० विद्युत सब-स्टेशन से ग्रामीण अंचल (सिधौली क्षेत्र) को विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है जिस कारण आम जनता को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या इसकी जांच कराकर निर्धारित मात्रा में विद्युत आपूर्ति जनहित में कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं । ब्लाक सिधौली को लगभग 8 से 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही है ।

निर्धारित कार्यक्रमानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष द्वारा कम्युनिटी हाल से प्राप्त किराये के दुरुपयोग की शिकायत हेतु जांच

62--श्री हरदेव सिंह, श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष द्वारा कम्युनिटी हाल से प्राप्त किराये की धनराशि के दुरुपयोग की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराने विषयक

श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 4-1-99 मा० मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विवेकानन्द पुरी, चन्द्रलोक एवं इन्द्रलोक पर अधिकारी क्लबों से कोई किराया उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नहीं प्राप्त किया गया । यह किराया क्लबों द्वारा ही लिया जाता है । विद्युत चार्जेज का भुगतान क्लबों द्वारा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि संबंधित परिषदादेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया था ।

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुनर्गठन पेयजल योजना की लागत जल संस्थान को हस्तान्तरित किये जाने की जानकारी

63–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुनर्गठन पेयजल योजना कुल कितने लागत रुपये की बनी हुई है ? क्या यह योजना पूर्ण हो चुकी है ? क्या इस योजना से ग्रामवासियों को पेयजल सुलभ कराया जा रहा है ? क्या उक्त योजना को जल निगम से जल संस्थान को हस्तान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

लागत रु० 145.68 लाख ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

हस्तान्तरित करना प्रस्तावित है ।

जनपद लखनऊ जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज चारबाग की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का प्रकरण

64–श्री उदय राज यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कन्या विद्यालय ए०पी० सेन मेमो० गर्ल्स कालेज (जुबली गर्ल्स कालेज चारबाग लखनऊ) के पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण में हेवलक रोड लखनऊ में लीज पर प्लाट संख्या 280 से 283 एवं 285 से 290 तक दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की भूमि पर अनाधिकृत लोगों द्वारा अतिक्रमण कर, अवैध निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण को हटवाकर भूमि को मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

विद्यालय को पट्टे पर दी जा चुकी प्रश्नगत भूमि की सुरक्षा का दायित्व स्वयं विद्यालय का है । उस पर अतिक्रमण के विरुद्ध विद्यालय द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद तथा बाराबंकी के घोषित अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण/सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

65–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजियाबाद तथा बाराबंकी में कितने ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है ? क्या वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में घोषित सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 1990-91 से 1998-99 तक 208 अम्बेडकर ग्रामों तथा जनपद बाराबंकी में योजना के प्रारम्भ से 1998-99 तक 388 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया । वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में जनपद गाजियाबाद में 118 ग्रामों का चयन किया गया जिसमें समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया तथा सम्पर्क मार्ग योजना में 116 ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया । इसी प्रकार जनपद बाराबंकी में 1996-97 एवं 1997-98 में 182 ग्रामों का चयन किया गया जिसमें से 172 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 63 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से संतृप्त कर दिया गया है । शेष ग्रामों में कार्य धनाभाव एवं सीमित संसाधनों के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है ।

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा मोलना घाट पर पुलिया निर्माण

66–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में 13 लाख रुपये की लागत से पूर्वांचल विकास निधि से जनहित में एक पुलिया मोलना घाट में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या 70 प्रतिशत कार्य होने के उपरान्त राजनैतिक कारणों से कार्य रुकवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

पुलिया निर्माण का कार्य 50 प्रतिशत किया गया है तथा स्थल के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है ।

विवाद का समाधान होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर जहांगीरगंज के मुख्य बाजारों में सुलभ शौचालय बनाने की मांग

67–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र की मुख्य बाजार राजे सुल्तानपुर; जहांगीरगंज, रामनगर, हंसकर, किछोछा में सुलभ शौचालय नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था सरकार द्वारा कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर विकास विभाग द्वारा केवल नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक शौचालय बनाये जाते हैं। प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में से केवल नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा-नगरीय स्थानीय निकाय है। जहां पर एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया। राजे सुलतानपुर, जहांगीरगंज, रामनगर तथा हंसकर, नगरीय स्थानीय निकाय नहीं है। इन स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की कोई योजना पंचायती राज विभाग की भी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

68–श्री वावन सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत रेल नगर कालोनी सेक्टर–जे० की सड़कों पर पैच रिपेयरिंग/पटरी ड्रेसिंग की स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्रों पर कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

69–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत स्थित रेल नगर कालोनी सेक्टर–जे की सड़कों पर प्रीमिक्सिंग तथा पटरी ड्रेसिंग का कार्य कराने हेतु माननीय श्रम मंत्री जी के पत्र पर अप्रैल, 1997 में स्वीकृति प्रदान कर आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक प्रारम्भ न कराये जाने के कारण क्या है ? उक्त के संबंध में जून, 1997 से जनवरी, 1999 तक युवा कल्याण समिति रेल नगर के अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित किन-किन मा० मंत्रियों, मा० राज्य मंत्रियों तथा मा० विधायकों के पत्र उपाध्यक्ष/सचिव लखनऊ, विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुये हैं ? जनहित में इस कार्य को कब तक सम्पादित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

प्राधिकरण की समस्त आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास एवं रख-रखाव संबंधी कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विभिन्न चरणों में आवश्यकतानुसार सम्पादित किये जाते हैं। प्रश्नगत सड़कों की पैच रिपेयरिंग व पटरी ड्रेसिंग की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

श्री एस० डी० द्विवेदी युवा कल्याण समिति रेलनगर एवं मा० श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रश्नगत कार्य को निविदा स्वीकृति के पश्चात् शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजनान्तर्गत रेल नगर सेक्टर जे/एल० के सीवर डिस्पोजल की स्थायी व्यवस्था करने की मांग

70–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर–जे, रेल नगर तथा सेक्टर–एल के सीवर डिस्पोजल की कोई स्थायी

व्यवस्था नहीं है ? क्या प्रायः सीवर का पानी मेन होल से सड़कों पर बहता रहता है ? यदि हां, तो यहां के नागरिकों की इस अति गंभीर समस्या का निदान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या इस संबंध में वर्ष 1998-99 में युवा कल्याण समिति रेल नगर के कोई पत्र सरकार/प्राधिकरण को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । सीवर लाइन चोक होने की दशा में मेनहोल ओवरफ्लो करते हैं ।

सीवर चोक होने की स्थिति में उसकी सफाई करा दी जाती है ।

जी हां ।

सीवर ओवरफ्लो करने पर साफ करा दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री श्याम लाल रावत–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद सीतापुर के ब्लाक पहला के अम्बेडकर ग्राम अशरफपुर एवं ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण मजरों सहित विद्युतीकरण पर कुल व्यय/भुगतान की गई मजदूरी की जानकारी

72–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के ब्लाक पहला के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम पंचायत अशरफपुर का क्या विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण मजरों सहित विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विद्युतीकरण में कुल कितने खम्भे लगाये गये हैं और कुल लागत खर्च क्या है ? विद्युतीकरण में मजदूरी का कितना भुगतान किया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं । सभी मजरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो सका ।

सम्पूर्ण विद्युतीकरण में 189 खम्भे लगे हैं और कुल लागत 15.45 लाख है ।

उपरोक्त विद्युतीकरण में रु० 1.35 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया ।

जनपद सीतापुर, ब्लाक–कसमण्डा, ग्राम पंचायत–बिलरिया में विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

73–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के ब्लाक कसमण्डा के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम पंचायत बिलरिया सहित सभी मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम बिलरिया में खम्भे गाड़े गये हैं किन्तु तार नहीं खींचे गये हैं ? यदि हां, तो उक्त खम्भों पर तार खींचकर कब तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

विद्युत संयोजन न होने के कारण लाइन एवं ट्रन्सफार्मर क्षतिग्रस्त हो गये हैं । समुचित मात्रा में विद्युत संयोजनों हेतु अनुबन्ध होने पर विद्युत आपूर्ति संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद हरदोई, मल्लावां के अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की जानकारी

74–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुरसठ बुजुर्ग जो अम्बेडकर ग्राम है उसे परौली, मिर्जागंज, देवियापुर, टेढ़ईपुरवा, रूद्रपुरवा तथा तकिया भभूर्वा एवं देविनपुरवा में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या अम्बेडकर ग्राम के विकास योजना के अन्तर्गत शासन उक्त गांवों में विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

वर्तमान वर्ष 1998-99 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 2224 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनोपरान्त धन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्री राजधारी–

14 थे सोमवार में अता० प्र० सं०–138 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।

लखनऊ, जल संस्थान के कर्मचारियों द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग में दायर मुकदमें के निर्णय की जानकारी

76–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत पिछड़ी जाति के कर्मचारियों द्वारा कोई मुकदमा, रा० पि० वर्ग आयोग में दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय दिया गया ? क्या उस निर्णय का पालन सरकार द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० आयोग के निर्णय दिनांक 22-1-99 के परिप्रेक्ष्य में महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान से पम्प चालक के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण मांगा गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका तिलहर को पीरमाह तालाब के पानी निकासी हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

77–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-10-98 जो पीरमाह तालाब के पानी की निकासी के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, तिलहर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच अपने स्तर से कराकर इसमें दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जलभराव की समस्या का तात्कालिक निराकरण करा दिया गया है । इस समस्या के स्थायी निदान हेतु तालाब के सौन्दर्यीकरण की योजना का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को दिनांक 16-12-1997 को भेजा जा चुका है, जिस पर सर्वेक्षण की कार्यवाही हो चुकी है और कृत कार्यवाही से माननीय विधायक जी को अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 15-1-1999 द्वारा अवगत करा दिया गया है । संगत कार्यवाही कर दिये जाने के पश्चात् अब पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, परिकल्पना खण्ड–3 लखनऊ को गाजियाबाद शिफ्ट करने के आदेश एवं अधिकारियों द्वारा गाजियाबाद से लखनऊ की यात्रा के विवरण की जानकारी

78–श्री रामपाल वर्मा व श्रीमती माया प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के परिकल्पना खण्ड–3 लखनऊ जो कि वर्तमान में गाजियाबाद में है, के लखनऊ से गाजियाबाद शिफ्ट करने का आदेश किस दिनांक को किया गया ? उक्त खण्ड के अधिकारियों द्वारा लखनऊ में किन-किन तिथियों को चार्ज लिया गया तथा किन-किन तिथियों को आलमारी, फाइलें आदि गाजियाबाद ले गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, 98 से नवम्बर, 98 तक उक्त खण्ड मे कितनी बार अधिकारियों ने गाजियाबाद से लखनऊ के कितने दौरे किन-किन तिथियों तथा किस वाहन से किये गये ? यदि कई माह तक बिना चार्ज लिये ही वेतन आदि लिया गया, तो क्या ऐसे अधिकारियों को दण्डित करके वेतन आदि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

दिनांक 27-5-98 को लखनऊ स्थित परिकल्पना खण्ड–3 को मय साज-सज्जा एवं स्टाफ सहित गाजियाबाद स्थानान्तरित करने के आदेश दिए गये ।

अधिकारियों द्वारा लखनऊ में चार्ज नहीं लिया गया बल्कि कर्मचारियों द्वारा दिनांक 20-8-98, 11-11-98 व 20-11-98 को चार्ज प्राप्त कर फाइलें व फर्नीचर आदि गाजियाबाद लाया गया ।

परिकल्पना खण्ड–3, गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता मई, 98 से नवम्बर, 98 तक कुल 8 बार गाजियाबाद से लखनऊ के दौरे किये गये, जो रेल/बस द्वारा दिनांक 7-6-98, 24-6-98, 5-7-98, 11-8-98, 19-8-98, 5-10-98, 22-10-98 व 4-11-98 को किये गये । खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा मात्र 5/98 से 11/98 तक की अवधि में गाजियाबाद से लखनऊ का दिनांक 8-11-98 रेल/बस द्वारा एक दौरा किया गया ।

जी नहीं ।

अधिकारियों के ड्यूटी पर उपस्थित रहने के कारण किसी प्रकार के दण्ड दिए जाने एवं वेतन में कटौती का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिकल्पना खण्ड–3 गाजियाबाद के स्टेशनरी के फर्जी बाउचरों का प्रकरण

79–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के परिकल्पना खण्ड–3 गाजियाबाद में जनवरी, 98 से जून, 98 के मध्य स्टेशनरी उपयोग के नाम पर हजारों रुपये फर्जी बाउचरों पर निकाले गये ? क्या क्रय की गयी स्टेशनरी सम्बन्धित रजिस्टर पर दर्ज करके कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमानुसार वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पिथौरागढ़ से रालम ग्लेशियर तक पहुंचने हेतु अश्व मार्ग के निर्माण की मांग

80–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थिति दो प्रसिद्ध ग्लेशियर मिलम एवं रालम हैं, जोकि अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विश्व विख्यात हैं एवं पर्यटक केन्द्र भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रालम ग्लेशियर पहुंचने के लिये यदकोट मोटर हेड से ग्राम उच्छेती बुई पातूं होते हुये अश्व मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

मुनस्यारी क्षेत्र के समेकित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है । उक्त मास्टर प्लान के अन्तर्गत उल्लिखित मार्ग के निर्माण के संबंध में तकनीकी एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् मुख्य अभियन्ता जनपद (वितरण) द्वारा मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में धांधली की जानकारी

81–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि व श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियंता, जनपद (वितरण) द्वारा मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में भारी धांधली बरती गयी है ? क्या यह सत्य है कि कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

सभी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और उनसे कार्य की आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाता रहा है और तद्नुसार ही उन्हें नियमित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में स्तर–1/2 के कतिपय मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक मामलों की दिसम्बर, 1998 तक की विभागीय जांच का विवरण

82–श्री हरदेव सिंह, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियंता स्तर–1 एवं 2 के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक मामलों में दिसम्बर, 1998 तक विभागीय जांच चल रही है ? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के नाम, पद नाम व तैनाती स्थान बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दिसम्बर, 1998 तक मुख्य अभियन्ता, स्तर–1 व 2 के कुल 7 अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक मामलों में परिषद् की जांच समिति के माध्यम से विभागीय जांच चल रही है ।

ऐसे अधिकारियों के नाम, पद–नाम एवं तैनाती स्थान के नाम, निम्नवत् है :–

नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान
सर्वश्री		
1–आर० सी० भाटिया	मुख्य अभियन्ता, स्तर–1	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन लखनऊ ।
2–बी० सी० पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता, स्तर–1	मुख्य अभियन्ता (वितरण) पूर्वांचल, वाराणसी ।
3–बी० पी० मित्तल	मुख्य अभियन्ता, स्तर–1	सेवानिवृत्त ।
4–आर० डी० गर्ग	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	सेवानिवृत्त ।
5–एच० के० डी० शर्मा	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	सेवानिवृत्त ।
6–जी० के० श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	सेवानिवृत्त ।
7–बी० के० शर्मा	मुख्य अभियन्ता, स्तर–2	सेवानिवृत्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[illegible] वसूली सम्बन्धी आदेश स्थगित रखने हेतु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की मांग

83–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री जी उपश्रमायुक्त के आदेश एवं रुपये 387283.30 धनराशि की वसूली को एक माह तक स्थगित रखने एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । संगत अभिलेख माननीय सदन के पटल पर रख दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापी नहीं गई ।

जनपद लखीमपुर खीरी, वक्फ संख्या 11 पर बिना अनुमति के पट्टे दिए जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

84–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ सं०–11 लखीमपुर खीरी में बिना अनुमति के पट्टे किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–3/11546/मथुरा/98, दिनांक 3-6-98 सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजा गजनफर अली खां–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्तर से प्रश्नगत वक्फ संख्या–11 पर से अनधिकृत कब्जों के विरुद्ध उ० प्र०, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 की धारा–49–बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी । तदनुसार कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद अनधिकृत कब्जे वालों ने कलेक्टर एवं वक्फ बोर्ड के विरुद्ध जिला जज, लखीमपुर खीरी के न्यायालय में अपीलें दायर की । जिला जज ने अपने निर्णय दिनांक 3-9-84 के अन्तर्गत अपीलों को स्वीकार करते हुए बोर्ड को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया ।

इस बीच मुतवल्ली की नियुक्ति की कार्यवाही आरम्भ हुई और श्री शकील अहमद को सिविल जज, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 5-8-92 को मुतवल्ली नियुक्त कर दिया ।

पुनः अप्रैल 1997 में नाजायज कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–2549 (एम०डी०)/96 में दिनांक 23-8-96 को वक्फ बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है ।

जनपद पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश लघु पन बिजली निगम द्वारा सुरिनगाड़ परियोजना में कुल उत्पादन, विद्युतीकृत गांवों की संख्या तथा सन् 2000 तक गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव

85–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लघु पन बिजली निगम द्वारा निर्मित जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी स्थित सुरिनगाड़ परियोजना से कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ? अब तक उक्त परियोजना से कुल कितने गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं ? वर्ष 1999-2000 में कितने अन्य गांव विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित पन बिजली गृह से वर्ष 1997-98 में 0.5096 मिलीयन यूनिट उत्पादन किया गया ।

जनवरी, 99 तक 49 ग्राम विद्युत प्राप्त कर रहे हैं ।

वर्ष 1999-2000 हेतु अभी तक योजना नहीं बनी है ।

जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी से बोगडयार तक के रज्जु मार्ग निर्माण की मांग

86–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी से बोगडयार नामक स्थान तक रज्जु मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों का अभाव ।

जिला अम्बेडकरनगर जहांगीरगंज, बाजार राजे सुल्तानपुर के गांवों के खराब विद्युत तारों को बदलवाने की मांग

87–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकर नगर स्थित, प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज, बाजार राजे सुल्तानपुर तथा उसके आस-पास के गांवों में जो बिजली के तार लगाये गये हैं, क्या वे जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको बदला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । कुछ स्थानों पर पुरानी लाइनों के तार जीर्णशीर्ण हो गये हैं ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुये एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता को ध्यान में रखते हुये कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के राजस्व रसीद बुकों को गायब कर लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री हरदेव सिंह, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत राजस्व रसीद बुकों को गायब कर परिषद् को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने सम्बन्धी श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 7-10-96 जो कि अध्यक्ष/सदस्य (वितरण)/सदस्य (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जांचोपरान्त पाया गया कि पूरी धनराशि जमा कर दी गई । धनराशि देर से जमा करने की अनियमितता पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया नगर पालिका परिषद् द्वारा बिना शासन की अनुमति के अवर अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति की जांच टेक्नीकल आडिट सेल से कराने की मांग

89–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् देवरिया में वर्ष 1998-99 में अभियंत्रण विभाग देवरिया से बिना शासन की अनुमति के कितने अवर अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति पर लाया गया और उनसे क्या कार्य कराया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि नगर पालिका परिषद् देवरिया में अनेकों अवर अभियंताओं को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनसे नगर पालिका में क्यों नहीं कार्य लिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी गलत तरीके से नगर परिषद् में आये अवर अभियंताओं के कार्य की जांच टेक्नीकल आडिट सेल से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, देवरिया में दो अवर अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से एक पद पर विभागीय अवर अभियन्ता कार्यरत है तथा दूसरे पद पर कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ता को अपने कार्य के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद्, देवरिया के कार्यों के सम्पादन हेतु सम्बद्ध किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गलत तरीके से कार्य कराये जाने की कोई शिकायत नहीं है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध विगत कई वर्षों में आर्थिक भ्रष्टाचार/प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी जांच करने वाले अधिकारियों के नाम तथा परिषद् को हुयी क्षति के सम्बन्ध में कार्यवाही

90–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका परिषद् देवरिया के अध्यक्ष द्वारा भारी आर्थिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में कितनी जांचें प्रारम्भ की गई ? क्या मंत्री जी जांच करने वाले अधिकारियों के नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी जांचें पूर्ण कर शासन को प्रेषित कर दी गई हैं ? क्या नगर पालिका परिषद् को हुई क्षति की भरपाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

4 (चार) जांचें प्रारम्भ की गई ।

प्रश्नगत चारों जांच जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से कराई जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2 (दो) ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अन्तर्गत जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पालिका परिषद् को हुयी क्षति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 10-3-99 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया नगर पालिका परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

92–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री दया शंकर एवं श्री हरदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् देवरिया में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अध्यक्ष के विरुद्ध श्री रामायण राव, पूर्व अध्यक्ष, नगर परिषद्, देवरिया का शपथ-पत्र दिनांक 15-6-98 जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? क्या मंत्री जी जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय श्री देवकृष्ण तिवारी द्वारा जांच आख्या अपने पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1999 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को प्रस्तुत की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायतकर्ता का शिकायती-शपथ–पत्र स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी को संबोधित होकर प्राप्त हुआ था इसलिए स्थानीय स्तर पर जांच की कार्यवाही की गयी है ।

जनपद देवरिया नगर पालिका परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने वाले अधिकारियों का विवरण तथा रिपोर्ट, सदन के पटल पर रखने की मांग

93–श्री हरदेव सिंह, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, देवरिया में वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दिसम्बर, 98 तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में आर्थिक भ्रष्टाचार व प्रशासनिक अनियमितता की कितनी जांचे किन-किन अधिकारियों द्वारा की गयी ? क्या सड़क अनुदान से कराये जा रहे घटिया निर्माण सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 10-1-99 जो कि नगर विकास मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् देवरिया में वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में विकास एवं लोकोपयोगी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक रही है ।

वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के कुल 4 (चार) प्रकरणों की जांच करायी गयी है । प्रश्नगत जांचों में वर्षवार क्रमशः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय देवरिया तथा अपर जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जांचें सम्पन्न की गयी ।

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त ही इस संबंध में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया नगर पालिका परिषद भुजौली, भरवलिया रोड की मरम्मत एवं पिच कार्य की जांच, टेक्नीकल आडिट सेल से कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

94–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् देवरिया द्वारा भुजौली रोड एवं भरवलिया रोड की मरम्मत एवं पिच कार्य का टेक्नीकल आडिट सेल से जांच कराने एवं भुगतान को रोकने संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 10-1-99 जो कि उन्हें संबोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जिलाधिकारी, देवरिया को प्रकरण में जांच के निर्देश दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

95–डा० मुस्लिम तथा श्री बावन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कतिपय बिन्दुओं पर विधान सभा सदस्य, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री शिव बहादुर सक्सेना,

श्री सूर्यभान सिंह आदि का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र संख्या 4950/वी० आई० पी०, 98 दि० 17-8-98 तथा पुनः सितम्बर/अक्टूबर, 1998 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक इन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री शिव बहादुर सक्सेना, श्री सूर्यभान सिंह आदि मा० सदस्य विधान सभा का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या–4950/वी०आई०पी०–98 दिनांक 17-8-98 प्राप्त नहीं हुआ है। डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का शिकायती-पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1998 प्राप्त हुआ है।

इस शिकायती-पत्र की पुष्टि मा० सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी से कराने पर उन्होंने यह सूचित किया है कि इस पत्र तथा इसकी विषय वस्तु से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके संज्ञान में प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अथवा जल निगम के अन्य किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रकरण कभी नहीं आया है और न ही उनके द्वारा कभी कोई शिकायत की गयी है।

वर्णित स्थिति में शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शिकायती-पत्र फर्जी है।

जनपद लखनऊ खन्धारी बाजार, लोध पुरवा जोन–1, नगर निगम द्वारा संचालित शौचालय व नालियों की मरम्मत कराने की मांग

96–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खान्धारी बाजार, लोध पुरवा जोन–1 लखनऊ में नगर निगम द्वारा संचालित शौचालय का निर्माण कितने वर्षों पूर्व कराया गया था ? क्या यह सच है कि उक्त शौचालय के दरवाजे, छत सोखपिट, टैंक व उक्त मोहल्ले की नाली खड़ंजा टूट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालय व नालियों की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लगभग 10 वर्ष पूर्व।

जी हां।

जी हां।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद्, तिलहर के कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती की धनराशि खातों में जमा कराने की मांग

97–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना''–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के कर्मचारियों का लगभग 10 वर्षों से उनके वेतन से भविष्य निधि, बोनस, महंगाई भत्ते की धनराशि की कटौती करने के उपरान्त भी उनके खातों में जमा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटौती की गयी धनराशि कर्मचारियों के खातों में जमा कराये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। भविष्य निधि की 4/91 से 3/92 तक तथा 10/97 से 2/99 तक की कटौती की धनराशि अंकन 4,20,044-00 चालू वर्ष में जमा की गयी है। बोनस व महंगाई भत्ते की किश्तों की धनराशि जमा होना शेष है।

धन उपलब्ध होने पर समस्त देय धनराशि जमा कर दी जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित लोहिया हेड पावर हाउस की विद्युत उत्पादन क्षमता तथा उसे पुनः संचालित कराने की मांग

98–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में स्थित लोहिया हेड पावर हाउस की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त पावर हाउस काफी दिनों से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उक्त पावर हाउस को संचालित किए जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऊधम सिंह नगर में स्थित लोहिया हेड (खटीमा) विद्युत गृह की विद्युत उत्पादन क्षमता 41.4 मेगावाट है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस विद्युत गृह की तीनों इकाईयां संतोषजनक रूप से विद्युत उत्पादन कर रही हैं ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम असौसा में बेसो नदी पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि निर्गत करने की जानकारी

99–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल के राज्य सेक्टर से ग्राम असौसा में बेसो नदी पर स्वीकृत पुल हेतु धन निर्गत हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शासनादेश संख्या 1116/35-5-98-8(98)97-135 दिनांक 10-6-98 द्वारा ग्राम असौसा में बेसो नदी पर पुल निर्माण हेतु रु० 12.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

100–श्री नरेन्द्र सिंह–

16वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।

जनपद आजमगढ़ के मेहनाजपुर चिरैयाकोट मार्ग से तियरा होते हुए पखखनपुर सरहद तक मार्गों के सुन्दरीकरण हेतु गत वर्ष स्वीकृत धन की निर्गत की जानकारी

101–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल के राज्य सेक्टर से मेहनाजपुर चिरैयाकोट मार्ग से तियरा होते हुये पखखनपुर तक मार्ग के सुन्दरीकरण हेतु स्वीकृत धन सत्र 1998–99 में निर्गत हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1116/35-5-98-8-(98)97-135 दिनांक 10-6-98 द्वारा मेहनाजपुर चिरैयाकोट मार्ग से तियरा होते हुए पखखनपुर सरहद तक मार्ग हेतु रु० 12.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

जनपद उन्नाव 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र बीघापुर की खराब तीन ट्रालियों को बदलवाने की मांग

102–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बीघापुर जनपद उन्नाव में चार ट्रालियों में से तीन ट्रालियां कई माह से खराब चल रही है ? यदि हां, तो क्या इन तीनों खराब ट्रालियों को बदलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र में तीन नग स्विच गियर अत्यन्त पुराने एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण खराब हो गये हैं ।

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं कार्यों की वरीयता क्रम के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर, विकास प्राधिकरण के नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर दोषी कर्मचारियों को समान दण्ड देने की जानकारी

103–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर के आदेश संख्या : 714/का०वि०प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 एवं आदेश संख्या 716/का० वि०प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से कौन-कौन आरोप सही पाये गये ? क्या समान आरोप के लिए दोषी कर्मचारियों को एक समान ही दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

आदेश सं०–714/का० वि० प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 एवं आदेश संख्या-716/का० वि० प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 आरोप-पत्र नहीं थे बल्कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा दिये गये दण्डादेश थे । आदेश संख्या 714/का०वि०प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 में अर्न्तग्रस्त व्यक्ति श्री एस० वी० गुप्ता, सहायक लेखाकार के विरुद्ध कर्तव्यों के लापरवाही एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन न करने के आरोप सही पाये गये । आदेश संख्या–716/का०वि०प्रा०/98-99 दिनांक 10-7-98 में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति श्री अजय निगम, द्वितीय श्रेणी लिपिक के विरुद्ध जानबूझ कर कर्तव्यों की उपेक्षा करने, निजी स्वार्थवश दुरभिसंधि करने, भ्रष्ट आचरण कर क्षति पहुंचाने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का आरोप सही पाया गया ।

जी नहीं ।

आरोपित कर्मचारियों को अलग-अलग आरोप-पत्र जारी किये गये थे एवं आरोपों में भिन्नता भी थी । आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग दण्ड दिये गये ।

जनपद लखनऊ, मोतीझील पांडेय तालाब कालोनी स्थित देव लोक मंदिर पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग

104–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील पाण्डेय तालाब कालोनी लखनऊ में स्थित देवलोक मन्दिर के बायीं ओर पर निर्मित भवन का अवैध निर्माण तथा दाहिने साइड पर एल० डी० ए० द्वारा निर्मित भवन के स्वामी द्वारा अतिक्रमण करके भवन का विस्तार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिये विधि अनुसार उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दी गयी है । न्यायालय विहित प्राधिकारी द्वारा पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण व दोष के आधार पर प्रकरण में ध्वंसादेश जारी किये जाने की दशा में ध्वस्त किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य के अधिकारी/कर्मचारियों से मैदानी क्षेत्र आने हेतु मांगे गये प्रस्ताव की जानकारी

105–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य में कार्यरत हैं क्या उन सभी से मैदान में वापस आने के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या उनसे प्रस्ताव मांगे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर, ग्राम मोहद्दीनपुर रानीगंज की खातून निशा की शिकायत पर जांच तथा कार्यवाही की जानकारी

106–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खातून निशां पत्नी रहीशत खान, ग्राम–मोहद्दीनपुर रानीगंज, सुल्तानपुर द्वारा की गयी शिकायत जिसकी जांच पत्रांक–4153 दि०वि० ख०ज०सु० दिनांक 10-11-98 द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रथम) वि०वि० अमेठी को सौंपी गयी है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसके जांच बिन्दु क्या हैं तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सहायक अभियन्ता की जांच आख्या के अनुसार शिकायतकर्ता के अभियोग की पुष्टि नहीं हुई । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जांच का बिन्दु निम्न था :–

क्या लाईन मैन मो० कलीम ने मोहम्मद जमा खां, मोहद्दीनपुर से रु० 12000/- लिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर "ओ" ब्लाक, किदवई नगर, भूखण्ड संख्या 557 के निबन्धन की कार्यवाही में अनियमितता के आरोप में कर्मचारियों की बहाली की मांग

107–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'ओ' ब्लाक किदवई नगर, सब्जी मण्डी कानपुर स्थित भूखण्ड संख्या 557 के निबन्धन की कार्यवाही में अनियमितता बरतने के आरोप में कुछ कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्ड का निबन्धन सही होने की दशा में क्या सरकार आरोपित कर्मचारियों को सेवा में बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible] :-

जी हां।

प्रश्नांकित अधिकारी अकेन्द्रीयित पद के पदधारक है, अतः उनके सेवा सम्बन्धी समस्त निर्णय संबंधित अधिकरण द्वारा ही लिये जाते हैं।

सवाल संख्या 108

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में मा० उच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की प्रगति रिपोर्ट एवं सदस्यों पर प्रतिमाह व्यय के विवरण की जानकारी

108–श्री [illegible] सिंह [illegible]–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की दिसम्बर, 1998 तक किन-किन तिथियों में बैठक हुई ? क्या यह सत्य है कि राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा हाई पावर कमेटी को सहयोग नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो दिसम्बर, 1998 तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 10-1-99 तक हाई पावर कमेटी के सदस्यों पर विद्युत परिषद् ने माहवार कितना-कितना मदवार व्यय किया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हाई पावर कमेटी का गठन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत नहीं किया गया अपितु इस समिति का गठन मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 79/97 में इंगित प्रकरणों की जांच हेतु किया गया है। हाई पावर कमेटी की निम्न तिथियों में बैठक आहूत की गयी जिनमें परिषद् के अध्यक्ष को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया :–

1—15-04-98

2—23-04-98

3—01-09-98

4—05-10-98

जी नहीं। हाई पावर कमेटी को परिषद् स्तर से यथावांछित सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 162 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, मुख्य अभियन्ता (लेखा) लखनऊ के वेतन रजिस्टर गायब करने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों की सूची, प्रोन्नति विवरण सहित सदन के पटल पर रखने की मांग

109–श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–84 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, 3/40 वजीर हसन रोड, लखनऊ के पत्र सं०–4192-मु०क्षे०अ० ल०/16 ई–81 दिनांक 13-7-83 का पत्र सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी मेसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी, लखनऊ को लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपियां भी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी 24 अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के नाम पदनाम, तैनाती स्थान एवं सेवानिवृत्त की तिथि भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो

क्यों ? परिषद् को हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी ? क्या इसमें दोषी अधिकारियों को ही लगातार प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित/अपेक्षित पत्रों की प्रतियां एवं 24 अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की सूची* सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय) लेसू, लखनऊ के अधीन तैनात कैशियर स्व० श्री जगदीश बिहारी की मृत्यु दिनांक 24-9-91 को होने के उपरान्त कैश बैलेन्स की उपलब्धता एवं तत्पश्चात् किये गये विशेष सम्प्रेक्षा के आधार पर स्व० श्री जगदीश बिहारी द्वारा परीषदीय धन का गबन किये जाने का मामला उजागर हुआ तथा उनके विरुद्ध रु० 8,46,563.14 का प्रकीर्ण डाला गया । इस संबंध में मैसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, लखनऊ के समक्ष उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया दावा दीर्घकाल से अनिर्णीत है । विधिक राय के अनुसार मृतक के पावकों अथवा सम्पत्ति से अग्रिम प्रकीर्ण की वसूली नहीं की जा सकती है । जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये अधिकारियों को उनके द्वारा की गई अनियमितता पर विचार कर उनकी निर्लिप्तता के अनुसार सम्यक् दण्ड के आदेश दिये गये हैं । जहां तक उन्हें लगातार प्रोन्नति दिये जाने का प्रश्न है उन्हें प्रोन्नतियां परिषद् के नियमों के अनुसार ही प्रदान की गई है ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के लोहाघाट नगर पंचायत में विवादास्पद नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर दरें संशोधित किये जाने की जानकारी

110–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के लिये नजूल भूमि फ्री-होल्ड कराने के लिये वर्ष 1991 की दरें निर्धारित की गयी हैं ? क्या यह सही है कि लोहाघाट नगर पंचायत अन्तर्गत नजूल काफी विवादास्पद, उलझाव पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या वहां भूमि फ्री-होल्ड किये जाने हेतु निर्धारित दरें संशोधित की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश के समस्त जनपदों में जहां नजूल भूमि उपलब्ध है वहां शासनादेश संख्या–2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 द्वारा नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के संदर्भ में आवासीय भूमि के लिये दिनांक 30-11-91 के सर्किल रेट का 40 प्रतिशत एवं अनावासीय भूमि के लिये दिनांक 30-11-91 के सर्किल रेट का 60 प्रतिशत दर निर्धारित की गयी है । जो प्रदेश के सभी जनपदों के लिये सामान्य रूप से निर्धारित एवं प्रभावी है ।

लोहाघाट क्षेत्र जनपद चम्पावत के अन्तर्गत आता है और जनपद चम्पावत में नजूल भूमि नहीं है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत उपकरण एवं सामान क्रय करने हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल एवं विगत वर्षों में सप्लाई वायर खरीद फर्मों की जानकारी

111–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत के उपकरण एवं सामान खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सेन्ट्रल परचेज कमेटी/मम्बर परचेज कमेटी एवं मुख्य अभियन्ता क्रय/कार्य समिति के अधिकारियों द्वारा घटिया सामान खरीदने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

---

* छापी नहीं गई ।

मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) कितना टन जी० आई० तार एवं जी०एस०एस० वायर की खरीद की गई और कहां-कहां सप्लाई की गई ? क्या मंत्री जी उपरोक्त वर्षों में टेण्डर में भाग लेने वाले फर्मों के नाम पता भी बतायेंगे और यह भी बतायेंगे कि क्या ये समस्त फर्में मैन्यूफैक्चरर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सामग्री प्रबन्ध संगठन में विद्युत उपकरण एवं सामान की खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है । जिस हेतु फर्म द्वारा सामग्री की प्रस्तुत मात्रा को भेजने से पूर्व निरीक्षण इन्स्पेक्शन संगठन के एक प्रतिनिधि तथा सामग्री प्रबन्ध संगठन के एक प्रतिनिधि की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाता है तथा क्रयादेश में उल्लिखित समस्त तकनीकी आवश्यकतायें पूरी पाये जाने पर ही सामान को भेजने हेतु विक्रेता को अधिकृत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996-97, 97-98 एवं 98-99 (दिसम्बर, 98 तक) में जी० आई० तथा जी० एस० एस० तार की खरीद हेतु क्रयादेशित मात्रा (मी० टन) निम्नवत् है :–

वर्ष	जी० आई० तार	जी० एस० एस० तार
1996-97	2960	1120
1997-98	शून्य	शून्य
1998-99 (दिसम्बर, 98 तक)	[illegible]	2294

सप्लाई का विवरण संलग्नक [illegible] में दर्शाया गया है ।

उपरोक्त वर्षों में टेण्डर में भाग लेने वाली फर्मों [illegible] और पता संलग्नक–[illegible] में दर्शाया गया है ।

समस्त फर्में मैन्यूफैक्चरर अथवा मैन्यूफैक्चरर के अधिकृत एजेण्ट हैं ।

मानक शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता मैन्यूफैक्चरर अथवा मैन्यूफैक्चरर का अधिकृत एजेण्ट हो सकता है ।

112–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।

जनपद चम्पावत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान में भवन निर्माण की मांग

113–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेतीखान, जनपद–चम्पावत के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस भवन का निर्माण कब से आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया ।

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के अभाव के कारण ।

जनपद जौनपुर विद्युत प्रेषण खण्ड के उपकेन्द्रों पर उप केन्द्र परिचालकों के स्वीकृत पदों की संख्या/तैनाती के साथ स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने का औचित्य

114–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत विभिन्न उप केन्द्रों पर उप केन्द्र परिचालकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और विभिन्न उपकेन्द्रों पर कुल कितने-कितने उपकेन्द्र परिचालक तैनात हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता,विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के पत्रांक : 3521/वि०प्रे०म०(आ)/15 जी–1/दिनांक 15-9-97 द्वारा स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका आधार एवं औचित्य क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पारेषण पूर्व संगठन, इलाहाबाद के अधीनस्थ विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों पर कुल 20 पद उपकेन्द्र परिचालक के स्वीकृत हैं तथा उसके विरुद्ध विभिन्न उपकेन्द्रों पर कुल 20 उपकेन्द्र परिचालक तैनात हैं ।

जी हां ।

औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिये परिषदीय हित में स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये ।

प्रदेश में अघोषित अल्पसंख्यक अरबी मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग को सौंपे जाने के कारणों की जानकारी

115–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अरबी मदरसे किस राजाज्ञा के द्वारा तथा कब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के रूप में घोषित किये गये हैं तथा अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं जिन्हें स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक संस्थाऐं घोषित किया गया है । उन शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानान्तरित न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या प्रदेश के अरबी मदरसे विधिवत रूप से अल्पसंख्यक संस्था घोषित नहीं हैं ? यदि हां, तो उन शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक विभाग को सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजा गजनफर अली खां–

किसी भी राजाज्ञा द्वारा मदरसों को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित नहीं किया गया है । अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिये जाने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा वित्तीय व्यय वहन करने का अधिकार शिक्षा विभाग को है । इस कारण से इन संस्थाओं को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानान्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अरबी फारसी मदरसे पूर्णतया मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित है और इनका उद्देश्य अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा, मुस्लिम संस्कृति की सुरक्षा आदि है । इसलिये संवैधानिक रूप से ये संस्थायें जन्मजात अल्पसंख्यक संस्थायें हैं ।

अरबी, फारसी मदरसों के पाठ्यक्रम निर्धारण, मान्यता, अनुदान सूची पर लिये जाने, शिक्षकों की अर्हताओं का निर्धारण एवं उनका परीक्षण इत्यादि हेतु सक्षम प्राधिकारी-निरीक्षक अरबी-फारसी मदरसा,

उ० प्र० एवं पदेन रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षाएं, उ० प्र० हैं और यह कार्यालय पूर्णरूपेण अल्पसंख्यक विभाग को स्थानान्तरित किया जा चुका है इसलिये मदरसों पर पूर्ण नियंत्रण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ही रहने का औचित्य है ।

पालिका सेवा के अवर/सहायक/अधिशासी अभियन्ताओं को विकास प्राधिकरणों से उनके पैत्रिक विभाग वापस भेजने की मांग

116–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालिका सेवा के कितने अधिशासी/सहायक एवं अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरणों में कार्यरत हैं ? इनको प्राधिकरण सेवा में रखने का औचित्य क्या है ? क्या इन्हें इनके पैत्रक विभाग में वापस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

1–पालिका केन्द्रीयित सेवा के 07 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता तथा 91 अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरणों में कार्यरत हैं ।

2–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–59(4) के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण के गठन के समय उस नगर की नगर महापालिका, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में आता था, के अधिष्ठान के समस्त पद जो पालिका केन्द्रीयित सेवा द्वारा नियंत्रित थे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो गये एवं ऐसे पद पालिका केन्द्रीयित सेवाओं के सदस्यों द्वारा उसी प्रकार भरे जाते रहे जिस प्रकार वे भरे जाते यदि वे प्राधिकरण को अन्तरित न किये गये होते । अधिनियम की उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत तथा जनहित में प्रतिनियुक्ति पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के अधिकारीगण विकास प्राधिकरणों में कार्यरत हैं ।

3–उपरोक्त संदर्भित धारा–59(4) के प्राविधान के अन्तर्गत तैनाती वैधानिक व्यवस्था है । जनहित में प्रतिनियुक्तियां आवश्यकता रहने तक जारी रहेंगी ।

उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक/अवर अभियन्ताओं की नियमित नियुक्ति करने की जानकारी

117–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर सहायक एवं अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति नियमानुकूल है ? यदि हां, तो इनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें सेवा से पृथक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन अभियन्ताओं द्वारा विभाग में की गयी सेवा को देखते हुये इनकी नियमित नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

तत्समय इन व्यक्तियों को प्राधिकरण स्तर पर कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर मात्र दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर बिना पदों की शासकीय स्वीकृति/अनुमोदन के रख लिया गया, जबकि सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पद नियमित संवर्ग के पद हैं । सहायक अभियन्ता के उपलब्ध पदों के सापेक्ष नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था के क्रम में विनियमितीकरण किया जा चुका है । अवर

अभियन्ताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण के संबंध में मा० उच्च न्यायलय के समक्ष प्रकरण लम्बित रहने के कारण अग्रिम कार्यवाही बाधित है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखनऊ नगर निगम में पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु तैनात अधिकारी/कर्मचारी का विवरण तथा पानी लीकेज को ठीक कराने हेतु प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

118–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितने पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु तैनात हैं ? क्या मंत्री जी अलग-अलग पदों का विवरण बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय सभासदों द्वारा पत्र लिखने पर भी पानी के लीकेज को ठीक नहीं किया जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल सभासद का पत्र दिनांक 30-8-98 जो नगर प्रमुख, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कितने समय बाद समस्या का निदान किया गया ? क्या मंत्री जी इस लापरवाही हेतु दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ में 6032 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से 299 पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु तैनात है ।

पदों के विवरण की सूची उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पानी का लीकेज सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर ठीक किये जाने के निर्देश शासन द्वारा महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ को दिये गये हैं ।

जी हां ।

श्री राम रोड तिराहे पर नीम के पेड़ के नीचे ट्रान्सफार्मर के पास लीकेज की मरम्मत करा दी गयी है ।

हनुमान सेतु पुल के नीचे से एक पुरानी 16" की पाइप लाइन लगी हुयी है, जिसमें जल रिसाव है । यह कार्य विशेष तकनीक से सम्बद्ध होने के कारण अभी पूर्ण नहीं कराया जा सका है ।

जी नहीं ।

सम्प्रति औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न जनपदों के अभियन्ताओं द्वारा विगत वर्षों में की गई यात्राओं के विवरण की जानकारी

119–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा यात्रा के पूर्व अपनी-अपनी यात्राओं का यात्रा प्रोग्राम पूर्व में प्रेषित कर यात्रायें की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व, इलाहाबाद तथा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण/वितरण मण्डल आजमगढ़ इलाहाबाद–जौनपुर के द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996 से अब तक कुल कितनी यात्रायें की गयी तथा यात्रा भत्ता के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान

प्राप्त किया गया और इन्हीं माह में यात्रा के प्रयोग में लाये गये परिषदीय वाहनों पर अनुरक्षण/तेल आदि मदों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या उक्त यात्राओं का पूर्व प्रोग्राम प्रेषित था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषद् में अधिकारी अपनी यात्रायें अपने नियंत्रक अधिकारी के संज्ञान में लाकर ही करते हैं।

प्रश्नगत अधिकारियों द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण संलग्न है।

यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त भुगतान एवं परिषदीय वाहनों के अनुरक्षण/तेल आदि पर व्यय का विवरण संलग्न है।

यात्रायें नियंत्रक अधिकारी के संज्ञान में लाकर ही की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 163 पर।)

मुख्य अभियन्ता विद्युत के पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त करने एवं अनपारा ताप विद्युत गृह सोनभद्र के चार अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

120–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा श्री राम आसरे वर्मा के उपरिपत्र सहित श्री रूप चन्द्र के प्रकरण के तत्समान मुख्य अभियन्ता विद्युत के पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त करते हुये अनपरा ताप विद्युत गृह, सोनभद्र में श्री राम भरत राम सहित अन्य चार अधिशासी अभियन्ताओं की मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाने विषयक पत्र माह सितम्बर, 1998 के प्रथम पाक्षिक में सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 9-10-98 को मूलरूप में अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई नगर पालिका परिषद् मल्लावां के प्रत्येक वार्ड में इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने की मांग

121–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां नगर पालिका परिषद् मल्लावां की आबादी लगभग 60 से 70 हजार की है ? क्या नगर में जनता को पीने के लिये पानी आवश्यकतानुसार नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक वार्ड में दस-दस इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं। नगर पालिका परिषद्, मल्लावां की वर्तमान जनसंख्या लगभग 35,000 है।

नगर पालिका परिषद् में एक नलकूप एवं 113 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों से जनता को पीने के लिये पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्नगत क्षेत्र में अतिरिक्त हैण्डपम्प वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर अधिष्ठापित कराये जायेंगे। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर विगत वर्ष पूर्वांचल विकास निधि में जिलांश/राज्यांश का अनुपात तथा पी० एल० ए० में सुरक्षित धनराशि के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी

122—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर पूर्वांचल विकास निधि में सम्मिलित है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में जिले को कितनी धनराशि इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी ? धनराशि में जिलांश एवं राज्यांश का अनुपात क्या है ? क्या यह नहीं है कि इस योजना की धनराशि पी० एल० ए० में सुरक्षित है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पांडेय–

जी हां।

वर्ष 1997-98 में जनपद फतेहपुर को पूर्वांचल विकास योजना के अन्तर्गत कुल रु० 220.18 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। इस स्वीकृत धनराशि में जिलांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 69:31 है।

जी नहीं।

पी० एल० ए० में सुरक्षित धनराशि के उपभोग की अंतिम समय सीमा 30-9-98 थी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, शारदा नहर आवासीय योजना, रजनीखण्ड स्थित पार्क के चारों ओर सड़कों के पुनः निर्माण की मांग

123—श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत रजनी खण्ड स्थित पार्क, (भूखण्ड संख्या 3/227 से 3/230 के सामने) के चारों ओर की सड़कों तथा उससे सम्बद्ध मुख्य सड़कें जो वर्षा ऋतु में पूर्णतः नष्ट हो गयी हैं उनका पुनः निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उनका पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं। उक्त सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

प्राधिकरण द्वारा कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् 800 के० वी० आनपारा-उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण हेतु ठेकेदारों के कृत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं ओ० ई० सी० एफ० जापान द्वारा ठेकेदारों के भुगतान की जानकारी

124—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा–उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन, जो निर्माणाधीन है, के किन-किन कार्यों को किन-किन ठेकेदारों से कराया जा रहा है तथा दिसम्बर, 1998 तक अलग-अलग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ओ० ई० सी० एफ० जापान ने दिसम्बर, 1998 तक ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया है तथा कितने मामले में भुगतान में विलम्बित किया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

(18) के० पी० अनपारा उन्नाव लाइन का निर्माण दो खण्डों अर्थात अनपारा-झूंसी एवं झूंसी उन्नाव में कराया जा रहा है । उपरोक्त दोनों खण्डों में होने वाले विभिन्न कार्यों का विवरण ठेकेदारों के नाम तथा उनकी दिसम्बर तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	दिसम्बर, 1998 तक की प्रगति
1	अनपारा-झूंसी सेक्शन हेतु टावरों की आपूर्ति एवं लाइन का निर्माण	मे० हुण्डई इन्जीनियरिंग एण्ड कांस्ट्रक्शन कं० लि० कोरिया ।	टावर आपूर्ति 100% टावर खड़े करना 88.4% तार खींचना 55.0%
2	झूंसी-उन्नाव सेक्शन हेतु टावरों की आपूर्ति एवं लाइन का निर्माण	मे० आर०पी०जी० ट्रांसमीशन लि० दिल्ली ।	टावर आपूर्ति 100% टावर खड़े करना 97.2% तार खींचना 77.1%
3	अनपारा-झूंसी सेक्शन हेतु कन्डक्टर, अर्थवायर एवं उनके एसेसरीज की आपूर्ति	मे० मिडाल केबुल्स लि० बहरिन ।	आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है ।
4	झूंसी-उन्नाव सेक्शन हेतु कन्डक्टर अर्थवायर एवं उनके एसेसरीज की आपूर्ति ।	मे० अपार लि० वडोडरा ।	आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है ।
5	दोनों खण्डों हेतु इन्सूलेटर एवं हार्ड वेयर की आपूर्ति ।	मे० मित्सुई एण्ड कं० लि० जापान ।	आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है ।
6	अनपारा-उन्नाव लाइन हेतु परामर्श सेवायें ।	मे० टेपस्को जापान व० मे० टाटा कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स मुम्बई ।	परामर्श सेवायें लाइन के ऊर्जीकृत होने तक चालू रहेगी । दिसम्बर तक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत ।

ओ० ई० सी० एफ० जापान द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को दिसम्बर, 1998 तक किये जाने वाले भुगतान का विवरण निम्न है :–

क्र०सं०	ठेकेदार का नाम	दिसम्बर तक किया जाने वाला भुगतान (रु०)
1	मे० हुण्डई इन्जीनियरिंग एण्ड कान्सट्रक्शन कं० लि० कोरिया ।	74,33,32,109/-
2	मे० आर० पी० जी० ट्रान्समीशन लि० दिल्ली ।	67,77,21,817/-
3	मे० मिडाल केबुल्स लि० बहरिन	42,80,48,236/-
4	मे० अपार लि० बडोदरा	56,53,60,956/-
5	मे० मित्सुई एण्ड कं० लि० जापान	51,56,43,750/-
6	मे० टेपस्को जापान व मे० टाटा कन्सल्टिंग इंजीनियर्स, मुम्बई ।	16,37,26,548/-

ओ० ई० सी० एफ० द्वारा ठेकेदारों के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं किया गया है ।

नगर निगम, लखनऊ में सड़क बनाने हेतु पेवर मशीन का किराया वसूल करने संबंधी पत्र एवम् कृत कार्यवाही

125—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में सड़क बनाने की पेवर मशीन का किराया वसूल करने संबंधी श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 27-2-97, जो कि नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पेवर मशीन का आपरेशनल कठिनाई के कारण उपयोग न होने की स्थिति में किराया वसूल करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद फतेहपुर टाउन एरिया खागा को नगर पंचायत बनाने का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

126—श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-फतेहपुर के खागा टाउन एरिया को नगर पंचायत बनाने हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो खागा को नगर पंचायत का दर्जा कब तक प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शासनादेश संख्या–965/9-6-95-दिनांक 31 मार्च, 1995 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–12 सन् 1994) एवं उ० प्र० नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 1995 (उ० प्र० अध्यादेश संख्या–15 सन् 1995) जिसे 30-5-1994 से प्रभावी किया गया है, के अनुसार प्रदेश की सभी टाउन एरिया कमेटियां नगर पंचायत घोषित की गयी हैं, जिसमें टाउन एरिया खागा भी शामिल है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 16-3-99 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित]

128—श्री छब्बू पटेल–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद मेरठ, विकास प्राधिकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के वेतन का भुगतान किए जाने एवं अन्य विकास प्राधिकरणों पर लागू किए जाने की जानकारी

129—श्री छब्बू पटेल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक/अवर अभियन्ताओं द्वारा नियमितीकरण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका संख्या 853/91 रामाकृष्ण बनाम यूनियन आफ इण्डिया दाखिल की गयी थी ? यदि

हां, तो क्या उक्त याचिका में पारित निर्णय को अन्य विकास प्राधिकरणों पर लागू कर दिनांक 21, 22, 23 फरवरी, 1997 को अवर अभियन्ताओं के पद पर नियमितीकरण हेतु साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो क्या मेरठ विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं को मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे अन्य विकास प्राधिकरणों पर भी लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मा० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या–8403–06/92 मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम मुकेश अग्रवाल व अन्य एवं विशेष अनुमति याचिका संख्या 7689–7679, 7704 एवं 7705/97 निशारुद्दीन सिद्दीकी व अन्य बनाम मेरठ विकास प्राधिकरण में पारित आदेश, जो केवल मेरठ विकास प्राधिकरण तथा सम्बन्धित पक्षकारों को लेकर है, के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण के स्तर से वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं को न्यूनतम वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जा रहा है ।

जी नहीं । शासन द्वारा इसे अन्य विकास प्राधिकरणों पर लागू किये जाने का कोई निर्णय नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कुशीनगर, सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग को विभाग में व्याप्त गड़बड़ी सुधारने हेतु प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

130—श्री दीप लाल भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-8-98 से 1-1-99 तक सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग, कुशीनगर को कुल 17 पत्र विद्युत विभाग में व्याप्त गड़बड़ी को सुधारने तथा अन्य जानकारी हेतु भेजे थे प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मा० विधायक जी से 6-8-98 से दि० 1-1-99 तक चार पत्र प्राप्त हुए हैं ।

प्रथम पत्र जो कि अवर अभियन्ता विद्युत उपकेन्द्र कोटवा के विरुद्ध उपकेन्द्र पर न रहने व अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के संबंध में है, के संदर्भ में प्रकरण की जांच की जा रही है तथा जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

द्वितीय पत्र दि० 30-10-98 में मा० विधायक द्वारा ग्राम धोधरही के विद्युतीकरण हेतु लिखा गया था । इस संबंध में यह सूचनीय है कि उक्त ग्राम विधायक कोटा में चयनित है तथा विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

तृतीय पत्र दि० 22-11-98 में ग्राम नवलछपरा के टोला लंगड़ी के विद्युतीकरण हेतु माननीय विधायक द्वारा लिखा गया है । इस संबंध में यह सूचनीय है कि यह ग्राम चयनित नहीं है तथा मा० विधायक ने भी अपने द्वारा अनुमोदित पांच ग्रामों की सूची में इस ग्राम को नहीं दिया है । अतः उक्त ग्राम का विद्युतीकरण इस वर्ष सम्भव नहीं है । चतुर्थ पत्र दि० 1-1-99 में मा० विधायक जी ने वर्ष 1998-99 में पांच ग्राम (खोटही धोधरही बिहारी छपरा रामधुर खोपा एवं भैंसहा) के विद्युतीकरण हेतु लिखा था । इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि उक्त पांचों ग्रामों का प्राक्कलन स्वीकृति है तथा विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, कस्बा सिधौली, मोहल्ला सन्त नगर में विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने की जानकारी

131—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली के मोहल्ला–सन्तनगर में विद्युतीकरण के संबंध में शासन द्वारा खम्भें स्थापित करने हेतु नपाई एवं निशान की प्रक्रिया की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? क्या सरकार द्वारा उक्त विद्युतीकरण हेतु बजट आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरीय क्षेत्र हेतु कोई भी धन शासन से निर्गत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन प्राप्त न होने के कारण ।

जनपद फतेहपुर, किशुनपुर क्षेत्र के शेष गांवों में विद्युतीकरण की मांग

132—श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के 282 किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं और कितने ग्राम 1993 से अब तक विद्युतीकरण किये गये हैं ? क्या शेष ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद फतेहपुर के किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के 105 ग्रामों में से 88 ग्राम विद्युतीकरण से वंचित है । वर्ष 1993 से फरवरी, 99 तक 17 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ।

शेष ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 98-99 में 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है ।

बाकी बचे 83 ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में लक्ष्यों के अनुरूप धन की उपलब्धता के अनुसार जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनोपरान्त किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के रजनी खण्ड के भू-खण्डों पर पेयजल आपूर्ति एवं सीवर लाइनें चालू कराने की मांग

133—श्री अकबर हुसैन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रजनी खण्ड के भूखण्ड संख्या–3/227 से 3/242, 3/237 से 3/286, 3/207 से 3/226 तथा 3/176 से 3/196 में पेयजल की आपूर्ति एवं सीवर हेतु पाइप लाइनें चालू कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो यह कब तक चालू कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड के ब्लाक डी–1 के मकान के पास सड़क पक्की कर, पानी के निकासी की मांग

134—श्री मुरलीधर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड के ब्लाक डी-1 के मकान नं०– एम०एम० 303 से लेकर 330 तक सड़क कच्ची होने के कारण वहां पर जल भराव बना रहता है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क को लेपन स्तर तक पक्की करके पानी की निकासी सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां । सड़क लगभग 12–14 वर्ष पूर्व पक्की बनायी गई थी, आवंटियों के लगातार प्रयोग करने व सड़क पर अपने घरों के सामने मिट्टी डालकर ऊंचा करने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसे सुधार हेतु निविदायें मांगी जा चुकी हैं पत्रावली स्वीकृति की प्रक्रिया में है । प्रश्नगत कार्य की निविदा मांगी जा चुकी है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है एवं आवंटियों द्वारा अपने भवन के सामने एकत्रित की गई मिट्टी के हटाये जाने के पश्चात् कार्य का सम्पादन सुनिश्चित हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद संत रविदास नगर, गोपीगंज, नगर पंचायत परिषद् में पेयजल समस्या के समाधान की मांग

135—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में गोपीगंज नगर पंचायत परिषद् में पेयजल समस्या को दूर करने के लिये थाना परिसर गोपीगंज में बने हुए नलकूप पर टंकी बनाकर उक्त समस्या का समाधान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

योजना के पुनर्गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने एवं धन की उपलब्धता पर यह निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत जिला पंचायत कार्यालय लोहाघाट में खोलने का प्रस्ताव

136—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये जनपदों के निर्माण में आ रहे भारी वित्तीय भार को देखते हुए जिला चम्पावत का जिला पंचायत कार्यालय लोहाघाट खोले जाने के संदर्भ में नगर पंचायत लोहाघाट का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल, हेंवल नदी में बाढ़ से नदी के किनारे स्थित मछली तालाब बहने एवं पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की मांग

137—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला–टिहरी गढ़वाल की हेंवल नदी में बाढ़ से नदी के किनारे स्थित समस्त मछली तालाब बह गये हैं ? यदि हां, तो क्या तालाबों के पुनर्निर्माण हेतु प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जनपद टिहरी गढ़वाल की हेंवल नदी के किनारे केवल ग्राम पाली स्थित तालाब क्षतिग्रस्त हुआ है ।

जी नहीं ।

मत्स्य विभाग में तालाब के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

138—श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 26-2-99 को अता० प्र० सं०–122 द्वारा उत्तरित]

139—श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 26-2-99 को अता० प्र० सं०–121 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत एवम् सम्बद्ध पदों पर कार्यरत अभियन्ताओं की संख्या तथा सम्बद्धता समाप्त करने का प्रकरण

140—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैं ? उसमें से कितने अभियन्ता सम्बद्ध पदों पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार सम्बद्ध पदों पर कार्यरत अभियन्ताओं की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सहायता अभियन्ता–	2835
अधिशासी अभियन्ता–	1080
अधीक्षण अभियन्ता–	276
मुख्य अभियन्ता–	69
सहायता अभियन्ता–	1281
अधिशासी अभियन्ता–	701
अधीक्षण अभियन्ता–	92
मुख्य अभियन्ता–	9

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परियोजनाओं में पाली, परिकल्पन इकाईयों तथा अन्य इकाईयों के प्रमुखों के कार्यालयों में विभिन्न प्रशासनिक तथा तकनीकी एवम् अनुश्रवण के कार्यों में इकाई प्रमुख की सहायता हेतु अन्य अभियन्ताओं की आवश्यकता होती है जिस कारण सम्बद्ध पदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

जनपद सोनभद्र ग्राम डिबुलगंज पोस्ट अनपरा का सुन्दरीकरण एवं विकास हेतु उपलब्ध धनराशि के भौतिक सत्यापन की मांग

141–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ग्राम डिबुलगंज पो०–अनपरा, जिला–सोनभद्र के सुन्दरीकरण एवं विकास के लिये दी गयी धनराशि रुपये 2.00 करोड़ कब-कब प्राप्त हुई तथा उसके व्यय का विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा फर्जी कार्य दिखाकर उक्त धनराशि हड़प ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम–डिबुलगंज, पो०–अनपरा जिला–सोनभद्र के सुन्दरीकरण एवं विकास के लिये अलग से कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की गयी है । अनपरा विद्युत गृह में डिबुलगंज विस्थापित क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने यथा पानी की टंकी की मरम्मत, नालियों का निर्माण, प्राइमरी स्कूल में जनपदीय कार्य, सड़क का निर्माण, हैण्ड पम्प लगाने का कार्य एवं अन्य विकास के कार्यों में वर्ष 1981 से अब तक परियोजना के अन्य मदों जैसे कि निर्माण एवं अनुरक्षण के फण्ड से उपलब्धतानुसार अब तक 76.42 लाख रुपये व्यय किये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम–डिबुलगंज विस्थापित क्षेत्र में अब तक कराये गये सभी कार्यों का परियोजना स्तर पर भौतिक सत्यापन करा लिया गया है तथा उनकी मापी, माप पुस्तिका में अंकित है ।

ग्रामीण अंचलों के विकास, खण्डवार ग्रामों का निःशुल्क विद्युतीकरण की योजना की जानकारी

142–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अंचलों में विकास खण्डवार ग्रामों का निःशुल्क विद्युतीकरण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने गांवों की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों का विद्युतीकरण जिला योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । वार्षिक कार्य योजना में जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा जिला स्तर पर करने का प्राविधान है ।

वर्ष 1998-99 में प्रदेश में 3333 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० जल निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा वर्षों से लखनऊ में नियुक्त अभियन्ता को सी०एन०डी०एस० में वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर नियुक्त करने का प्रकरण

143–श्री रामतेज यादव, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री महराज सिंह यादव तथा श्री कृपा शंकर सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा सी० एन० डी० एस० में वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर ऐसे अभियन्ता को नियुक्त किया गया है जो पूर्व में इसी पद से मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर थे तथा अस्थाई निर्माण इकाई–2 लखनऊ से भ्रष्टाचार के कारण हटाये जाने तथा स्वच्छ पेयजल सम्पूर्ति कार्य में असफल होने एवं राजनैतिक प्रभाव के कारण

अधिक समय से लखनऊ में ही तैनात रहने के आरोपी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अभियन्ता को तत्काल हटाने तथा वर्तमान एम० डी० को भी दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें (सी० एण्ड डी० एस०) में अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक के (09) नौ निःसंवर्गीय पद सृजित है । माह दिसम्बर, 98 तक उक्त के विरुद्ध 8 पद भरे थे तथा 01 एक पद रिक्त था जिस पर जिन अधिशासी अभियन्ता को तैनात किया गया है, वह पूर्व में वर्ष 1984 से 90 तक राज्य कृषि मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर थे तथा नवम्बर, 96 से दिसम्बर, 98 तक वे द्वितीय निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनात रहे थे ।

जी नहीं ।

द्वितीय निर्माण शाखा, लखनऊ में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता की सी० एण्ड डी० एस० में वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर तैनाती कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत की गई है ।

जनपद सीतापुर, नगरपालिका परिषद् से सेवानिवृत्त श्री राम सेवक के देयकों के भुगतान की मांग

144–श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सीतापुर, जनपद सीतापुर के सेवा निवृत्त कर्मचारी राम सेवक को देय पेंशन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? भुगतान आदेश कब तक निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री राम सेवक, सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 25-6-98 को सहायक निदेशक, लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद को भेजा गया था, जिसे दिनांक 21-12-98 को सहायक निदेशक द्वारा 10 आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख आपत्तियां, श्री राम सेवक द्वारा परिषदीय आवास खाली न करने तथा प्रबन्धकीय अंशदान पेंशन निधि में न जमा किया जाना था । शेष आपत्तियों के निस्तारण हेतु अपेक्षित कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की जा रही है तथा पुनः पेंशन प्रस्ताव सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा विभाग को अग्रसारित कर दिया जायेगा ।

सहायक निदेशक से अनापत्ति/संस्तुति प्राप्त होने पर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की स्वीकृति से पेंशन का भुगतान किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145–श्री रमेश राही–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बिजनौर, नगीना में स्वीकृत 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

146–श्री लवकुश कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र में 132 के०वी० का विद्युत उपकेन्द्र पूर्व में स्वीकृत है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार वहां कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

धनाभाव ।

जी नहीं । क्योंकि नजीबाबाद उपकेन्द्र जिसके द्वारा 33 के०वी० नगीना उपकेन्द्र पोषित होता है, की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद हाथरस, सिकन्दराराऊ में ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विवरण

147–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्रवार ग्रामों का विद्युतीकरण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 3/99 निर्धारित है ।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में माननीय विधायक द्वारा संस्तुत निम्नलिखित पांच ग्राम हैं ।

1–पिपलगवा

2–मुबारकपुर

3–मदामई

4–नगला मियां

5–बाड़ी

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का नगर पंचायत पट्टी को गत वर्ष अतिरिक्त धनराशि हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

148–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, प्रतापगढ़ को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या 259/98-99, दिनांक 4-9-98 द्वारा निदेशक सूड़ा लखनऊ के पत्र 35/कैम्प/नि०/ सूड़ा/98, दिनांक 20-7-98 के क्रम में वर्ष 1998-99 हेतु अतिरिक्त धनराशि हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रस्ताव को अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ नगरीय विद्युत वितरण खण्ड आलमबाग (लेसा) में विगत कई वर्षों में रेवेन्यू कैश बुक एवं लेजर के रीकेन्सीलियेशन की शिकायत

149–श्री चेतराम

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय विद्युत वितरण खण्ड आलमबाग (लेसा) लखनऊ में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में रेवेन्यू कैश बुक एवं लेजर का रीकेन्सीलियेशन नहीं किया गया है ? क्या प्राप्त यूनिट और बिक्री यूनिट में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कर दोषी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस नवसृजित खण्ड में रेवेन्यू का कार्य वर्ष 1996-97 में माह 8/96 से प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 1996-97 (8/96 से) एवं वर्ष 1997-98 में रेवेन्यू कैश बुक एवं लेजर का रीकेन्सीलियेशन किया गया है ।

जी नहीं । वर्ष 1996-97 (माह 8/96 से) एवं 1997-98 में प्राप्त यूनिट एवं विक्रय यूनिट का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त मि० यूनिट	विक्रय मि० यूनिट	अन्तर मि० यूनिट	प्रतिशत
1996-97 (8/96 से)	88.692	74.199	14.493	16%
1997-98	139.993	111.914	28.079	20%

प्राप्त यूनिट एवं विक्रय यूनिट में अन्तर सामान्य है । अतः इस प्रकरण पर जांच की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड आलमबाग (लेसा) लखनऊ में विगत कई वर्षों में विक्रय मूल्य की नगद वसूली तथा सी०एस० 4 के अनुसार रियलाइजेशन धनराशि के विश्लेषण की मांग

150–श्री चेतराम

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड नगरीय आलमबाग (लेसा) लखनऊ में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में रेवेन्यू कैश बुक के अनुसार विक्रय मूल्य की नकद वसूली कितनी रही है ? इसी अवधि में सी०एस० 4 के अनुसार कुल रियलाइजेशन की धनराशि क्या रही है ? क्या इन दोनों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या प्रति माह इसका विश्लेषण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस नवसृजित खण्ड में रेवेन्यू का कार्य वर्ष1996-97 में माह 8/96 से प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 1996-97 (माह 8/96 से) एवं 1997-98 में कैश बुक के अनुसार वसूली क्रमशः रु० 1327.59 लाख एवं रु० 2280.79 लाख रही है ।

इस अवधि में सी०एस०–4 के अनुसार रियलाइजेशन क्रमशः रु० 1381.24 लाख एवं रु० 2320.47 लाख रही है ।

जी हां ।

जल संस्थान एवं अन्य सरकारी संस्थान से भुगतान सीधे परिषद् स्तर तक प्राप्त होता है, जो मासिक रूप से प्राप्त नहीं होता है । इस प्राप्त भुगतानों का डब्लू०एम०सी०आर० द्वारा बिलों में समायोजन किया जाता है अतः रेवेन्यू कैश बुक एवं सी०एस०–4 के अनुसार धनराशि के अन्तर का विश्लेषण वार्षिक आधार पर किया जाता है । वर्ष 1996-97 (माह 8/96) एवं वर्ष 1997-98 में अन्तर क्रमशः रु० 53.65 लाख एवं रु० 39.68 लाख का रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

शाहजहांपुर नगर के वार्डों के शेष मकानों का करांकन कर, वसूली की मांग

151–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–13 से 18 तथा 24 से 27 में कुल कितने मकान हैं तथा इनमें से कितने मकान ऐसे हैं जिनका करांकन किया जाना शेष है ? क्या मंत्री जी शेष मकानों का करांकन कराकर कर वसूली की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर नगर में वार्डों की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक कराने की मांग

152–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 24 से 31 कितने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है ? इसमें कितने स्ट्रीट लाइट्स के प्वाइन्ट्स सही काम कर रहे हैं तथा कितने प्वाइन्ट्स खराब हैं ? क्या मंत्री जी खराब प्वाइन्ट्स को ठीक करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर नगर के वार्ड सं०–8 से 15 में लगे छोटे/बड़े हैण्ड पम्पों की संख्या तथा खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

153–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 8 से 15 में कितने हैण्ड पम्प छोटे व बड़े लगे हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या मंत्री जी खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या–8 से 15 में 175 हैण्ड पम्प छोटे व बड़े लगे हैं इनमें से 45 हैण्ड पम्प खराब हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत करायी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

शाहजहांपुर नगर के वार्ड सं०–9 से 16 तक गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की मांग

154–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 9 से 16 में कितने कि० मी० डामर की सड़के हैं तथा उनमें से कितनी सड़के ऐसी हैं जो गड्ढायुक्त हैं ? क्या मंत्री जी उक्त गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा, वृन्दावन प्राधिकरण के दैनिक वेतन कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य भुगतान हेतु प्राप्त पत्र एवं कार्यवाही

155–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य भुगतान न किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/15293/मथुरा/98, दिनांक 21-8-98 सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित दैनिक वेतन कर्मचारियों को उनके कार्यरत रहने की अवधि तक का वेतन भुगतान प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है ।

जनपद फतेहपुर नगर पंचायत को विगत वर्ष शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवमुक्त धनराशि का विवरण

156–श्री मुरलीधर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत फतेहपुर को वर्ष 1997-98 में कितना धन शासन व जिला प्रशासन से अवमुक्त किया गया है तथा कितनी धनराशि किन-किन कार्यों में खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त धन का दुरुपयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यक्ष के कार्यकाल में कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० से जांच करा कर दोषी अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत फतेहपुर को वर्ष 1997-98 में निम्न धनराशि अवमुक्त की गयी :

शासन से अवमुक्त धनराशि :

1–पथकर	45,000–00
2–वेतन पर अंशदान	2,85,206–25
3–बकाया वेतन में	3,34,763–00
4–सड़क अनुदान	3,00,000–00
5–दशम् वित्त आयोग	1,36,920–00

जिला प्रशासन से स्वीकृत धनराशि :

1–नेहरू रोजगार योजना	3,42,084–00
2–लघु उद्यम	70,887–00
3–प्रशिक्षण	26,250–00

शासन से स्वीकृत धनराशि से व्यय धनराशि :

1–पथकर, वेतन अंशदान/बकाया वेतन की धनराशि में से नियमित कर्मचारियों को 97-98 में वेतन भुगतान किया गया ।	6,27,369–75
2–सड़क अनुदान में व्यय (पालिका अंशदान सम्मिलित करते हुए)	3,02,539–00
3–दशम् वित्त आयोग में एक नग ट्रैक्टर क्रय करने में व्यय (मय अंशदान सहित)	1,89,500–00

जिला प्रशासन से स्वीकृत धनराशि से व्यय धनराशि :

1–नेहरू रोजगार योजना में खड़ंजा एवं नाली हेतु	2,32,619–25
2–लघु उद्यम में व्यय सब्सिडी अनुदान हेतु	70,000–00
3–प्रशिक्षण में व्यय (महिलाओं को सिलाई एवं प्रशिक्षण भत्ता हेतु)	26,250–00

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

157–श्री श्याम देव राय चौधरी

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखीमपुर कस्बा ओयल द्वारा बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के०वी० सब-स्टेशन स्थापित करने की जानकारी

158–डा० कौशल किशोर

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा ओयल जो कि तहसील स्तर की बिजली आपूर्ति कर रहा है, बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये एक 33 के०वी० का सब-स्टेशन स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

ओयल कस्बे की विद्युत आपूर्ति 5 एमवीए 33/11 के० वी० गढ़ी रोड लखीमपुर से 11 के०वी० फीडर द्वारा की जा रही है । विद्युत उपस्थान पर कस्बे की विद्युत आपूर्ति के लिये पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है ।

159–श्री हरदेव सिंह–

[6 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व/मुख्य अभियन्ता वितरण, इलाहाबाद में विगत वर्षों में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अनाधिकृत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता धनराशि का भुगतान करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

160–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० एवं अधिष्ठान आदि कार्यों हेतु कर्मचारियों द्वारा की गयी यात्राओं का भुगतान किया जा रहा है, जोकि इसके लिये अधिकृत नहीं है ? यदि हां, तो क्या मा० मंत्री जी यह बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व/मुख्य अभियन्ता वितरण इलाहाबाद के अन्तर्गत वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 से अब तक किन-किन ऐसे कर्मचारियों को उपरोक्त कार्यों हेतु यात्रा भत्ता धनराशि का भुगतान किया गया है, जो उनके पद के अनुरूप नहीं है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मण्डल कार्यालयों/अधीक्षण अभियन्ता विद्युत प्रेषण मण्डल आजमगढ़ के दैनिक श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ आलेखक पदों पर 50% निर्धारित कोटा

161–श्री हरदेव सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मण्डल कार्यालयों में कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पदों पर प्रोन्नति में मण्डल/खण्ड से कितने प्रतिशत दैनिक श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति का कोटा निर्धारित है ? क्या अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल आजमगढ़ द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–6189/दिनांक 28-11-88 द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति कनिष्ठ आलेखक पदों पर की गयी थी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रोन्नति प्रक्रिया में परिषदीय नियमों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विगत में कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पदों पर प्रोन्नति हेतु मण्डल कार्यालयों में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों (नया पद नाम कार्यालय सहायक श्रेणी–3) का 50 प्रतिशत एवं खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक श्रेणी लिपिकों का (नया पद नाम कार्यालय सहायक श्रेणी–3) का 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित था जिसे परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या–531–विनियम–23/राविप–98–7–विनि०/88, दिनांक 22-12-98 द्वारा संशोधित कर कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक (नया पदनाम कार्यालय सहायक श्रेणी–2) के पदों पर मण्डल एवं खण्डीय कार्यालयों के स्थायी कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की पदोन्नति का शत-प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास विकास परिषद की इन्दिरा नगर लखनऊ डी–ब्लाक की भूमि अपात्र व्यक्तियों के आवंटन प्रकरण

162–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की लखनऊ स्थित योजना इंदिरा नगर के डी–ब्लाक में नन्दनी मान्टेसरी स्कूल के सामने की जमीन को उक्त परिषद् द्वारा सस्ती दर पर अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये नियमानुसार पात्र आवंटी को आवंटित करेंगी तथा दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

नवसृजित जिला चम्पावत के जिला स्तरीय कार्यालयों को लोहाघाट में स्थापित करने की मांग

163–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि नव सृजित जिला चम्पावत के अनेकों (शिक्षा, स्वास्थ्य, सा०नि०वि० सिंचाई आदि) विभागों के जिला मुख्यालयों के कार्यालय लोहाघाट में खोले जा रहे हैं ? क्या इससे सम्बन्धित नगर पंचायत लोहाघाट का प्रस्ताव उत्तरांचल राज्य मंत्री के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये जिला–चम्पावत के कुछ जिला स्तरीय कार्यालयों को लोहाघाट में स्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

लोहाघाट में कतिपय विभागों के कार्यालय खोले जाने के संबंध में अध्यक्ष, नगर पंचायत, लोहाघाट के पत्र प्राप्त हुए हैं । लोहाघाट में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई के कार्यालय पूर्व में ही स्थापित हैं ।

उक्त सम्बन्ध में प्राप्त पत्र संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तरांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि की भांति पश्चिमांचल निधि स्थापित करने की जानकारी

164–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखंड विकास निधि की भांति पश्चिमांचल निधि स्थापित करने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सम्प्रति इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर की योजनाओं के माध्यम से अन्य जिलों की भांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को धनराशि उपलब्ध होने के साथ ही विधायक निधि के माध्यम से भी विकास कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध हो रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर, थाना चरथावल, ग्राम मथुरा में विद्युत लाइन से दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आर्थिक सहायता

165–श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-11-98 को ग्राम मथुरा, थाना–चरथावल, जिला–मुजफ्फरनगर में विद्युत लाइन से ट्रैक्टर से जाते समय दुर्घटना में एक व्यक्ति निजात खां की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा पांच अन्य व्यक्ति बुरी तरह से जल गये थे ? यदि हां, तो क्या उनको आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, श्री निजात खां की मृत्यु थी तथा पांच व्यक्ति घायल हो गये थे ।

जी हां, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट एवं मृत व्यक्ति के वैध आश्रित से क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परिषदीय नियमानुसार शीघ्र अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । प्रत्येक घायल हुए व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा सरकारी चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित किये जाने पर उन्हें परिषदीय नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

166–श्री महराज सिंह यादव तथा श्री कृपा शंकर सिंह–

[नियम 28(10) के अन्तर्गत निरस्त]

जनपद बदायूं, ब्लाक सहसवान ग्राम ढ़कपुरा के अम्बेडकर ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

167—श्री ओमकार सिंह यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–ढ़कपुरा मीरापुर ब्लाक सहसवान जनपद–बदायूं को वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस गांव को योजना के अनुसार सर्म्पक मार्ग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

जी नहीं । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में ही सम्पर्क मार्ग बनाया जाना है । जबकि उक्त ग्राम की कुल आबादी 828 है ।

जनपद शाहजहांपुर विद्युत विभाग के कार्यालयों के बन्द रहने की शिकायत

168—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-98 या इसके आसपास जो विद्युत उपखण्ड तिलहर शाहजहांपुर में स्थित कार्यालय बन्द रहने एवं एस०डी०ओ० व अवर अभियन्ता के कार्यालय में न मिलने विषयक शिकायत की जांच किये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-9-98 एवं 5-10-98 परिषद में प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली क्षेत्र, बरेली के माध्यम से जांच करायी गयी । जांच के उपरान्त यह पाया गया कि तिलहर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं शिकायत कक्ष नियमित रूप से पिछले सालों से खुल रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच, ढपालीपुरवा से लालेसुरंग क्षेत्र अरबन फीडर से जोड़ने की मांग

169—डा० वकार अहमद शाह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बहराइच में ढपालीपुरवा से लालेसुंरग क्षेत्र अरबन फीडर से जोड़ने हेतु लगभग 10 वर्षों पूर्व खम्भे गाड़े गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र को अरबन फीडर से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र को अरबन फीडर से जोड़ने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्ष 1984 में नगर पालिका बहराइच को दिये गये रु० 1,25,763.00 के मांग पत्र के सापेक्ष धन प्राप्त न होने के कारण ।

जी हां, वांछित धनराशि प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में खराब पड़े बिजली घर बेचने से प्राप्त धनराशि का विवरण एवं वाराणसी में 132 के०वी०ए० उपकेन्द्र बनाने पर विचार

170—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के खराब पड़े किन बिजली घरों को सरकार ने बेंच दिया है और उससे अलग-अलग कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या वाराणसी में भेलूपुर पावर हाऊस की जमीन पर 132 के०वी०ए० का उपकेन्द्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बन्द पड़े विद्युत गृहों के संयंत्रों के विक्रय से अब तक प्राप्त धनराशि निम्नवत् है :–

क्रम सं० विद्युत गृह का नाम	प्राप्त धनराशि (रु० लाख में)
1–ऐशबाग, लखनऊ	122.00
2–चन्दौसी, मुरादाबाद	176.662
3–सोहावल, फैजाबाद	55.653
4–आर० पी० एच० कानपुर	263.40
5–गोरखपुर	195.509
6–भेलूपुर, वाराणसी	72.105

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी हां ।

उक्त 132 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके आधार पर इस विषय में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० मुख्य मंत्री की घोषणानुसार जनपद वाराणसी की सड़कों एवं पेय जलापूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि के उपयोग की जानकारी

171—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी ने वाराणसी के सड़कों एवं पेयजलापूर्ति में सुधार कार्य हेतु पांच करोड़ रुपये विशेष अनुदान के रूप में देने की घोषणा वाराणसी में की थी और साथ ही यह निर्देश भी दिये थे कि जनप्रतिनिधियों से सलाह कर एवं उन्हें विश्वास में लेकर ही उक्त धन वाराणसी नगर निगम खर्च करेगी ? क्या उक्त धन के खर्च के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त पांच करोड़ धनराशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । बल्कि मा० मुख्य मंत्री जी ने निम्नलिखित घोषणा की थी :–

"नगर निगम वाराणसी को सड़क, पथ प्रकाश, सफाई उपकरणों आदि के लिये रुपये 3.00 करोड़ और स्वीकृत किये जायेंगे । 3.00 करोड़ रुपये की इस धनराशि में से 2.00 करोड़ रुपये नगर निगम वाराणसी में अविकसित क्षेत्र अर्थात् जो ग्राम नगर निगम की सीमा में सम्मिलित किये गये हैं, उस पर व्यय किये जायेंगे तथा एक करोड़ रुपये नगर निगम वाराणसी को पुराने क्षेत्र (मुख्य शहर) पर व्यय किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार नगर निगम वाराणसी को रुपये 3.00 करोड़ की धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामों की विद्युत लाइनों को बदलने की मांग

172—श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–मथुरा, ग्राम खाई खेड़ी, ग्राम बहेड़ी, ग्राम–दधहेड़ू तथा ग्राम रोहाना जिला मुज्जफरनगर में विद्युत लाइन के टूटने से प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों की विद्युत लाइन को बदलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उक्त ग्रामों में इस प्रकार की दुर्घटना का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं हैं ।

जनपद वाराणसी में दशाश्वमेघ क्षेत्र में निर्माणाधीन व्यापार शंकुल का कार्य रुकने एवं उसे बेचने के निर्णय की जानकारी

173—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दशाश्वमेध क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुमंजिली व्यापार शंकुल का कार्य क्यों रुका पड़ा है ? उक्त के निर्माण हेतु किन संस्थाओं

से कितना धन अब तक लिया जा चुका है और उस पर कुल कितना ब्याज देय है ? क्या सरकार ने उक्त शंकुल के निर्माण करने की योजना को स्थगित कर दिया है एवं उसे बेचने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या किसी से करार हुआ है ? यदि हां, तो कितने में ?

श्री लालजी टण्डन–

धनाभाव के कारण कार्य रुका पड़ा है ।

यूको बैंक, चौक, वाराणसी से रु० 315.00 लाख का ऋण लिया गया था । इस धनराशि पर रु० 623.67 लाख ब्याज देय है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण स्थगित कर दिया गया है तथा बेचने का निर्णय लिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के घाटों के सुन्दरीकरण तथा सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि से कृत कार्यों की सूची उपलब्ध कराने की मांग

174—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्व में प्रदेश शासन द्वारा वाराणसी के घाटों के सुन्दरीकरण तथा सड़कों के निर्माण किये जाने हेतु पांच करोड़ रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से वाराणसी में कौन-कौन से कार्य किये गये और सड़कों के कौन से निर्माण कब किये गये ? क्या सरकार इसकी सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि कार्य नहीं किये गये हैं, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1995-96 में वाराणसी के घाटों के सुन्दरीकरण के लिये रु० 42.00 लाख तथा सड़क निर्माण हेतु रु० 1,21,10,000/- एवं वर्ष 1996-97 में सड़क अनुदान के अर्न्तगत रु० एक करोड़ तथा वर्ष 1997-98 में रु० दो करोड़, मार्गों व अन्य कार्यों हेतु नगर निगम वाराणसी को दिये गये हैं ।

वाराणसी के घाटों के सुन्दरीकरण एवं सड़क निर्माण सम्बन्धी कराये गये निर्माण कार्य का विवरण उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन परिक्रमा एवं मेला हेतु विशेष धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार

175—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोबर्धन परिक्रमा एवं मेला हेतु जनपद मथुरा को तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विशेष धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में लगने वाला गोवर्धन परिक्रमा मेला अप्रान्तीय कृत/प्रान्तीय कृत मेला घोषित नहीं है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू कर दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय निकायों को उनके अंश की धनराशि वित्त विभाग द्वारा सीधे निकायों को दी जा रही है। निकायों द्वारा इस धनराशि से विकास कार्य करा सकते हैं। स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले किसी मेले की व्यवस्था हेतु अलग से अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी के नगर पंचायतों के हैण्डं पम्पों को रिबोर कराने की मांग

176–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मगरौरा, आसपुरा देवसरा, पट्टी नगर पंचायत के कितने हैण्डपम्प रिबोर की स्थिति में है और ऐसे हैण्डपम्पों को कब तक रिबोर करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में 12, मगरौरा में 9, आसपुर देवसरा में 10 तथा नगर पंचायत पट्टी में 2 हैण्डपम्प रिबोर की स्थिति में हैं।

उक्त हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद चम्पावत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न रिक्त पदों को भरने/भवनहीन संस्थानों के भवन निर्माण की मांग

177–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं ? इनमें कितने प्रधानाचार्यों, विभिन्न ट्रेडों के अनुदेशकों तथा चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं तथा कितने संस्थानों में अपने भवन नहीं हैं ? सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने तथा भवनहीन संस्थानों के भवन निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

नवसृजित जिला चम्पावत में टनकपुर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा चम्पावत में एक शाखा संस्थान स्थापित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर में प्रधानाचार्य का कोई पद रिक्त नहीं है। चम्पावत शाखा संस्थान में प्रधानाचार्य का पद स्वीकृत नहीं है। विभिन्न ट्रेडों में टनकपुर संस्थान में अनुदेशकों के 5 पद रिक्त हैं। चम्पावत शाखा संस्थान में अनुदेशक के 3 स्वीकृत पदों के विपरीत एक नियमित तथा दो दैनिक वेतन पर अनुदेशक कार्यरत हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर तथा शाखा संस्थान चम्पावत में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टनकपुर का अपना भवन है। शाखा संस्थान चम्पावत किराये के भवन में है। अनुदेशक का पद अधीनस्थ सेवा आयोग की परिधि में था। उक्त आयोग के भंग होने के कारण इस पद को लोक सेवा आयोग की परिधि में रखे जाने पर विचार किया जा रहा था। अभी हाल में अनुदेशक पद को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अब वर्तमान में संगत नियमों के अधीन नियुक्ति की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी। शाखा संस्थानों के भवन निर्माण वर्तमान में वित्तीय संसाधनों के अभाव में सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर, कस्बा सिधौली, मोहल्ला सन्तनगर में विद्युतीकरण कार्य कराने की मांग

178–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली के मो० सन्तनगर में विद्युतीकरण के संबंध में शासन द्वारा खम्भे स्थापित करने हेतु वर्ष 1998 में निरीक्षण, नपाई एवं निशान की प्रक्रिया की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में सिगरा पर निर्मित बहुमंजिला भवन के निर्माण पर व्यय का विवरण एवं बेचने के प्रस्ताव की जानकारी

179–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में सिगरा पर निर्मित बहुमंजिली भवन का निर्माण कब हुआ और उक्त भवन के निर्माण हेतु किन संस्थाओं से कितना धन लिया गया है ? उसका अब तक मूलधन और ब्याज के रूप में कितना अदा किया गया ? क्या उक्त भवन आबाद है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भवन को बेचने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने में ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी में सिगरा स्थित बहुमंजिली भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से जुलाई, 1989 में प्रारम्भ कराया गया था, जिसे निगम द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया । उक्त अपूर्ण बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स को यथाशीघ्र आवंटियों को उपलब्ध कराने के लिये वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मई, 1998 में पूरा कराया गया है । उक्त बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु यूको बैंक वाराणसी से रु० 121.00 लाख ऋण लिया गया ।

उक्त ऋण के विरुद्ध रु० 121.00 लाख मूलधन व रु० 172.00 लाख ब्याज के रूप में अदा किया गया है ।

उक्त बहुमंजिले आवासीय 76 फ्लैटों में से 69 फ्लैट्स आबाद हैं और शेष 07 फ्लैट्स रिक्त हैं, जिन्हें बेचने का प्रस्ताव है और उनका अनुमानित मूल्य लगभग रु० 10.00 लाख है ।

जी हां । प्राधिकरण द्वारा 69 आवासीय फ्लैट्स की बिक्री रु० 561.49 लाख में की गई है ।

शासन द्वारा श्रमिक बस्तियों में आवासों के आवंटन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने की मांग

180–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक बस्तियों में विभिन्न वैधानिक कारणों से पुनः आवंटन की कार्यवाही विभाग द्वारा स्थगित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? आवंटन की कार्यवाही कब से पुनः प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

शासन स्तर से श्रमिक आवासों के आवंटन की कार्यवाही स्थगित नहीं है बल्कि ऐसे आवासों में अनधिकृत ढंग से रह रहे अध्यासियों के विनियमन की कार्यवाही स्थगित है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जनपद फतेहपुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित आवासों की संख्या/लागत तथा आवंटन के विवरण

181–श्री मुरलीधर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कितने आवास निर्मित हैं एवं प्रत्येक आवास की कितनी लागत है ? कितने आवंटित हैं, कितने शेष हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतर आवासों में बिना आवंटन के लोग रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आवास विकास परिषद् की गणेश विहार योजना फतेहपुर में विभिन्न श्रेणी की कुल 639 सम्पत्तियां निर्मित हैं, जिसमें दुर्बल आय वर्ग भवन से लेकर मध्यम आय वर्ग तक के प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत रु० 54,000/- से लेकर रु० 2,08,000/- प्रति भवन है ।

609 आवंटित है, तथा 30 नग सम्पत्तियां रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन रिक्त सम्पत्तियों में कोई भी व्यक्ति बिना आवंटन के नहीं रह रहा है । अतः अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद लखनऊ तुलसीदास मार्ग पर बनी अवैध दुकानों को हटाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

182–श्री चेतराम तथा श्री राम औतार मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के तुलसीदास मार्ग पर बनी अवैध दुकानों को हटाये जाने के संबंध में श्री ए० के० अवस्थी व अन्य के प्रार्थना पत्र पर श्री भगवान शंकर रावत, संसद सदस्य के उपरिपत्र दिनांक 9-11-98 पर मुख्य मंत्री द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण कर दिनांक 25-11-98 तक अवगत कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाये जाने में विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अवैध निर्माण हटवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थल कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है । संवेदनशीलता के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है ।

विलम्ब के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थल की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है ।

जनपद सीतापुर, नगर पंचायत महोली के निलम्बित लिपिक श्री जय शंकर गुप्ता के बकाये वेतन भुगतान की मांग

183–श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पंचायत महोली के निलम्बित लिपिक श्री जयशंकर गुप्ता को 4 माह से जीवन निर्वाह भत्ता एवं जुलाई, 96 से नवम्बर, 96 तक का बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें बकाया वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

श्री जयशंकर गुप्ता निलम्बित लिपिक को जीवन निर्वाह भत्ता का दिसम्बर, 98 तक का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नही उठता ।

जी हां ।

श्री जयशंकर गुप्ता का माह जुलाई, 96 से नवम्बर, 96 तक बकाया वेतन का बिल मु० 14555/- बनाकर तैयार हुआ है, जिसे भुगतान हेतु श्री गुप्ता के नाम चेक सं०–14/31379 मु० 14555/- दिनांक 15-2-99 जारी कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल क्षेत्र (कुमायूं व गढ़वाल) में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेरिटेज होटल निर्मित करने का प्रस्ताव/परियोजनाओं हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की जानकारी

184–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र (कुमायूं व गढ़वाल) में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''हेरिटेज होटल'' निर्मित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी परियोजनाओं के सफल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी अध्ययन के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

(हेरिटेज होटल) प्रोत्साहन योजना को नई पर्यटन नीति 1998 में स्थान दिया गया है ।

जी नहीं ।

हेरिटेज होटल प्रोत्साहन योजना को नई पर्यटन नीति 1998 में स्थान दिया गया है जिसमें निजी उद्यमियों को इस योजना के अन्तर्गत अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत शासन की ओर से परामर्शदाता की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

पिथौरागढ़ में इण्टर कालेज पुल हिन्डोला विकास खण्ड लोहाघाट के प्रान्तीयकरण का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

185–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र–(), पिथौरागढ़ में इण्टर कालेज पुल हिन्डोला वि० ख० लोहाघाट को प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक विद्यालय का प्रान्तीयकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की वर्तमान में प्रान्तीयकरण की नीति नहीं है।

जिला टिहरी गढ़वाल, चम्पानगर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के यात्री विश्राम गृह का विस्तार हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

186–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के चम्पा नगर में स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के यात्री विश्राम गृह का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विस्तार कार्य कब तक सम्पन्न किया जायेगा और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ? क्या वांछित धनराशि निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहेड़ाखाल विकास खण्ड कोट में दो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जाने का प्रकरण

187–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक योजना/4281-82/97-98 दिनांक 20-5-97 के साथ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल, विकास खण्ड कोट, पौड़ी गढ़वाल के लिये दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 2,25,500/– रु० मूल्य का प्राक्कलन सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो इस प्राक्कलन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कब तक प्राक्कलन पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उनको संबोधित एवं सहायक शिक्षा निदेशक (भवन), शिक्षा निदेशालय, उत्तर

प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–विधायक/शिक्षा/98-99 दिनांक 29 दिसम्बर, 98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा निर्धारित की जानी संभव नहीं है ।

जी नहीं । पत्रांक विधायक/शिक्षा/98-99 दिनांक 29 सितम्बर, 98 प्राप्त हुआ था ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पिथौरागढ़ के सभी राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज में विज्ञान विषय की मान्यता प्रदान करने की मांग

188–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9–पिथौरागढ़ में कितने राजकीय इंटरमीडिएट कालेज हैं जिन्हें इन्टर स्तर पर विज्ञान विषय की मान्यता प्राप्त नहीं है ? क्या सरकार ऐसे सभी विद्यालयों में विज्ञान विषय की मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

तीन विद्यालयों में ।

संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने की मांग

189–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ तथा चम्पावत को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर विकसित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या समूचे उत्तराखण्ड के लिए एक परिपथ योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास का कुल "टर्न ओवर" तथा राज्य पर्यटन विकास निगम की शेयर पूंजी की जानकारी

190–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास व व्यवसाय का कार्य कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सौंपा गया है ? यदि हां, तो पर्यटन विकास में इनका कुल "टर्न ओवर" क्या है ? इसमें राज्य पर्यटन विकास निगम की शेयर पूंजी कितनी है ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

वर्ष	गढ़वाल मण्डल टर्न ओवर (लाख रुपयों में)	कुमांऊ मण्डल टर्न ओवर (लाख रुपयों में)
95–96	974.57	493.48
96–97	966.59	633.17
97–98	1100.82	1360.92

मण्डल विकास निगमों में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की कोई अंशपूंजी नहीं लगी है ।

जनपद पिथौरागढ़, नगर पंचायत डीडीहाट द्वारा विगत वर्ष पाइप लाइन खुदाई हेतु लोक निर्माण विभाग डीडीहाट को प्राप्त धनराशि/सड़क हेतु व्यय की जानकारी

191–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के नगर पंचायत डीडीहाट में वर्ष 1997-98 आंतरिक सड़क में जल निगम डीडीहाट द्वारा पाइप लाइन खुदान से लो० नि० वि० डीडीहाट को कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या यह धन नगर पंचायत डीडीहाट के आंतरिक सड़क में खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

रु० 2,10,600.00 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड कनालीछीना के स्यान पुल के निर्माण हेतु व्यय धनराशि की जानकारी

192–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना विकास खण्ड के रौतिश गाड छब्बीसा के पास पैदल मार्ग में कितने मीटर स्यान पुल के लिये कुल कितना धन स्वीकृत था ? कितने मीटर स्यान का पुल बनाया गया ? पुल पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ? क्या पुल स्वीकृत प्लान के अनुसार बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं, । इस नाम से कोई पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून–हरिद्वार मार्ग पर जाखन नदी में पुल निर्माण हेतु शासन के विचाराधीन प्रस्ताव की जानकारी

193–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून हरिद्वार मार्ग पर जाखन नदी में पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या–4194/28-5-99-9सा/97 दिनांक 24-2-99 द्वारा जारी कर दी गयी है ।

निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून की नदियों के रेत, बजरी, पत्थर की ढुलान दरें हेतु गठित अधिशासी अभियन्ता की कमेटी रिपोर्ट को लागू करने की मांग

194–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में नदियों पर रेत, बजरी, कोरसन पत्थर आदि पर रायल्टी की दरें बढ़ने के कारण ग्वारी रेट निर्धारित करने हेतु एवं पूर्व की भांति देहरादून शहर व इसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र को ढुलान दर लागू करने हेतु मुख्य अभियन्ता ने तीन अधिशासी अभियन्ता की कमेटी बनाई थी ? यदि हां, तो क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

जी हां ।

ढुलान हेतु पर्वतीय क्षेत्र की दरें मान्य कर दी गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून की नदियों के पुलों की सुरक्षा हेतु स्वीकृत धन के उपयोग की जानकारी

195–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद देहरादून में क्रमशः वाल्दी नदी, रिस्पना नदी एवं विन्दाल नदी पर बने तीनों पुलों की सुरक्षा हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त आगणनों पर क्रमशः दो-दो लाख रु० स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि अभी तक उपयोग नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, तो उक्त प्राकलन भेजे जाने के क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा न कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

जी हां ।

वाल्दी नदी पर बने पुल पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस पर सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता नहीं है । शेष दो पुलों पर कार्य प्रगति पर है तथा एक माह में पूर्ण होने की संभावना है ।

सामान्य तौर पर आगणन तैयार किया गया । वाल्दी नदी पर बने पुल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस पर सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता नहीं थी, इसकी जांच करा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संत रविदास नगर कानपुर में सी० एण्ड डी०एस० विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में धांधली की जांच की शिकायत

196–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि संत रविदास नगर में सी एण्ड डी० एस० विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर धांधली की जा रही है ? क्या यह सही है कि कानपुर विधान सभा क्षेत्र के शहीद झुरी सिंह स्मारक, सीतामढ़ी घाट तथा अन्य कई सड़कों के निर्माण में व्यापक स्तर पर धन की हेरा-फेरी की गयी है ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराकर विभाग के दोषी अधिकारियों से धन की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध मानक के अनुरूप कार्य कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगर, ज्ञानपुर के मार्गों के निर्माण में आवंटित धन की सी० एण्ड डी० एस० द्वारा हेराफेरी की शिकायत

197–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के कलिंजरा सुरियांवा मार्ग रमईपुर के बदांव दशरथपुर मार्ग के निर्माण हेतु सी० एण्ड डी० एस० को धन अवमुक्त हो चुका है किन्तु कार्य पूर्ण नहीं कराया गया एवं उसे पूर्ण दिखाकर धन की हेरा-फेरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट को चिकित्सालय बनाने की मांग

198–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जि०–चम्पावत का सबसे बड़ा उच्चीकृत प्रा० स्व० केन्द्र लोहाघाट को जिला चिकित्सालय बनाये जाने से सम्बन्धित, नगर पंचायत, लोहा घाट का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लोहाघाट में जिला चिकित्सालय कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

जनपद लखनऊ, खरिका वार्ड, तेलीबाग में नेपालगंज, पुराना सुभानी खेड़ा मार्ग में खड़न्जा बिछाने के कार्य के भौतिक सत्यापन की जानकारी

199—श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–11 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा कराया गया था ? क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराकर शासन को गलत सूचना देने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत प्रकरण में भौतिक सत्यापन तत्कालीन नगर अभियन्ता तथा क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ द्वारा कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दरेशी कार्य से सम्बन्धित लम्बित भुगतान कराने हेतु मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

200–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दरेशी कार्य में लम्बित भुगतान को तत्काल भुगतान कराने सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 16-9-98 जो कि श्री दिवाकर त्रिपाठी मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण लगभग 13 वर्ष पुराना वर्ष 1985-86 का है । प्रयास के उपरान्त भी अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण भुगतान सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला में सुलभ शौचालय के निर्माण की जानकारी

201–श्री उबैदुर्रहमान

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली

गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? इसे कब तक सुनिश्चित कर निर्माण कार्य करवा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा), गोण्डा/बलरामपुर को आदेश दिया जा चुका है । किन्तु प्रस्तावित स्थल पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

विवाद निस्तारण के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) मेरठ क्षेत्र में अवर अभियन्ताओं की संख्या, स्थानान्तरण एवं परिसम्पत्तियों में वृद्धि की जानकारी

202–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र) मेरठ क्षेत्र में कुल कितने अवर अभियन्ता हैं ? वे कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन अवर अभियन्ता पर स्थानान्तरण नीति लागू होती है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इनके परिसम्पत्तियों की जांच की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि श्री विक्रम प्रसाद, अवर अभियन्ता पिछले 10 वर्षों से एक ही स्थान पर लगातार कार्यरत हैं ? यदि हां,तो इनके परिसम्पत्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर/मेरठ क्षेत्रों में क्रमशः 216 एवं 440 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ।

इसकी सूचना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे मा० सदस्य द्वारा कार्यालय समय में देखा जा सकता है ।

जी हां ।

स्थानान्तरण नीति से सम्बन्धित परिषदीय पत्र मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे मा० सदस्य द्वारा देखा जा सकता है ।

विद्यमान नियमानुसार प्रथम नियुक्ति एवं तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर निर्धारित प्रारूप में परिसम्पत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है । परिसम्पत्तियों में उनके द्वारा वास्तविक स्त्रोत से आय के सापेक्ष अधिक वृद्धि पाये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । श्री विक्रम प्रसाद, अवर अभियन्ता दिनांक 27-2-73 से अब तक गोरखपुर में विभिन्न खण्डों/मण्डल में तैनात रहे हैं । इनका स्थानान्तरण दिनांक 1-6-89 को पारेषण (मध्य) लखनऊ किया गया था किन्तु इन्हें नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है । फिर पदोन्नति पश्चात् श्री विक्रम प्रसाद को स्थानान्तरित कर तापीय परियोजना ओबरा में तैनात किया गया । सम्प्रति श्री विक्रम प्रसाद को निलम्बित कर विद्युत वितरण मण्डल गोरखपुर से सम्बद्ध किया गया है ।

जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के 11000 वोल्ट्स से अनधिक हाई टेन्शन लाइन से हुई मृत्यु/दुर्घटना की शिकायत

203–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 11000 वोल्टस् से अनधिक हाईटेन्शन लाइन से दिनांक 4-5-98 को हुई दर्दनाक मौत की जिम्मेदारी किसकी है ? इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि मानक के अन्तर्गत जितनी ऊंचाई पर तार खींचे होने चाहिये उतनी ऊंचाई पर नहीं थे ? यदि हां, तो हरदोई में हुई सैकड़ों लोगों की मृत्यु के लिये दोषी तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार इस हेतु क्या उपाय करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दिनांक 4-5-98 को हाई टेंशन लाइन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी ।

दुर्घटना ही घटित नहीं हुई । अतः कोई उपाय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा से नवसृजित जनपद बलरामपुर विकास खण्ड उतरौला के ग्राम डेवरा तथा देवरिया जगली के विद्युतीकरण न होने से दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

204–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये सामग्री उपलब्ध कराने के बावजूद भी विद्युतीकरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त गांव का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध रु० 1,01,570.25 की धनराशि विविध प्रकीर्ण (मिसलेनियस एडवान्स) के रूप में डाल दी गयी है तथा उपरोक्त धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है । सम्बन्धित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 3/99 निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर नगर, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

205–श्री लाल जी वर्मा

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के पत्र संख्या–एम–4-43, 21/अम्बेडकर नगर/97-10-7-97, दिनांक 10-7-97 पर टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर, अम्बेडकरनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या कोई दोषी पाया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी हां, एक अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से महाप्रबन्धक टाण्डा द्वारा विस्तृत जांच कराई गई।

उपरोक्त जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा 'ए' एवं 'बी' की तापीय परियोजना पर ग्राइन्डिंग मिडिया फोर्ज्ड स्टील बाल्स की प्रतिमाह खपत व्यय विवरण की जानकारी हेतु प्राप्त पत्र एवं कार्यवाही

206–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा 'ए' एवं 'बी' तापीय परियोजना ग्राइन्डिंग मीडिया फोर्ज्ड स्टील बाल्स की प्रतिमाह खपत क्या है तथा उस पर मार्च, 1998 तक कितना प्रतिवर्ष व्यय हो चुका है ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 20-10-98 जो कि माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार, मा० मुख्य मंत्री, उ० प्र० एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अनपरा 'ए' ताप परियोजना पर फोर्ज्ड स्टील ग्राइन्डिंग मीडिया का उपयोग नहीं होता है। अनपरा 'बी' तापीय परियोजना पर फोर्ज्ड ग्राइन्डिंग मीडिया की प्रतिमाह खपत लगभग 200 मीट्रिक टन है।

प्रतिवर्ष उपरोक्त के क्रय पर विगत तीन वर्षों में, प्रतिवर्ष व्यय हुई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वर्ष	व्यय धनराशि
1	1995-96	रु० 5,17,80,057.00
2	1996-97	रु० 4,33,43,805.00
3	1997-98	रु० 5,99,48,407.00

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 20-10-98 उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में दिनांक 11-3-99 को प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (लेसा) एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) के अधीन खण्डों में खण्डवार वसूली/व्यय विवरण एवं सब स्टेशनों के खराब मीटर ठीक कराने की जानकारी

207–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (लेसा) लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) के अधीन खण्डों में खण्डवार सितम्बर, 1998 में कितनी वसूली की गयी तथा कितना सब-स्टेशन के मेन्टिनेन्स पर व्यय हो रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे

कि 100 के०वी० ए० एवं उसके ऊपर के कितने उपभोक्ता हैं ? उनसे प्रतिमाह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि सब-स्टेशन के मीटर खराब हैं ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा लिया जायेगा तथा सामूहिक जिम्मेदारी देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

महाप्रबन्धक (लेसा) एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) के अधीन खण्डों में खण्डवार सितम्बर, 1998 में वसूली का विवरण क्रमशः संलग्नक (1) एवं (2) में दर्शित है ।

सब-स्टेशन के मेन्टीनेन्स व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

लेसा क्षेत्र–लगभग रु०–9.00लाख/माह

लखनऊ क्षेत्र–लगभग रु०–18.00 लाख/माह

100 के०वी०ए० एवं उसके ऊपर के उपभोक्ताओं की संख्या तथा राजस्व प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है :–

	उपभोक्ताओं की संख्या	राजस्व प्राप्ति प्रतिमाह लगभग रु० लाख में
लेसा क्षेत्र	112	455
लखनऊ क्षेत्र	296	1088

उपकेन्द्रों के अधिकांश मीटर ठीक कार्य कर रहे हैं एवं अधिकतर उपकेन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगे हैं । खराब मीटरिंग प्रणाली ठीक करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 164-165 पर ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न टाइप के विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु प्राप्त धन का वर्षवार विवरण/जनपद–बाराबंकी, देवरिया में अनुरक्षण परिचालन के नाम पर फर्जी भुगतान के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

208- श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न टाइप के विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन के लिये कितना-कितना धन वर्षवार उपलब्ध कराया जाता है ? कौन-कौन से कार्य कराये जाते हैं ? बाराबंकी एवं देवरिया जिले के अन्तर्गत आने वाले विद्युत उपकेन्द्रों पर पिछले तीन वर्षों में मदवार-क्या व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न टाइप के विद्युत उपकेन्द्रों के अनुरक्षण एवं परिचालन के लिये धन की उपलब्धता परिषद् के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कार्य की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुरूप कराई जाती है। सब स्टेशन के टाइप के अनुसार परिचालन एवं अनुरक्षण मद में धन उपलब्ध कराने का कोई मापदण्ड नहीं है।

उपकेन्द्र के रख-रखाव से सम्बन्धित सभी कार्य किये जाते हैं।

बाराबंकी एवं देवरिया जिलों के अन्तर्गत आने वाले उपकेन्द्रों पर पिछले तीन वर्षों में परिचालन एवं अनुरक्षण मद में निम्नवत् व्यय किया गया है :–

जनपद बाराबंकी

व्यय की गई धनराशि लाख में

	1995-96	96-97	97-98
(1) वितरण संगठन	25.00	23.35	15.00
(2) पारेषण संगठन	5.12	15.75	38.00
योग	30.12	39.10	54.00
जनपद देवरिया			
(1) वितरण संगठन	3.09	2.91	2.00
(2) पारेषण संगठन	4.19	3.81	6.00
योग	7.28	6.72	8.00

जी नहीं। फर्जी भुगतान से सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसा लखनऊ के डिसआनर चेकों की प्रतिमाह प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखने की मांग

209–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसा, लखनऊ के डिसआनर चेकों की छानबीन के लिए जनवरी, 1998 में कोई टीम गठित की गई थी ? यदि हां, तो उसकी अब तक की प्रगति आख्या क्या है ? क्या मंत्री जी माहवार प्रगति आख्या सदन के पटल पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से 72 लाख रुपये के डिस आनर चेकों की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

वितरण खण्डों से सम्बन्धित सूची बनाकर संबंधित अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दी गई है । माह 2/99 तक सभी खण्डों से सम्बन्धित सूची बना ली गयी है । आख्या संलग्न है ।

जांच समिति की आख्या के आधार पर समाधान करने के पश्चात् उपभोक्ताओं से धनराशि वसूलने की कार्यवाही की जायेगी । समाधान के पश्चात् ही अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण हो सकेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ?

(देखिये नत्थी ''च'' आगे पृष्ठ 166 पर ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज के वृहत एवं भारी उद्योगों के बिलिंग आउट स्टेशन चेक एवं विलम्ब अधिभार की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

210–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज के वृहत एवं भारी उद्योगों के बिलिंग आऊट स्टेशन चेक एवं विलम्ब अधिभार सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों के जांच हेतु दिनांक 17-10-96 को तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता श्री के० एन० रावत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी समिति की माहवार प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं, समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी, 91 से अगस्त, 92 के मध्य दिए आरोप पत्रों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

211–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड कन्नौज में माह जनवरी, 1991 से माह अगस्त, 1992 के मध्य 8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लेसा, लखनऊ से खण्डवार जनवरी, 98 से नवम्बर, 98 तक प्राप्त विद्युत यूनिट तथा लाइन लासेज का प्रतिशत एवं राजस्व के आंकड़ों में हेरा-फेरी में दोषी अधिकारी की जानकारी

212–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसा लखनऊ से खण्डवार कितना राजस्व प्रतिमाह जनवरी, 1998 से नवम्बर, 1998 के मध्य प्राप्त हुआ है ? उपरोक्त अवधि में प्रतिमाह पारेषण से कितने यूनिट विद्युत प्राप्त हुई तथा लाईन लासेज कितने प्रतिशत रहा ? क्या यह सत्य है कि आंकड़ों में भारी हेरा-फेरी की गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लेसा के अन्तर्गत खण्डवार राजस्व प्राप्ति माह 1/98 से 11/98 तक का संलग्नक–1 में दर्शाया गया है।

उक्त अवधि में खण्डवार ऊर्जा प्राप्ति तथा प्रतिशत लाइन लासेज का विवरण संलग्नक–2 में दर्शाया गया है ।

भारी हेरा-फेरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 167–170 पर ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता लखनऊ रेस्पो के अधीन लिपिकों/ट्रेसरों की अवैध नियुक्ति की जानकारी

213–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र रेस्पो, लखनऊ के अधीन जनवरी, 1994 से अप्रैल, 1997 के मध्य कुल कितने लिपिकों/ट्रेसरों की नियुक्तियां की गई ? क्या उक्त नियुक्तियां मिनिस्टीरियल रेगुलेशन एक्ट 1970 में निहित प्राविधानों के अनुसार की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त अवैध नियुक्तियों को समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) के अधीन जनवरी, 94 से अप्रैल, 97 के मध्य दो ट्रैसर के रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पदोन्नति कर नियुक्तियां की गयी हैं । रेस्पो, लखनऊ के अधीन जनवरी, 94 से अप्रैल, 97 के मध्य मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक लिपिक व एक ट्रैसर की नियुक्ति की गई है ।

यह सही नहीं है कि रेस्पो, लखनऊ के अधीन एक लिपिक व एक ट्रैसर की नियुक्ति मिनिस्ट्रीयल रेगुलेशन 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी है । इस्टेब्लिशमेन्ट आफिस आफ द चीफ इंजीनियर एण्ड अदर सबार्डिनेट आफिसेज रेगुलेशन 1970 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ट्रैसर का पद सीधी भर्ती का पद है । मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र ने ट्रैसरों के रिक्त पद पर सीधी भर्ती न करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां प्रदान की हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में विगत कई वर्षों में लेसा/केसा कानपुर लखनऊ द्वारा कटिया संयोजनों को नियमित करने की जानकारी

214–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत कटिया संयोजनों को नियमित करने के परिषदीय आदेश को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि महाप्रबन्धक लेसा/केसा लखनऊ एवं कानपुर में जनवरी, 1996 से नवम्बर, 1998 के मध्य खण्डवार कितने कटिया संयोजनों को नियमित किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषदीय आदेश संलग्न है । †

प्रश्न नहीं उठता ।

कटिया संयोजन की योजना 12/97 से लागू हुई तथा 11/98 तक नियमित किये गये कटिया संयोजनों की संख्या निम्नवत् है :–

लेसा लखनऊ–13942

केसा कानपुर– 6073

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत देहरादून एवं नैनीताल जोन में पिछले तीन वर्षों में खण्डवार लाइन लासेज एव गत वर्ष में कम्प्यूटर बिलिंग एरियर गलत दर्शाने का विवरण

215–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत देहरादून एवं नैनीताल जोन में पिछले तीन वर्षों में कितने प्रतिशत खण्डवार लाइन लासेज हैं ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1998 में कम्प्यूटर बिलिंग एरियर बहुत गलत दर्शाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा तैनाती स्थान क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

नैनीताल क्षेत्र–इस परिक्षेत्र के अधीन पिछले तीन वर्षों में खण्डवार लाइन लासेज के प्रतिशत निम्नवत् है :–

खण्ड का नाम	लाइन हानि 95–96	लाइन हानि 96–97	लाइन हानि 97–98
1—वि०वि०ख०, हल्द्वानी	18.47	17.95	23.79
2—वि०वि०ख०, काशीपुर	10.63	17.85	19.88
3—वि०वि०खं०, रुद्रपुर	10.95	15.91	26.13
4—वि०वि०खं०, नैनीताल	19.13	26.50	29.76
5—वि०वि०खं०, अल्मोड़ा	10.22	25.91	23.03
6—वि०वि०खं०, रानीखेत	—	18.55	38.08
7—वि०वि०खं०, पिथौरागढ़	26.28	24.40	33.60

† छापा नहीं गया ।

देहरादून क्षेत्र–इस क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न खण्डों में पिछले तीन वर्षों के प्रतिशत लाइन लासेज निम्नवत् है :–

खण्ड का नाम	प्रतिशत लाइन लासेज		
	वर्ष 95–96	वर्ष 96–97	वर्ष 97–98
वि०वि०खं०, (ग्रा) देहरादून	9.13	11.04	15.06
वि०वि०खं० उत्तरकाशी	27.87	26.29	17.93
न०वि०वि०खं०, (उ) देहरादून	19.02	19.59	17.43
न०वि०वि०खं०, (द) देहरादून.	19.02	19.28	19.49
वि०वि०खं०, श्रीनगर	24.04	22.64	26.71
वि०वि०खं०, टिहरी	19.55	18.36	18.89
वि०वि०खं०, गोपेश्वर	46.28	46.20	40.92
वि०वि०खं०, कोटद्वार	10.04	17.93	12.15

परिषद् द्वारा लाइन हानियों पर अंकुश लगाने हेतु उपभोक्ताओं का फीडर वार लेजराइजेशन किये जाने के दौरान उपभोक्ताओं का विवरण एक बुक से दूसरी बुक में स्थानान्तरित करते समय एरियर तो बिलों में लग गया परन्तु भुगतान का विवरण पुराने नम्बर पर होने के कारण इसका विवरण कम्प्यूटर पिकअप न कर सका, इस कारण उपभोक्ताओं के बिल में गलत एरियर प्रदर्शित हो गये जिसका निराकरण कर दिया गया ।

इस गलती के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जनपद जौनपुर में बिगत कई वर्षों से 33 के०वी०ए० विद्युत स्टेशनों हेतु खम्भों को निर्धारित गहराई तक सीमेंट गिट्टी से भरने की जांच

216–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 में नये स्वीकृत 33 के०वी०ए० विद्युत स्टेशनों के निर्माण में मुख्य विद्युत लाइनों के खम्भों को निश्चित गहराई तक सीमेंट गिट्टी से भरने के स्थान पर मात्र मिट्टी से भर कर पोल लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्य करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालकर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । जनपद जालौन में वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 में जिन उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है, उनके लिये जो लाइनें बनी हैं उनमें निर्धारित गहराई तक सीमेंट एवं गिट्टी लगाई गई है । जनपद के 33/11 के०वी बाबई व सिरसाकला विद्युत उपस्थानों के लिये नियामतपुर से निर्माणाधीन 33 के०वी० लाइन के केवल पोल खड़े किये गये हैं । सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण

खम्भों की ग्राउंटिंग नहीं हो पाई है । सीमेंट का प्रबन्ध कर खम्भों की ग्राउंटिंग कराकर प्लिन्थ बनाई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाइन निर्माणाधीन है तथा सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ।

जनपद अलीगढ़ के अतरौली में ग्रामों हेतु विद्युतीकरण के लिये प्राप्त सामग्री के अपव्यय के दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

217–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991–92 में जनपद अलीगढ़ के अतरौली विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु चयन किया गया था ? क्या इन ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग के भण्डार से सामान भी निर्गत किया गया था ? क्या यह सही है कि निर्गत किये गये सामान से उन 50 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या विद्युतीकरण के लिये गये सामान के अपव्यय के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत 50 ग्रामों में से 35 ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ।

सामग्री का अपव्यय होने के कारण शेष 15 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

जी हां ।

सामान के अपव्यय के लिये दोषी अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ लेसा में 3 वर्षों से आर टू के गायब होने की सूचना दर्ज होने पर दोषीजनों को चिन्हित करने की मांग

218–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिलिंग में कम्प्यूटर द्वारा सृजित विभिन्न रिपोर्टों का रख रखाव किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कराया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कौन-कौन सी रिपोर्ट वर्तमान समय में उपलब्ध है ? क्या यह सत्य है कि खण्डों में आर टू का रख-रखाव पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो लेसा, लखनऊ में पिछले तीन वर्षों में आर टू के गायब होने की कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी हैं ? क्या इसमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम, पदनाम व तैनाती स्थान क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विभिन्न रिपोर्टों का रखरखाव वितरण खण्डों के सहायक अभियन्ता (राजस्व) के अधीन संबंधित ग्रुप के राजस्व लिपिक द्वारा कराया जाता है । यह रिपोर्ट 1 से 30 नं० तक आती है ।

वर्तमान समय में उपरोक्त सभी रिपोर्ट उपलब्ध है ।

यह सत्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल के दैनिक श्रेणी लिपिकों के प्रोन्नति हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

219–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत दैनिक श्रेणी लिपिकों से कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पदों पर प्रोन्नति में परिवर्तित आदेश संख्या 311/पी०/रा०वि०प०/तीस–4/1986/दिनांक 2-3-88 का उल्लंघन कर प्रोन्नति की गयी है ? क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ उ० प्र० के प्रदेश मंत्री का पत्रांक 401/दिनांक 23-8-92 मा० मंत्री जी व अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत दैनिक श्रेणी लिपिकों से कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक के पदों पर पदोन्नति में परिषदीय आदेश संख्या 311–पी०/राविप/तीस–4/1986 दिनांक 2-3-88 में निहित प्राविधानानुसार मण्डलीय कार्यालय से 50 प्रतिशत एवं खण्डीय कार्यालय से 50 प्रतिशत कोटा का पालन किया गया है ।

जी हां ।

परिषदीय आदेश संख्या 311–पी०/राविप/तीस–4/1986, दिनांक 2-3-88 में निहित प्राविधानानुसार ही कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक के पद पर पदोन्नति की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में अध्याप्ति भूमि से प्रमाणित कृषक परिवार के एक सदस्य के नियुक्ति की मांग

220–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् की नियमावली में 50 या 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अध्यापित कृषक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नियुक्ति दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन को ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री बंशीलाल पुत्र श्री सिद्धनाथ वर्मा, जिसने सन् 1992 में अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सम्पूर्ण कागजात परिषद् में प्रस्तुत करने पर नौकरी प्रदान की जायेगी, के अनुपालन में श्री वर्मा द्वारा सम्पूर्ण कागजात परिषद् एवं टाण्डा प्रोजेक्ट में 9 नवम्बर, 1995 को जमा करने के बाद उन्हें नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां !

जी हां ।

सूची संलग्न† है !

प्रश्न नहीं उठता !

जी हां । श्री बंशीलाल ने अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है । माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कागजात जमा करने की स्थिति में केस पर सेवायोजन का विचार करने के लिये निर्देशित किया था । मा० उच्च न्यायालय ने नियुक्ति देने का कोई निर्देश नहीं दिया । परिषद् स्तर पर विचारोपरान्त श्री बंशीलाल पुत्र श्री सिद्धनाथ की परिषदान्तर्गत नियुक्ति करना नियमों में आवरित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अम्बेडकरनगर, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र, भाई द्वारा ठेकेदारी कार्य को प्रतिबन्धित करने के आदेश की अवहेलना का विवरण

221–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना टाण्डा, जनपद–अम्बेडकर नगर में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के पुत्रों को उनके तैनाती के स्थान पर ठेकेदारी करने पर कोई रोक लगी होने के पश्चात् भी ऐसे कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके पुत्र/भाई उक्त परियोजना में ठेकेदारी कार्य कर रहे हैं और क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर अम्बेडकर नगर में निम्न फर्मों द्वारा परियोजना में ठेकेदारी कार्य किया जा रहा है जिनके प्रोपराइटर परियोजना में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/भाई हैं :–

1—मै० ए०के० इंजीनियरिंग	प्रो० श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री बंशराज सिंह टैक्नी०–1
2—मै० प्रशान्त इण्टरप्राइजेज	प्रो० श्री अनिल कुमार गोस्वामी पुत्र श्री छबिलाल गोस्वामी आलेखक ।
3—मै० सुनील ट्रेडिंग एण्ड कन्सट्रक्शन सप्लायर्स इंजी० वर्क्स ।	प्रो० सुनील कुमार चौरसिया पुत्र श्री दयानन्द चौरसिया ।
4—मै० यू०के०ट्रेडर्स	प्रो० श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, यह सहायक लेखाकार श्री आर०एन० सिंह के भाई हैं ।

हाल में की गई जांच के उपरान्त उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र/भाई द्वारा परियोजना में ठेकेदारी का कार्य किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है । सभी अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को महाप्रबन्धक टांडा द्वारा निर्देशित किया गया है कि टेंडर विक्रय से पूर्व संबंधित ठेकेदार से इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करें कि कोई भी परियोजना में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी उसका संबंधी नहीं है । संबंधित कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश तथा उक्त फर्मों को कार्य करने से प्रतिबाधित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

---

† छापी नहीं गई ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री राम ललित चौधरी एवं श्री बुनियाद हुसैन अंसारी आदि कई सदस्य पोस्टर दिखा रहे थे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यहां पोस्टर दिखाने से लाभ नहीं है, गम्भीर बात हो तो कहिए । कब तक सदन की कार्यवाही इस प्रकार बाधित रहेगी ?

(विपक्ष के लगभग सारे सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे और पोस्टर दिखा रहे थे जिस कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

आज दिनांक 19 मार्च, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गईं । श्री अम्बिका चौधरी, श्री बिन्दु लाल, श्री बाबू लाल कुरील, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री राम चन्द्र यादव, श्री श्याम किशोर यादव, श्री अवधेश प्रसाद । सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जांय । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

(संलग्न सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गईं ।)

बलिया के थानाध्यक्ष भीमपुरा (तत्कालीन) के दुर्व्यवहार एवं कथित भ्रष्टाचार आदि की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना देकर अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं । बलिया के थाना-क्षेत्र भीमपुरा पर पूर्व सूचना देकर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में थानाध्यक्ष भीमपुरा (तत्कालीन) के दुर्व्यवहार, लूट, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, पद का दुरुपयोग, साम्प्रदायिक संगठन के पर्ची रसीद पर जबरन पैसा वसूली की जांच एवं कार्यवाही की मांग के साथ कई मांगों को लेकर 4 अगस्त, 1997 को 10 बजे प्रातः से सायं 4.30 बजे तक थाना से बाहर राजमार्ग के दक्षिणी पटरी पर, जबकि थाना उत्तर पटरी के बाद दूरी पर है, धरना/प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से किया । धरना समाप्ति पर था । समाजवादी पार्टी के प्रान्तीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री श्री शारदानन्द अंचल भाषण दे रहे थे । उसी समय थानाध्यक्ष ने इलाकाई गुण्डों, दलालों और पुलिस के जवानों को लेकर धरना देने वालों पर धावा बोलकर घायल करना, लूटना, अपमानित करना प्रारम्भ कर दिया । उस समय अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित 6 थानों के प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस कर्मी शामिल रहे । धरना देने वालों की ओर से वादी देवेन्द्र सिंह यादव का मुकदमा न्यायालय के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आदेश से दर्ज किया गया, लेकिन वादी के मरने के बाद उक्त गम्भीर घटना केस को दबाया जा रहा है, जो अन्याय व मानवाधिकार का हनन है ।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर प्रकरण को मान्यवर, के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही के निर्देश की मांग कर रहा हूं ।]

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी एवं तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत सुचारु रूप से पेयजल की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दू लाल–

[महोदय, 154 गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र 155 तुलसीपुर, बलरामपुर में पेयजल संकट वर्तमान समय में विकराल रूप धारण करता जा रहा है, जबकि गर्मी अभी प्रारम्भ हो रही है । क्षेत्र के विभिन्न विकास खण्डों–गैसड़ी–पचपेड़वा, तुलसीपुर, हरैया, सवधरवा में पेयजल का गम्भीर संकट है । पुराने हैण्ड पम्प जो लगे हैं वह कई माह से खराब पड़े हैं जिन्हें विभाग द्वारा अभी तक ठीक नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में विभाग को कई बार उक्त हैण्ड पम्प ठीक किये जाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है । उक्त विकास खण्डों में हैण्ड पम्पों की कमी होने के कारण पेयजल सुचारु रूप से सभी गांवों में उपलब्ध न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उक्त विकास खण्डों में अतिरिक्त हैण्ड पम्प की भी आवश्यकता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव के ग्राम मवई बभनान में जुलाई, 97 में किये गये 83 पट्टेदारों में से अधिसंख्यक को कब्जा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुरील–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम मवई बभनान परगना आसीवन रसूलाबाद तह० हसनगंज क्षेत्र के अन्तर्गत जुलाई, 97 में वैधानिक तरीके से 83 पट्टे हुए थे, जिसमें से केवल 15 लोगों को ही वास्तविक कब्जा दिलाया गया, शेष पट्टेदारों को भू-माफियाओं के दबाव के कारण कब्जा नहीं दिलाए गये हैं । शेष पट्टेदारों ने कब्जा पाने हेतु तहसीलदार हसनगंज परगनाधिकारी हसनगंज, को लगातार पट्टे पर कब्जा दिलाए जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं और सरकार द्वारा चलायी जा रही तहसील दिवस पर भी उक्त पट्टेदारों ने पट्टे पर कब्जा पाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिए हैं, किन्तु तहसीलदार हसनगंज/परगनाधिकारी द्वारा आज तक भी वंचित पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिलाया गया है । दिनांक 2 फरवरी, 99 को तहसील दिवस पर हसनगंज तहसील पर पधारे आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ के समक्ष प्रार्थीगण/पट्टेदारों ने कब्जा दिलाए जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे, किन्तु आज तक उक्त पट्टेदारों को भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही शिथिल करते हुए सदन में इस विषय पर मैं आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं ।]

श्री गांधी इण्टर कालेज गड़गवा जनपद जालौन में आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर० के० सिंह पटेल–

[महोदय, उपरोक्त इण्टर कालेज में अब तक कुल नियुक्त 24 शिक्षकों में कोई भी अनु० जाति का शिक्षक नियुक्त नहीं है जबकि आरक्षण कोटा के अन्तर्गत अनु० जाति के कई शिक्षकों के पद रिक्त हैं ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कई आरक्षित पदों पर सामान्य जाति के शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं, तथा आरक्षित कोटा के अन्य रिक्त पदों पर शिक्षक सामान्य जाति के लोगों द्वारा पद भरे जाने की कोशिश की जा रही है। जिससे आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिससे अनु० जाति के छात्रों तथा अनु० जाति के लोगों में निराशा की भावना पैदा हो रही है।

अतः उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने व उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर के समस्त जूनियर विद्यालयों के अध्यापकों का अगस्त, 98 से वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम चन्द्र यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद फैजाबाद, अम्बेडकर नगर जनपदों में अनुदानित समस्त जूनियर विद्यालयों का वेतन भुगतान न होने के तरफ दिलाना चाहता हूं, अगस्त, 1998 से नहीं भुगतान किया जा रहा है जिससे कार्यरत कर्मचारियों के सामने भुखमरी पैदा हो रही है और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं सारे विद्यालय के कर्मचारी आन्दोलित हैं और इसका बुरा असर पठन-पाठन पर पड़ रहा है। शिक्षा इससे बाधित हो रही है और कर्मचारी आन्दोलित हैं।

अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित भूमि का प्रतिकर शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम किशोर यादव–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग द्वारा खसरा नं० 1303 रकबा एक बीघा 19 विस्वा स्थिति ग्राम माती परगना बिजनौर जिला लखनऊ को अब से 20 वर्ष पूर्व माती कल्ली पश्चिम मार्ग से अर्जित कर लिया था परन्तु जमीन के मालिक रामजीआवन नाई निवासी माती को अब तक विभाग की लापरवाही के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है इससे इनका शोषण हुआ है और ब्याज सहित प्रतिकर का भुगतान होना चाहिए।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के मड़हा नदी पर उसरू अमौना के पास टकसरा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद–

[महोदय, मैंने जनपद फैजाबाद से मड़हा नदी का बहाव है, जो बहुत ही गहरी नदी है। इस नदी पर टक्सरा पुल अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था, जो अब काफी जर्जर हो चुका है और टूट चुका है,जिसके कारण आवागमन ठप्प है। इस स्थान पर मड़हा नदी बहुत गहरी व चौड़ी है। यहां से तीन जिलों के लोगों का आना-जाना रहता है। मेरे क्षेत्र से प्रभात नगर से सीधे सड़क उसरू अमोना से होते हुए शाहगंज की तरफ जाती है और शाहगंज से जनपद सुल्तानपुर जाने का सीधा मार्ग है। मड़हा नदी पर पुल न रहने से लोगों के सामने बड़ी कठिनाई हो जाती है। इस महत्व को देखते हुए पिछले वर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

93-94 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इस सड़क के बनने की स्वीकृति हुई थी लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की गांव विरोधी और किसान विरोधी नीति के कारण सड़क का निर्माण कार्य खटाई में पड़ा है । जबकि इसके विरोध में लोक सभा के चुनाव में लोगों ने पुल न बनने के आक्रोश में मतदान का बहिष्कार किया था ।

महोदय, यह अत्यन्त लोक महत्व का लाखों जनता के जीवन से जुड़ा सवाल है सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तत्काल इसी वित्तीय वर्ष में धन स्वीकृत करते हुए पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय अन्यथा स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो जायेगी । ।

अरबी और फारसी मदरसों से सम्बन्धित प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 23 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 1.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज विधान सभा के बाहर अरबी मदरसों के अध्यापकों का धरना चल रहा है ...

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं नियम–300 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

(श्री राम ललित चौधरी अपनी सीट पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, विधान सभा के बाहर अरबी और फारसी मदरसों के शिक्षकों का धरना चल रहा है । श्रीमन्, धरना इस बात के लिए चल रहा है कि उनकी कुछ गम्भीर समस्याएं हैं...

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम–311 की सूचना मिली है और मेरा अनुरोध है कि औपचारिक कार्य के पश्चात् और कार्य स्थगन के पहले इसको लेंगे । लेकिन एक आश्वासन चाहता हूं । यह सदन विचार विमर्श के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । विपक्ष अपनी बात कहता है तो सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देती है । मैं शर्त कहूं या क्या कहूं आप लोग अपनी बात कहने के पश्चात् माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को भी जरूर सुनें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम सरकार का जवाब सुनेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले संसदीय कार्य-मंत्री जी को ही बुला लें । हम अपनी बात बाद में कह देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पुराने अनुभवों के आधार पर ही यह शंका जाहिर की है और यह निराधार नहीं है ।

प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न कर समय नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह परिस्थिति कल भी पैदा हुई थी और मैंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था और आपकी व्यवस्था भी चाही थी । मान्यवर, प्रश्नकाल स्थगित हो जाता है और उसके कारण माननीय सदस्य अपने प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, अनुपूरक नहीं पूछ पाते हैं । हमें आपका निर्णय और आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जब प्रश्नकाल स्थगित हो जाता है तो बाकी काम का क्या औचित्य है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले प्रश्नकाल करा दें और उसके बाद सारा एजेन्डा उसी क्रम में चले । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रश्नकाल स्थगित हो गया तो सारे सदन का कार्य स्थगित हो जाय, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य- पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सदन बड़ा सुचारु रूप से चल रहा था, कल से फिर इसमें व्यवधान पैदा हुआ । मान्यवर, यह सदन दोनों पक्षों का है दोनों पक्षों के सदस्यगण इसमें भाग लेंगे लेकिन होता इसके विपरीत है । विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे व्यवधान पैदा करेंगे कभी भी किसी को समय नहीं देते हैं । मान्यवर, आज अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो लगे थे यह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे । आप कोई भी समय उन्हें नहीं देना चाहते हैं कि इस पक्ष के सदस्य अपने विचार रख सकें, प्रश्न पूछ सकें । मान्यवर, सारे सदन का कार्य जैसे चार-पांच सदस्यों तक सीमित रह गया है सारा समय लेगें और समय लेने के बाद किसी और को नहीं बोलने देना चाहते हैं । जो प्रश्न माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने उठाया है यह उनकी वेदना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, स्वयं सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता है यह पूरी की पूरी साजिश बना ली गई है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जायेगी अरबी, फारसी के मदरसों और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो प्रश्न हैं वह यहां नहीं आने दिया जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ यहां आसन ऐसे हैं जिनकी विशेष गरिमा है । माननीय नेता विरोधी दल का आसन उसमें है । आप मान्यवर, सदन के सर्वोच्च आसन पर हैं । जब आज प्रश्न प्रहर शुरू हुआ तो आप आसन छोड़कर यहां आ गये । सत्ता पक्ष यहां बैठा हुआ था कम से कम आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं आपको शोभा नहीं देता है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपको भी शोभा नहीं देता है । मान्यवर, आपके कक्ष में एक बात तय हो गई कि शांतिमय ढंग से सदन चलेगा । मान्यवर, हमेशा समस्याएं उठाई जाती रही हैं और सदन में व्यवधान पड़ता रहा है । आपके कक्ष में निराकरण की बात होती रहती है और उसी के तहत निराकरण हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे कार्यवाही चलने दीजिए । माननीय वाजपेयी जी ने जो व्यवस्था की बात उठाई है, सदन सभी माननीय सदस्यों का है हम लोग प्रयास करते हैं कि व्यवधान न हो लेकिन यह अनुभव है कि व्यवधान होता है । व्यवधान के कारण को कोई उचित कहेगा कोई अनुचित । प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है । उसमें शासन की नीतियों का उल्लेख होता है और सारा प्रदेश प्रतीक्षा करता रहता है कि प्रश्नकाल में उत्तर क्या आया है ? अब कम से कम जो इस सत्र के थोड़े से दिन शेष हैं, इस प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं होगा और प्रश्न काल पूरा होगा इसका हम सब प्रयास करें । मैं कार्य-स्थगन के बाद इस सूचना को सून लूंगा मुझे कोई आश्वासन दे कि सत्तापक्ष का जब उत्तर आये तब व्यवधान नहीं होगा । कार्य-सूची में जो मदें हैं, वह पूरी की पूरी हो जायेंगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी मान्यवर, सही उत्तर देंगे । झूठे उत्तरों के माध्यम से जो हमेशा सदन को गुमराह करने की जो परम्परा बन गई है, उसको रोका जाएं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य-मंत्री क्या उत्तर देंगे, यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यदि विपक्ष उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य लोकतांत्रिक तरीके अख्तियार करें, लेकिन सदन को व्यवस्थित ढंग से चलने दें ? आप लोग सदन में व्यवधान न डालें, यही मेरा अनुरोध है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–300 की सूचनायें आज दिनांक 19-3-1999 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री विनोद मणि तिवारी की है, वह उपस्थित नहीं हैं । दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी और सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की वन निगम के वार्षिक विवरण के संबंध में है ।

उत्तर प्रदेश वन विभाग का वार्षिक विवरण वर्ष 1979-80 से 1992-93 सदन के पटल पर विलम्ब से रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से औचित्य के इस प्रश्न के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन् जब उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होता है, तब शासन के विभिन्न विभागों की ओर से संगत अधिनियम, नियमावली, साधारण खण्ड, निर्वचन अधिनियम, संविधान के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न नियमावली एवं प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखवाये जाते हैं। विगत कई वर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा और निगमों द्वारा सदन के पटल पर नियमावली या जो प्रतिवेदन रखे जाते हैं, वह काफी विलम्ब से रखे जाते हैं। विगत 17 मार्च, 1999 की कार्य-सूची में मद संख्या–5 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक विवरण वर्ष 79-80 का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया। मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि कम्पनीज एक्ट या दूसरे संगत अधिनियम में इन प्रतिवेदनों को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने का प्राविधान है। यथाशीघ्र की परिभाषा यह नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश वन निगम का प्रतिवेदन, जो 79-80 का है, को 20 वर्षों बाद इस सदन के पटल पर रखा जाय। यदि इस प्रतिवेदन पर सदन को चर्चा करनी हो या यह विनिश्चय किया जाय कि प्रतिवेदन में दर्ज किये गये अधिकारी दंडित किये जायेंगे तो क्या यह चलेगा कि संबंधित अधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो गये या उनमें से कई विदेगत हो गये। अध्यक्ष पीठ से बार-बार इस संबंध में निर्देश हुये हैं कि लापरवाही न बरती जाय और समय से यथाशीघ्र प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाय। आप इस संबंध में सरकार को सख्त निर्देश दें कि यथाशीघ्र की परिभाषा कम से कम यह हो कि 3-4 वर्षों के अन्दर प्रतिवेदन सदन के पटल पर जरूर रखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह प्रतिवेदन विभाग को 1995 में प्राप्त हो गया और 95 के बाद 96,97,98,99 में इसको रखा जा सकता था। इसमें समस्या यह है कि जिनके खिलाफ कोई टिप्पणी हो, यदि उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव होगा तो सन् 1979 के कर्मचारी रिटायर हो चुके होंगे या दुनिया में नहीं रह गये होंगे। 1995 में विभाग को प्राप्त हो जाने के बाद, इसे अभी तक सदन के पटल पर न रखा जाना विधान सभा की, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिये यथाशीघ्र की परिभाषा होनी चाहिये, कभी किन्हीं कारणों से न आ पाये, वह बात अलग है, लेकिन कोई भी प्रतिवेदन उस वर्ष के तत्काल बाद सदन के पटल पर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य-मंत्री कुछ कहेंगे या मैं व्यवस्था दूं।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वन निगम के लेखे-जोखे जो हैं उनका सम्परीक्षण होता है। उसमें 3-4 वर्ष लग जाता है उसके बाद जब आडिट रिपोर्ट आती है उस पर लेखा तैयार होता है। उसको तैयार कराने में 10-12 लाख का व्यय आ जाता है हमने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि कुछ कम प्रतियां रख ली जायं तो यह न होने पर प्रतियां तैयार करने में कुछ विलम्ब हुआ इसमें जान-बूझ कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इस तरह की सारी बातें देख कर यह लेखा-जोखा रखा है जब तक आडिट नहीं हो जाता यह काम पूरा नहीं होता है।

श्री प्रमोद कुमार–

वह तो 1995 में प्राप्त हो गया था ।

श्री अध्यक्ष–

प्राप्त होने के पश्चात् विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

श्रीमन्, विलम्ब के कारण जो दर्शाये हैं वह एक ही चिट्ठी में टाईप हुये हैं । 79 और 93-94 के जो हैं उनमें सब एक ही चिट्ठी है वही चिट्ठी लगायी है । माननीय मंत्री जी ने उसको देख लिया होता, तो मैं समझता हूं कि वह शायद दस्तखत भी नहीं करते । इसलिये मैं चाहूंगा इससे तो सदन की व्यवस्था पर जो प्रश्नचिन्ह लग रहा है, यह उचित नहीं है । इसलिये वन निगम को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिये जिससे सदन की गरिमा बनी रहे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपसे अनुरोध किया था । इस संबंध में वन निगम ने पूरा प्रयास किया है कहीं कोई विलम्ब न हो । 10-12 लाख रुपये का व्यय जो होता है उसको सोच समझ कर ही किया जाता है तो थोड़ा उससे विलम्ब हो गया इसमें कोई विभाग की तरफ से डिले नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

लेखा परीक्षण में कुछ समय तो लगता है लेकिन जब एक बार लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी तब उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये । उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा–23 की उपधारा 4 एवं 5 जो इस मामले में संगत है उसके अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजे जायेंगे । राज्य सरकार द्वारा 5–(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उसके संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी और (ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतियों को उपलब्ध करवायेगी । प्रश्नगत वार्षिक विवरणों को सदन के पटल पर रखे जाने में अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है । भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं माननीय वन मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि शासन के समस्त विभागों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दें ।

विधान सभा के दिनांक 18 मार्च, 1999 के उपवेशन में अनुदान संख्या–37 पर सरकार द्वारा विपक्ष को कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कल जो इस आदरणीय सदन में हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

अब कल की स्थिति को न लें, कल जो स्थिति थी कटौती के प्रस्ताव पर नाम पुकारा गया जब माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे तो अब आज उसको न लें, आज चलने दीजिये, उस पर टिप्पणी न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम औतार शास्त्री—

मान्यवर, मुझे मालूम है आप बहुत दुखी हैं। कल जो सदन स्थगित हुआ उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत धन आवंटन के बारे में जब सब लोग बोल गये, जगदम्बिका पाल जी और राम जग जी बोल गये और हमारे अम्बिका चौधरी जी, जो उप नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में उनकी भूमिका निभाते हैं।

मान्यवर, हमारे डिप्टी लीडर जब खड़े हुए कटौती के प्रस्ताव को बल देने के लिये तो सत्तापक्ष के लोगों ने इसलिये शोरगुल करना शुरू कर दिया ताकि कहीं उनकी पोल न खुल जाये। मान्यवर, हमारे डिप्टी लीडर अपनी बात दो मिनट में कह ही देते। हमें मालूम है कि मान्यवर, आप बहुत योग्यता के अनुसार सदन चलाते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, ये कटौती का प्रस्ताव यहां बेल में रखने तो नहीं आये थे।

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 18 मार्च, 69 को सदन में व्यवधान की स्थिति में भी कटौती प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को पुकारा गया था परन्तु उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसलिये इसमें औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। इसलिये यह सूचना अस्वीकृत की जाती है।

प्रक्रिया नियमावली के नियम—32 के साथ पठित प्रक्रिया संबंधी निदेश पैरा 40(1) तथा (2) में स्पष्ट प्राविधानों के बावजूद प्रश्नोत्तर की निर्धारित अवधि में सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नियमानुसार एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिये जिससे माननीय विधायकगण अपना अनुपूरक प्रश्न तैयार कर सकें। मान्यवर, नियम—32 देखने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जाये। अल्पसूचित प्रश्नों और तारांकित प्रश्नों के उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाये जायेंगे तथा कार्य-सूची में सम्मिलित ऐसे समस्त अतारांकित प्रश्नों के जो स्थगित न किये गये हों उत्तरों को सभा पटल पर रखा समझा जायेगा और ऐसे अतारांकित प्रश्न तथा उनके लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे। मान्यवर, निदेश 40(1) में नियमावली के नियम 32 के उपबन्धों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्यों को उत्तरों के लिये नियत दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाय। अतः सरकारी सचिवालय के विभाग प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रतियां उत्तरों के लिये नियत दिन के 48 घंटे पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दिया करें। मान्यवर, निदेश 40-2 में यह प्राविधान है कि इस 48 घंटे की अवधि में केवल कार्य दिवस ही गिने जायेंगे उदाहरणार्थ जो उत्तर सदन में सोमवार को दिया जाना हो उसकी प्रतियां विधान सभा सचिवालय को पूर्वगामी शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक प्रेषित कर दी जाये और यदि शनिवार को भी अवकाश हो तो ऐसे उत्तर गुरुवार को दिन में 11 बजे तक प्रेषित कर देना चाहिये। मान्यवर, एक उदाहरण और देना चाहता हूं दिनांक 4 जून, 1970 को प्रश्न प्रारम्भ होने के पूर्व ही श्री शम्भूनाथ चौधरी ने प्रश्नों के उत्तर एक दिन पहले न मिलने पर शिकायत की और उसको स्थगित करने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा—"जिस वक्त यह प्रश्न आयेगा तो पोस्टपोन कर देंगे। प्रश्नों के उत्तर समय से पहले दे दिया करें।"

मान्यवर, दिनांक 22 फरवरी, 1984 को प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय में समय से भेजने के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश जारी किया कि प्रश्नों के संबंध में शासन के लोग विशेष रूप से मेरी बात को सुने और नोट करें। हो यह रहा है कि यहां पर मेरे कार्यालय से मेरे यहां जो प्रश्नों और उनके उत्तर से संबंधित पत्रावली आती है वह उसी दिन 10 बजे या 10-30 बजे आती है। नियम आपका यह है कि एक दिन पहले 6 बजे तक प्रश्नों के उत्तर हमारे यहां आ जाना चाहिये, नहीं तो एजेन्डा बनाने में हमको परेशानी होती है। हमारे कर्मचारी प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक देखते रहते हैं और 10-बजे रात तक प्रश्न तथा उत्तर नहीं आते हैं। दिन प्रतिदिन यह कठिनाई इससे आती है, भविष्य में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि 6 बजे शाम के बाद कोई प्रश्न आते हैं तो मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि मैं उनको शामिल कर सकूं। इसके लिये चाहे आप विशेष रूप से अपनी मीटिंग बुलायें या कोई और निर्णय करें। 6 बजे के बाद इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर आयेंगे तो न मेरे लिये और न मेरे सचिवालय के लिये संभव होगा कि उनको हम ले सकें। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।''

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे या मैं व्यवस्था दूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 32 में यह प्राविधान है कि प्रश्नों के उत्तर के लिये जो दिन नियत किया गया हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी। इसी प्रकार प्रक्रिया संबंधी निदेश 40 (1) एवं (2) में यह प्राविधान है कि मा० सदस्यों को उक्त नियम के अनुसार एक दिन पूर्व प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराने के लिये ऐसे प्रश्नोत्तर विधान सभा सचिवालय में दो कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिये परन्तु इसका पालन नहीं हो रहा है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वे प्रक्रिया नियमावली के उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। अभी कल ही प्रश्नों के उत्तर सायंकाल 6.00 बजे तक नहीं आए थे।

अगली सूचना माननीय श्री राम विशुन आजाद की है।

दिनांक 9 मार्च, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वीकृत वक्तव्य पूरा न करा दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 9-3-99 को एक सूचना दी गयी थी जो जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से संबंधित है। दिनांक 17-3-99 को माननीय मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसमें कहा गया है कि निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०–4, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा की गयी जो दिनांक 15-2-99 की जांच आख्या में उल्लिखित है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि पुरानी सोलिंग उखाड़कर प्राप्त उपयोगी ईंटों का प्रयोग किया जाता तो रु० 10,732/- की अनुमानित बचत की जा सकती थी। इस धनराशि की बचत न करने के लिये जिलाधिकारी ने अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मनकापुर को दोषी पाया। किन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई जो भ्रष्टाचार किया गया जिलाधिकारी से शिकायत मेरे द्वारा की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मान्यवर, यह मेरा औचित्य का प्रश्न बनता है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह एक क्षेत्र विशेष, एक स्थान विशेष, का मामला है । इसको मैं दिखवा लूंगा कि कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

वर्ष 1999 के पांचवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–83 का उत्तर सत्य से परे दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है । यह नियम 300 में नहीं आती ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, 300 में नहीं आ रही है तो इसको 302 में सुन लें । मान्यवर, हमें यह अधिकार है कि हम प्रश्न पूछें और सरकार उनका उत्तर दे । सरकार और मंत्रिगण नशे में चूर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–300 तक ही सीमित रखें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि मण्डी निर्माण के बारे में लगभग 80 लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसमें 32 लाख रुपये की भूमि खरीदी गयी । मैं यह पूछ रहा हूं कि मण्डी कब बनी और निर्माण कब किया गया तो उसका उत्तर आया है कि जी नहीं । तो जब निर्माण हो गया और निर्माण होने के बाद 80 लाख रुपये खर्च हो गये, उसका निर्माण कराया गया, मण्डी आज भी बनी हुई है, पूरी कम्प्लीट बनी हुई है । मंत्री जी का जो यह उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता इससे बड़ी भ्रम की बात क्या होगी । मण्डी बनी है, मिसाल है कि जिसका बाप जिन्दा हो उसको हरामी कौन कहेगा । मान्यवर, आप निरीक्षण करा लीजिये । यह किस नियम में आता है । मान्यवर, इस तरीके से जो यह सरकार व्यवहार कर रही है । यह उत्तर कि मण्डी वहां नहीं बनी है । मैंने पूछा कब चालू होगी उत्तर है प्रश्न नहीं उठता । इससे सदन गुमराह हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका आरोप था कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह सत्य से परे है । यदि आप नियम–166 के अन्तर्गत सूचना देंगे तो माननीय मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दूंगा ।

अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है । यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल व श्री समरपाल सिंह की है ।

तीसरी सूचना श्री आर० के० सिंह पटेल की है । यह दोनों सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं ।

स्पष्ट शासनादेश के बावजूद प्रदेश में अप्रेन्टिस कर चुके तीस हजार डिप्लोमा धारकों के बेरोजगार होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे 2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है। आप इसके बारे में चर्चा की मांग करिये। इससे सदन की कार्यवाही से संबंध होता तो मैं सुन लेता।

इसीलिये मैंने पोइया जी की सूचना पर भी नहीं सुना।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर मान्यवर, पोइया जी को नहीं सुनेंगे तो क्या पाल को भी नहीं सुनेंगे ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह आरोप है।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्यवाही को विनियमित करने से आपकी सूचना का दूर-दूर तक संबंध नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की इस विधान सभा के प्रति जवाबदेही होती है।

श्री अध्यक्ष–

सरकार हर चीज के लिये जिम्मेदार है, अगर आपके तर्क को मान लिया जाय तो हर सूचना नियम 300 में आयेगी। आपकी सूचना इस सदन की कार्यवाही को विनियमित करने वाले कौन से नियम से संबंधित है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

शासनादेश का उल्लंघन नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स प्रशिक्षु हैं उनको विभागों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाय। संविधान के अनुच्छेद 16(4)(2) को देख लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देखा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा ? 3 हजार डिप्लोमा होल्डर्स जो अप्रेंटिस कर चुके हैं बेकार हैं । उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जगदम्बिका पाल के बहुत ही तर्कपूर्ण विचारों को सुनने के पश्चात् मैं इस मत का हूं कि सूचना नियम 300 में नहीं आती है ।

मृतक आश्रित के रूप में एक के स्थान पर तीन मृतक आश्रितों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, सुन लें, महत्वपूर्ण मामला है । संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार अवसर की समानता का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको प्रसन्नता होनी चाहिये कि एक के बजाय तीन-तीन लोगों को नौकरी दे दी गयी है । नियम एक का है । यह नियम 300 में नहीं आता । किसी दूसरे नियम में उठाइये । यह सूचना निरस्त हो गयी ।

श्री विनोद मणि–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति के द्वितीय विशेष प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) के पंचम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1985-86) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

† छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का पंचम प्रतिवेदन †

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का पंचम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1988-89) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का षष्टम प्रतिवेदन †

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का षष्टम् प्रतिवेदन, जो प्राक्कलन समिति (1986-87) के विशेष प्रतिवेदन जो, श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदार नाथ के संबंध में है, में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में लोअर कैनाल आगरा के अधिशासी अभियन्ता का कैम्प कार्यालय स्थापित कराये जाने के संबंध में चौ० भद्रपाल सिंह तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से लोअर कैनाल आगरा के अधिशासी अभियन्ता का कैम्प जनपद मथुरा में स्थापित कराये जाने के संबंध में चौ० भद्रपाल सिंह तथा अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के ब्लाक फरह से ग्राम परखम ओल जाजनपट्टी के चौराहे तक के मार्ग को चौड़ा कराये जाने के संबंध में श्री सुनील कुमार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के ब्लाक फरह से ग्राम परखम ओल जाजनपट्टी के चौराहे तक के मार्ग को चौड़ा कराये जाने के संबंध में श्री सुनील कुमार निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा में "ब्रज उत्सव" हेतु शासन से निधि की स्थापना किये जाने एवं उक्त कार्यक्रम को आयोजित कराये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द्र कुमार पोइया तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से "ब्रज उत्सव" हेतु शासन से निधि की स्थापना किये जाने एवं उक्त कार्यक्रम को आयोजित कराये जाने के संबंध में श्री बृजेन्द्र कुमार पोइया तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद रायबरेली क्षेत्र बछरांवा के ग्राम बेड़ारू से चौराहा भवानीगढ़ के मध्य सम्पर्क मार्ग को डामरयुक्त कराये जाने के संबंध में श्री विपिन कुमार वर्मा तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बछरांवा, जनपद–रायबरेली के ग्राम बेड़ारू से चौराहा भवानीगढ़ के मध्य सम्पर्क मार्ग को डामरयुक्त कराये जाने के संबंध में श्री विपिन कुमार वर्मा तथा अन्य निवासीगण-जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

जनपद कानपुर नगर, तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चौ० संजीत कुमार तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर नगर, तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चौ० संजीत कुमार तथा अन्य निवासीगण–जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर नगर की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में पेयजल की व्यवस्था हेतु ग्रामीण पेयजल योजना चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से कानपुर नगर की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में पेयजल योजना चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम तथा अन्य निवासीगण–जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका++

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा मौहरिया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम श्रृंगार पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

* श्री पूर्णमासी पंकज–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियांवा मौहरिया घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम श्रृंगार पाण्डेय तथा अन्य निवासीगण–जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सीतापुर के कस्बा तम्बौर के दक्षिण में बहा नाले पर पुल (काजवे) का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जहीर मिर्जा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं जनपद सीतापुर के कस्बा तम्बौर के दक्षिण में बहा नाले पर पुल (काजवे) का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जहीर मिर्जा निवासी–जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पीपे का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री जागेश्वर तथा अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री राम चन्द्र यादव–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पीपे का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री जागेश्वर तथा अन्य निवासीगण–जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

++ छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 19 मार्च, 1999 से 24 मार्च, 1999 तक के सदन के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

मार्च, 1999

19 शुक्रवार — 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण — आधा घण्टा ।

20 शनिवार
21 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

22 सोमवार — 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1999 — आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1999 — आधा घण्टा ।

23 मंगलवार — 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1999 — आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 — आधा घण्टा ।

24 बुधवार — 1–वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(4.00 बजे अपराह्न तक)

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1999 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अभी श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों में सदस्यता के लिये सदस्यों के नाम निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1999-2000 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1999-2000 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1999-2000 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 *

* उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं इसमें मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

परम्परा होती नहीं है। देख लीजियेगा। मतदान के लिए घण्टी बजानी पड़ेगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अपने प्रस्ताव पर जोर न देने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 लेने के पूर्व में नियम–311 में जो सूचना आई है, उसको ले रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि दो-दो, तीन-तीन मिनट में जिन माननीय सदस्यों को पीठ से अनुरोध किया जाए, वह इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, सभी को बुलाना संभव नहीं है। यह पीठ के विवेक पर छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को भी सुन लीजियेगा। संतुष्ट हों यह अलग बात है। उसके बाद भी विधान सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग दीजिए।

पहले अम्बिका चौधरी या श्री जगदम्बिका पाल बोलेंगे यह आपस में तय कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरी पहली सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको अपवादस्वरूप ही ले रहा हूं। यह उदाहरण नहीं बनेगा।

---

* दिनांक 3-4-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा

प्रदेश के सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को, अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति वेतनमान एवं सुख-सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश के सहायता प्राप्त असहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा विधान सभा के सामने धरना चल रहा है। धरना अपने आप में महत्वपूर्ण इतना नहीं होता है उससे ज्यादा इस सरकार का जो दृष्टिकोण है कि धरना देने वाले अधिकांश अल्पसंख्यक मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की उसने हमेशा से इनको दुश्मनों की तरह मानकर चलती आई है। इसलिए उनकी जायज मांगों के मानने का काम नहीं किया जा रहा है। यह सरकार अगर किसी के नाम से आगे कोई ऐसा सूचना शब्द लगा हो जिससे पता चल जाए कि वह मुसलमान है तो ऐसे लोगों को इन्काउन्टर करने का काम यह सरकार करती आई। यह उनकी जायज मांगों को नहीं मान रही है।

संविधान में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इन संस्थाओं सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त ,मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापक एवं कर्मचारी अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति प्राथमिक, माध्यमिक एवं डिग्री कालेजों के स्टाफ की भांति समान वेतनमान की मांग कर रहे हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की भांति अरबी विश्वविद्यालय की मांग है। अरबी, फारसी की जो परीक्षा को बी०ए०, एम०ए० के समकक्ष रखा जाए। इसके अलावा अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान एवं क्षति पूर्ति अनुदान दिया जाय। संविधान में जो समानता की बात है उसके आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को जो सुविधायें मिलती हैं, इनकी मांग है कि हम जिस श्रेणी में हैं उसी के अनुरूप सुविधा दी जाय। पूर्व में आलिम, फाजिल व दूसरी जो क्वालीफिकेशन थी उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता देने का काम मुलायम सिंह जी ने अपनी सरकार में किया था। माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने जितने जनहित और लोकहित के कार्य किये, उनको उलटने का कार्य यह सरकार लगातार कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार यह सरकार देना नहीं चाहती है। आज जो सामाजिक स्थिति है, अल्पसंख्यकों की स्थिति शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ी हुई है। उनको प्राइमरी एजूकेशन न मिल सके। उनके मदरसे भी न चल सकें और उनको किसी भी प्रकार की सुविधा न दी जा सके, इस दृष्टिकोण के साथ यह सरकार आचरण कर रही है। आज इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों में भयंकर असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है और इस असमानता के कारण उनमें क्षोभ व्याप्त है। उनको लगता ही नहीं है कि इस भारतीय संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है कि उनके सम्मान की रक्षा की जायेगी कि नहीं की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरी बातें कही हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति शासन द्वारा की जाय। इसमें क्या बात है। वर्ष 1993 से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को पेंशन फौरन जारी की जाय जो लोग 1993 में रिटायर हो गये थे और आज 1999 में होने जा रहे हैं, इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी उनको पेंशन, ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० नहीं दिया गया है। अन्तु वित्तीय वर्ष 1998-99 में बन्धनबद्ध मदरसों को अनुदान सूची में लिया जाय। मुख्य मंत्री की कुर्सी पर व्यक्ति बदल जाय और कोई दूसरी पार्टी आ जाय, ये तो परपीचुएट करने वाली संस्थायें हैं, जो सरकार वायदा करती है, अगली सरकार उस वायदे से बंधी होती है, अब जैसे श्री हुकुम सिंह जी हैं इन्होंने एक आश्वासन दिया तो क्या कल दूसरा मंत्री इनके स्थान पर आयेगा तो वह यह कह देगा कि हम उस आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे। इस तरह से तो व्यवस्था नहीं

चल सकती है । इसलिये उस सरकार ने जो वायदा किया था कि 67 मदरसों को मान्यता सूची पर ले लिया जायेगा परन्तु अब यह सरकार उसे पूरा करना नहीं चाहती है । एक बात उन्होंने और कही । 1998-99 दो सालों की परीक्षा, जो सरकार की उदासीनता के कारण और उनकी गलत नीतियों के कारण नहीं हो पायी है, अगर यह सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना चाहती है तो इन दो सालों की परीक्षा करायी जाय । परन्तु यह सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि माननीय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिये जो योजनायें प्रारम्भ की थी, खासतौर से अरबी-मदरसों को चलाने के लिये और उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने के लिये जो उर्दू अनुवादक नियुक्त किये गये थे और जो उर्दू के अध्यापक नियुक्त किये गये थे और पी०ए०सी० तथा पुलिस में अल्पसंख्यकों की भर्ती बढ़ गई थी, उन सभी नीतियों को यह सरकार लागू करे । अल्पसंख्यक समुदाय आज उत्तर प्रदेश में जिस हाल में जी रहे हैं, उससे उन्हें ऊपर निकालने का काम किया जाय । इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आपसे मेरी प्रार्थना है कि नियमों को निलम्बित करते हुए, इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय हो ही नहीं सकता है, आज अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर 6 माननीय सदस्यों को सुनुंगा । बाजपेयी जी की नियम–56 में क्रम संख्या–1 पर भी सूचना है और क्रम संख्या–2 पर भी आपका नाम है । इसी प्रकार श्री समरपाल सिंह जी की क्रम संख्या–7 पर है । यदि आप इस पर बोलेंगे तो उस पर बोलने का अवसर मैं आपको नहीं दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अहम् मसले पर बोलने की इजाजत दी है । माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने अकलियतों के जज्बातों की तर्जुमानी की है, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं । बड़ी अफसोसनाक बात है कि उत्तर प्रदेश की यह हुकूमत जो एक तरफ यह कहती है कि हुकूमत आइने से चल रही है और भारतीय संविधान के हिसाब से चल रही है । किसी को किसी जाति, मजहब, धर्म के नाम पर ..... (श्री हुकुम सिंह जी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप उसका संज्ञान मत लीजिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह संविधान छोड़कर आईने पर आ गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिस आईने को देखने के लिये हुकूमत तैयार नहीं है उसे आईने के रूप में दिखा रहे हैं कि उस आईने में अपनी आईन को देख लें ताकि उत्तर प्रदेश की आवाम की खुशहाली और तरक्की कायम कर सकें । अहम् सवाल यह है कि अरबी, फारसी मदरसों के आलिम और पेशे इमाम लुगाती मसाइलों को लेकर विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश की हुकूमत इतनी संवेदनशील हो गयी है कि उनकी इन जायज मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है । यह इत्तेफाक है कि जब इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के इन अरबी, फारसी मदरसों के अध्यापकों, टीचरों को 16 महीने का वेतन नहीं दिया था और वे भुखमरी की कगार पर आ गये थे तो उस समय के राज्यपाल मोती लाल जी ने इस तरफ ध्यान दिया था और उन सारे अरबी, फारसी मदरसों को जो बन्द हो गये थे जहां के टीचर्स, अध्यापक, इमाम को दो जून का खाना भी मयस्सर नहीं हो रहा था, एक फैसले से बहाल किया था ।

आपने जो काला कानून पास किया था । 67 मदरसों को ऐड देने का फैसला हो चुका था लेकिन उनके लिये बजट में एक पैसे का भी प्राविधान नहीं किया गया । यह अपनी 19 मांगों को लेकर आज भी विधान सभा के सामने बैठे हैं । आज श्रीमन्, सबसे अहम् सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत एक कौम के आधार पर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जबकि संविधान में समता का अधिकार दिया गया है । आज मान्यवर, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है । आज इससे ज्यादा अहम् सवाल और कोई नहीं हो सकता है । आज अल्पसंख्यक समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारा कार्य रोककर इस पर चर्चा करा दी जाय । इससे ज्यादा अहम् और कोई सवाल नहीं हो सकता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री प्रमोद कुमार के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी आप तो नियम–56 पर बोलने वाले थे । मैं 56 में आपकी सूचना निरस्त कर देता हूं । एक दल के एक माननीय सदस्य को मैं पहले बुलाने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं इसलिये मान्यवर, बहुत संक्षेप में कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, दो मिनट में कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान भारत के संविधान के 15वें अनुच्छेद की ओर ले जाना चाहता हूं और 15 की ओर आपका ध्यान पहले से ही है । इत्तेफाक ऐसा है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन अरबी, फारसी मदरसों के ऊपर गाज गिरी है । जब कभी यह सरकार आई है 91 की बात ही क लूं । यह मदरसे बन्द की कगार पर पहुंच गये थे । सौभाग्य था कि मोती लाल बोरा जी आये और उन्होंने किसी तरह से इन्हें नया जीवन दिया । जब से यह कल्याण सिंह जी की सरकार आई है । एक अहम् काम सिर्फ यह है कि किसी तरह से इन अरबी, फारसी मदरसों की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर कर दी जाय कि यह चलने लायक न रह जायं । यह अहम् सवाल इसीलिये उठाया है कि यह सरकार जवाबदेह है इन 67 मदरसों को अनुदान सूची में रखा गया और उसके लिये आय-व्ययक बनाने की बात थी । यह सरकार चलाने वाले बदल सकते हैं उसका दल बदल सकता है लेकिन उसकी वचनबद्धता नहीं बदला करती है । इनको अनुदान सूची में लेने की बात थी । अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची में लिया जाना चाहिए इनकी नीयत में खोट है, इसको अनुदान सूची में नहीं ले रहे हैं । इस धर्म के लोगों को किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है । मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायें और इन संस्थानों को चलाने की अनुमति दें ।

* श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट दे दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही कह दिया था, अब चाहे रामललित जी बोल लें, चाहे मौर्य जी बोल लें।

थोड़ी सी विनियमितता करने दीजिए। मौर्य जी आप बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, समूचे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज में एक विशेष आशंका है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जहां भी अरबी, फारसी मदरसे हैं, मान्यवर, उन मदरसों की उपेक्षा हो रही है और उनमें जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन पर सब लोगों को कोई भी ऐसा वेतनमान सरकार की ओर से सुनिश्चित नहीं किया गया है जिससे मान्यवर, उनकी रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके और इन सब मौलिक समस्याओं को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के उन अल्पसंख्यक समाज के लोगों में विशेष कर अरबी, फारसी मदरसे जो संचालित कर रहे हैं, अपनी जमात में स्कूल खोलकर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं उनकी चाहत है, देश के अनेक स्कूल और संस्था है या संस्कृत पाठशालायें हैं उस पर अरबी, फारसी मदरसे हैं उन पर तवज्जो देना चाहिए, यह भारत के संविधान में भी है। इसमें सभी मज़हब के लोगों के लिए समान सम्मान की बात कही गई है बराबरी का अधिकार दिया गया है।

मान्यवर, जिस तरह यह अनुरक्षण संस्थाओं को देते हैं, उनके कर्मचारियों को वेतनमान देते हैं उनकी रोजी-रोटी की समस्या हल करते हैं संस्कृत विद्यालय हैं या और विद्यालय हैं उनकी समस्या का हल निकालते हैं उसी तरह से अरबी, फारसी के मदरसे हैं उनकी मान्यता दी जाए। उनके स्कूल की शिक्षा को बढ़ाने का मौका दें, अरबी, फारसी मदरसों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन यहां उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इस देश में हमेशा-हमेशा से अरबी, फारसी, उर्दू, हिन्दी और संस्कृत आपस में भाषायें बड़ी हैं कभी किसी ने धर्म-मजहब के नाम पर यह भेदभाव नहीं किया गया, भाषाओं के नाम पर कभी किसी ने यह नहीं कहा कि यह देश हमारा नहीं है सबके अन्दर हमेशा यह भावना रही कि यह हमारा देश है और हम इस देश के हैं। चाहे वह बहादुर शाह जफर रहे हों। चाहे अन्य बादशाह रहे हों। चाहे देश के और शासक रहे हों देश की शासन के लिए, अपनी गर्दन कटाने में पीछे नहीं रहे, वीर अब्दुल हमीद सिर कटाने के लिए पीछे नहीं रहे, तो जो लोग देश की शान के लिए, देश की चाहत के लिए आगे बढ़े हैं उनकी जमात अपने को असुरक्षित महसूस करे यह ठीक नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह लोक महत्व का ऐसा विषय है जिसमें एक जमात अपने को शिक्षित करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर कार्य कर रही है, उनको अवसर प्रदान करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह अति लोक महत्व का विषय है इस पर चर्चा करायी जाय और इसलिए करायी जाय क्योंकि उनके अन्दर एक शंका है और असुरक्षा की भावना है। कहीं बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है, कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके निर्देश पर समाप्त करने जा रहा हूं। समय-समय पर उनके सम्मान पर आघात पहुंचा है, उनकी जो भावनाएं रही हैं उसमें आघात पहुंचा है, उनके शिक्षण संस्थान, उनकी बाबरी मस्जिद ढहा दिये गये हैं, उनके शिक्षण संस्थाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह सौतेला

व्यवहार उनके साथ न हो। उन्हें वर्तमान में जो हिन्दी और संस्कृत विद्यालयों में वेतनमान मिल रहे हैं वही वेतनमान उन्हें मुहैय्या कराये जायें। यह अति लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री अंसारी जी, आपकी इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं। जिनके हस्ताक्षर इस सूचना पर हैं मैं उनकी ही संख्या में कटौती कर रहा हूं।

* श्री रामजग–

मान्यवर, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तबसे इस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। आज वह विधान सभा के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। उनकी 19 सूत्रीय मांगे हैं। वह यह चाहते हैं कि जो शिक्षा विभाग में व्यवस्था है वही व्यवस्था उर्दू, फारसी मदरसों को भी दी जाय, वहीं नियम लागू किये जायें। मान्यवर, पिछली सरकार ने वर्ष 1998-99 में यह घोषणा की थी, जो सरकार ने वचन दिया था कि उनके 67 मदरसों को अनुदान सूची में लेंगे, यूनिवर्सिटी (उर्दू) की स्थापना के लिए लम्बे समय से मांग चली आ रही है, यह सारे विभाग शिक्षा विभाग से संबंधित है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो उर्दू, फारसी स्कूलों के अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं उनको भी वही सुविधा उपलब्ध करायी जाय जो और स्कूलों को दी जाती है, शिक्षा विभाग से यह उनकी मांग है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्थाओं पर हमला कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है उनकी जो कार्यवाही है उससे यह सिद्ध होता है कि यह लोग उसके प्रति चिन्तित नहीं हैं। इससे मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश व्याप्त है और यह एक चिन्ता का विषय है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार फासिज्म के रास्ते पर चल रही है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ठोस व्यवस्था करायें ताकि जो अरबी, उर्दू, फारसी मदरसे चल रहे हैं उनको शिक्षा विभाग से वही वेतनमान और सुविधा प्रदान की जाय जो कि अन्य स्कूलों को दी जा रही है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्रीमन्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) में व्यवस्था है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

मान्यवर, पिछले वर्ष सरकार ने यह वचन दिया था कि वह 67 मदरसों को अनुदान सूची में लेगी लेकिन इस बजट में उनके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, इनकी नियम में कहीं न कहीं खोट है। मान्यवर, इन शिक्षण संस्थाओं में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लगे हुए हैं। मान्यवर, मदरसों में लगे हुये लोग यह चाहते हैं कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद् है उसी तरह इन मदरसों को संचालित करने के लिए इनकी भी एक शिक्षा परिषद् गठित हो। 1993 से मदरसों के जो अध्यापक और कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पेंशन के अन्य देय धनराशि अभी तक नहीं मिली है। आज मदरसों के शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को सचेष्ट होना चाहिए और उनकी मांगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को स्वीकार कर लेना चाहिए । मान्यवर, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का वर्गीकरण है इनकी भी मांग है कि अरबी, फारसी मदरसों का भी वर्गीकरण हो और तीन श्रेणियों में विभाजित हो । मान्यवर, इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

श्री समरपाल जी आपकी नियम 56 में सूचना है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, 17 मार्च से अरबी, फारसी मदरसों के लोग धरने पर बैठे हैं । 600 ऐसे मदरसें हैं जो राजकीय मान्यता प्राप्त हैं और जिसमें लगभग 10 हजार लोग कार्यरत हैं और 3 लाख छात्र प्रत्येक वर्ष तालीम हासिल करके देश और प्रदेश की खिदमत करते हैं । मान्यवर, इनकी जो 19 मांगें हैं वह मैं आपके पास कृपापूर्वक अवलोकन के लिए भेज रहा हूं । यह जो मांगें हैं जो मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी मुझे भी उसमें रहने का मौका मिला इनके बारे में निर्णय लेकर प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति भी दी गई थी । अनुदान के संबंध में 310 विद्यालय ऐसे हैं जो राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं हैं और वर्षों-वर्षों से मान्यता प्रदान करने की फाइल चल रही है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक आयोग के रजिस्ट्रार का जो दफ्तर है, जहां मान्यता मिलती है, वह अल्पसंख्यक विरोधी है और उस पद को खाली रखा गया है, इस समय कोई रजिस्ट्रार नहीं है, जहां से अल्पसंख्यकों के उन मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना है । श्रीमन् इनकी पहली मांग है कि जिस तरह से और विद्यालयों के कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार से इनके कर्मचारियों को भी समान वेतन होना चाहिये, लेकिन सरकार ने नहीं माना ।

वर्ष 1993 से जो अध्यापक रिटायर हुये हैं, उनकी संख्या 200 के लगभग हैं, इसमें दर्जनों तो मर चुके हैं । इनका जायज हक था कि इनको पेंशन और ग्रेच्युटी मिलती लेकिन सरकार ने नहीं दिया । जब मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई, उस समय जितनी भी पत्रावली तैयार हुई, यह 1997 में जो सरकार आई, उसने मुलायम सिंह यादव के समय में जो भी कार्य किया गया था, उसको सबको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, शासनादेश की प्रतियां मेरे पास हैं । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनका इस देश की आजादी की लड़ाई में योगदान था, आज विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं और इस मंत्रिमंडल का कोई अदना सा मंत्री भी उनकी जायज बातों को सुनने नहीं गया, मुख्य मंत्री को क्या कहें । इससे ज्यादा शर्मनाक और खेद की बात और क्या हो सकती है, यह सरकार प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है ? श्रीमन् यह गम्भीर मामला है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस गम्भीर मामले पर इस आदरणीय सदन में चर्चा कराई जाय और अब ज्यादा दिनों तक अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात नहीं चलेगा, जो यह सरकार लोगों पर कहर ढा रही है, यह कोई अच्छे वातावरण की शुरूआत नहीं है, सरकार गलतबयानी न करने पावे, इसकी आप व्यवस्था करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

समरपाल जी के हस्ताक्षर इस पर है, उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सूचना नियम–56 में आ जायेगी तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर सूचना पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस देश ने आजादी के बाद गणतंत्र की स्थापना के साथ ही, देश के कार्यसंचालन विनियमन के लिये संविधान अंगीकार किया था । उस संविधान की मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता थी । संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में धर्म, जाति भाषा के आधार पर किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जायेगा, यह निहित था और इन 50 वर्षों में सारा कार्य संविधान के अन्तर्गत दी हुई व्यवस्था के अनुरूप ही विनियमित होता रहा लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एक ऐसी सरकार बनी है, जिसकी वजह से इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों के मन में शंका और सन्देह व्याप्त है । मान्यवर, यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में वैसे ही बहुत पीछे है और जहां केवल 28 प्रतिशत साक्षर हों, वहां अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, समाज के उन तमाम दबे, पिछड़े लोगों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ा जाय, इस दिशा में अरबी-फारसी मदरसे अपना योगदान कर रहे हैं और लाखों लोग पढ़कर शिक्षित हो रहे हैं । यह अल्पसंख्यक अरबी, फारसी विद्यालय लोगों को शिक्षित कर राष्ट्रनिर्माण के कार्य में लगे हैं, इसलिये सरकार का दायित्व बन जाता है कि इन मदरसों को संरक्षण प्रदान करे और उनकी जायज मांगों को सुने मान्यवर, आज हम इस बात के लिए गौरव अनुभव करते हैं कि हिन्दुस्तान के मदरसों में पढ़ कर जो स्कालर निकलते हैं वह दुनिया के तमाम देशों में शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन इस सरकार ने उन मदरसों के अध्यापकों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है उनकी जो जायज मांगे हैं उनको भी यह स्वीकार नहीं करती है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा के मामले में इन तमाम पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर उनकी जायज मांगों पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । उनकी ऐसी कोई मांग नहीं है जो जायज नहो, क्योंकि पूरा मांग पत्र आपके सामने है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

पिछले साल जिन मदरसों को शासन ने कहा था अनुदान सूची में लेंगे उनको सूची में लिया जाय । इन विद्यालयों के संचालन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । उनकी यह भी मांग है उनके वेतनमान अन्य शिक्षकों की तरह निर्धारित किये जायं, मृतक के आश्रित बच्चों को नियुक्ति का प्राविधान किया जाय, यह सब वही हैं जो सरकारी विभागों में व्यवस्थायें हैं । यह अफसोस की बात है कि इन मदरसों के अध्यापकों को आज धरने पर जाना पड़ रहा है, इससे चिन्ता की बात और कोई नहीं हो सकती है । यह सरकार 16 करोड़ लोगों के विश्वास प्राप्त करना चाहती है लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के मन में शंका पैदा हो कि उनके साथ भेद-भाव हो रहा है, यह इस सरकार के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि सरकार अपने पूर्वाग्रह को त्याग कर वोट की राजनीति से ऊपर उठकर इनकी जायज मांगों को मानने की आज ही घोषणा करें ।

(श्री विनोद मणि और श्री राम ललित चौधरी आदि सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायं, आप पहले नियम देख लीजिये मैंने अपवाद स्वरूप ही इस सूचना को लिया था । अब मैंने मा० नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया है । (व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब नहीं। (व्यवधान) चौधरी साहब आपके दल के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। माननीय श्री राम ललित जी आप बोलते रहते हैं और विषयों में भी इसमें रहने दें। (व्यवधान) माननीय नेता विपक्ष ने कहा था कि उनके दल के तीन सदस्यों को बुला लें, अब जरा समय का भी ध्यान रखें, सदन की कार्यवाही चलने दें, अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं कृपया बैठ जायं। (व्यवधान) मैंने सूचना ग्राह्य करने से पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं विनियमित करूंगा समय का ध्यान रखा जाये। माननीय चौधरी साहब आप बैठ जायं अब कोई हर्ज नहीं, अपवाद स्वरूप मैंने इस सूचना को लिया है, अब माननीय नेता, विपक्ष को बोलने दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री धर्नीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी हमारे दल के एवं अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने नियम 300 के प्रस्ताव पर जो अरबी और फारसी मदरसों के अध्यापकों के धरनों से सम्बन्धित अपने अपने वक्तव्य दिये है मैं उन्हीं वक्तव्यों से सम्बन्ध रखते हुए कहना चाहता हूं कि जब संविधान में समता का अधिकार समाप्त हो जायेगा तो सारे देश की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जायेगी। सारा संतुलन बिगड़ जायेगा और आपाधापी का माहौल बन जायेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार है। मान्यवर, प्रदेश के अन्य विद्यालयों में जब किसी अध्यापक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को या उसके आश्रित को उस विद्यालय में सेवा करने का अवसर मिलता है, जो अध्यापक हाइस्कूल या इण्टरमीडिएट विद्यालय से रिटायर होता है तो उसे पेंशन, ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फण्ड देने की व्यवस्था रिटायर होने की तिथि से ही देने की कर दी जाती है। लेकिन श्रीमन् उनको यह उनका अपना धन भले ही थोड़ी देर से मिले मिलता जरूर है।

मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि सन् 1993-94 से अरबी और फारसी विद्यालयों में जो अध्यापक रिटायर हुए है, जो कर्मचारी रिटायर हुए है उनको आज तक न तो पेंशन मिली है न ग्रेच्युटी न प्राविडेन्ट फण्ड मिला है। मान्यवर, यह अनुभव की बात है कि जो आदमी सरकारी नौकरी करता है उसके सम्बन्धी उसके परिवार एक तारीख का इंतजार करते हैं कि कब एक तारीख आयेगी और तनख्वाह मिलेगी और हमारा आगे की रोजी-रोटी चलेगी। मान्यवर, इस सरकार ने जो लोग रिटायर हुए है वर्ष 1993-94 में उनके मामले को लम्बित बना रखा है उनको प्राविडेन्ट फण्ड नहीं दे रही है यह सरकार। उनकी समस्याएं गम्भीर होती चली जा रही है। उनको रोजी-रोटी की दिक्कते आ रही है। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह ने जो जी०ओ० अल्पसंख्यकों के लिए बनाये थे जो शासनादेश जारी किये थे यह सरकार उन शासनादेशों से दृष्टि हटा रही है उनको लागू करना बन्द कर दिया है। उसी के तहत आज यह सारी समस्यायें हो गई है। यदि उन शासनादेशों को लागू किया गया होता तो मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज यह अल्पसंख्यक हड़ताल पर न बैठे होते, आज वे शान्तमय ढंग से सर्विस कर रहे होते लेकिन मान्यवर, इस सरकार ने ऐसा न करके वह रूप अपना उजागर करके दिखा दिया है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों को समन्वयता के आधार पर हिन्दुस्तान में नहीं रहने देना चाहती है। यह सरकार उनका शोषण करने पर पूरी तरह से उतारू है। इन मदरसों के अध्यापकों के अनशन पर बैठने से यह पूरी तरह से उजागर हो गया है। मान्यवर, मैं बस इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो 311 का लोकमहत्व का प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर जो अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे है वह महत्वपूर्ण है यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह

अल्पसंख्यकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मान्यवर, अल्पसंख्यकों के मन में आज भय व्याप्त है उनको दहशत हो गई है । मैं इस प्रश्न पर बल देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी दो समस्याओं का उल्लेख किया गया है एक समस्या तो यह है कि अल्पसंख्यकों को पेंशन नहीं दी जा रही है और दूसरी समस्या है कि उनको अनुदान सूची में नहीं लिया गया है । मान्यवर, जहां तक पेंशन की बात है, तो पेंशन के लिए शासनादेश जारी हो गया है, बस राजाज्ञा जारी होनी है । राजाज्ञा हमारे पास नहीं है । मान्यवर, इसके अन्तर्गत 90 दिन के अन्दर लोग अपना विकल्प दे सकते थे लेकिन मान्यवर, किसी भी व्यक्ति ने अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह राजाज्ञा कब की है ।

श्री हुकुम सिंह–

बीच में मत रोकिये । पूरी बात हो जाने दे । मान्यवर, दूसरी बात जो अनुदान सूची की कही गई है तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 71 संस्थायें अनुदान सूची पर ली गई है । ये सारी वे संस्थायें हैं जो 1986 से पूर्व की हैं । 1986 की कोई भी संस्था अनुदान सूची में नहीं ली गई है । मान्यवर, यह अनुच्छेद 30 जब आता है कि धर्म के आधार पर दो संस्थाओं में भेदभाव किया जाए । जो संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, अगर हम एक को ले लें और दूसरी को न लें तो अनुच्छेद–30 में भेदभाव की बात आती है । हम तो 1986 तक की ही पूरी संस्थाओं को नहीं ले पाये जो 1986 के बाद की मान्यता प्राप्त हैं वे कैसे अनुदान सूची में आ गयीं । इसमें पहले ऐसी बात कही गयी कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है । मुस्लिम भाइयों से जो इस्लाम मजहब को मानते हैं, तो मैं जानकारी दे दूं, यह देश हिन्दू का, सिख का, मुसलमान का, सब का है । एक धारा में रह कर यह देश आगे बढ़ सकता है । लेकिन इस धारा को नकसान करने वालों को जब भी समय मिला । कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्ला मुलायम सिंह कहना शुरू कर दिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

लेकिन मुलायम सिंह ने यह नहीं कहा था ।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय मंत्री जी बकवास की बात कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह दुर्भाग्य हमारे देश का है, सब का है और हमारा भी है कि सैकड़ों साल की गुलामी के बाद 50 साल से अधिक वर्ष हमारी आजादी के हो गये, कुछ लोग उस जहनियत से ऊपर उठना नहीं चाहते । फारसी की बात करेंगे, अरबी की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे, अगर अल्पसंख्यक आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने की इच्छा है उसे मुख्य धारा में जोड़ना होगा और हर नौजवान मुस्लिम यही चाहता है । लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घिनौनी राजनीति करने के लिए, उस धारा को विभाजित करना चाहते हैं । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सारे राष्ट्र को एक दृष्टि से देखना चाहती है, उस भारतीय संस्कृति को जीवित रखना चाहती है, वह इन धाराओं को बटने नहीं देगी । हिन्दू या मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो एक ही धारा में चले, एक ही राष्ट्रीय धारा में चलें इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं । मान्यवर, आज देखा जाये तो कोशिश यह हो रही है कि अल्पसंख्यकों को कैसे आकर्षित किया जाये इसमें कम्पटीशन चल रहा है । हमारे माननीय सदस्य मौर्य जी ने जानकारी दी, अगर आपको वास्तव में

इसकी चिन्ता है अगर आपको नाम लेना ही था तो क्या महाराणा प्रताप, लक्ष्मी बाई, शिवाजी महाराज का नाम भूल गये थे ।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप जिनकी बात करते हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं । वह भी हमारी थाती हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । यह जो कार्यक्रम जिसका आपने उल्लेख किया है । मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता ।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को वही वेतनमान देने का घोषणा करेंगे जो अन्य अध्यापकों को मिलते हैं । माननीय अध्यक्ष जी यदि हम कोई बात थोड़ी से भी कहते हैं तो आपकी व्यवस्था आ जाती है । लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री रास्ते से हटते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हो सकता है कि किसी मत से आप सहमत हो या उससे असहमत हों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए । उसके बाद पूछ लीजियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी वह हमारी थाती हैं ।

श्री रामजग–

संसदीय कार्य मंत्री नहीं चाहते हैं कि सदन चले ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन के सामने कहना चाहता हूं कि जिस कार्यक्रम को आपने प्रायोजित कराया है और कुछ लोगों को बैठा दिया है आपने आपको उनका मसीहा कहलाने के लिए इस बात की जानकारी आज सबको है ।

(शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अल्पसंख्यकों का कत्ले आम हो रहा है । संसदीय कार्य मंत्री की बातों पर हमें कतई विश्वास नहीं है। यह रास्ते से हटते जा रहे हैं । उनकी झूठी बातों को हम सुनने के लिये नहीं आये हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है । यह समस्याओं को निपटाने की बजाय उलझा रही है । सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री धनीराम वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अल्पसंख्यकों की यह सरकार विरोधी हैं । सरकार के इस रवैये पर मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज कुछ तथ्य मैं सामने रखना चाहता था ।

(कुछ सदस्यों के आपस में बातें करने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही को क्रिकेट का मैच मत बनाइये । रनिंग कमेंटरी आपकी चल रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विषय के माध्यम से यह तक आरोप लगाया गया कि बाबरी मस्जिद गिरायी गयी थी। इनकी गुलामी की जहनियत है । आप मस्जिद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मस्जिद और मन्दिर समान है । उनके दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि कभी सोमनाथ मन्दिर को भी गिराया गया था । यह केवल वोट बटोरने के लिए समाज को तोड़ने का जघन्य अपराध कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम समाज को तोड़ने नहीं देंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

(व्यवधान के मध्य श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री राम जग अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष–

जगदम्बिका पाल जी इस पर संसदीय कार्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है ।

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अब नियम–56 ले रहा हूं ।

(श्री रामजग, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री जगदम्बिका पाल कुछ कहने के उपरान्त अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19-3-99 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री दीपक कुमार, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री मुश्ताक सोलंकी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री श्याम किशोर यादव, श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं श्री महराज सिंह यादव की प्रदेश सरकार द्वारा मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति भेदभाव व उदासीनता बरती जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चूंकि इस पर आपके दल के सभी माननीय सदस्यों ने नोटिस दी है इसलिए माननीय नेता विपक्ष बता देंगे कि कौन से माननीय सदस्यों को सुनना है ?

(श्री राम औतार शाक्य एवं डा० अशोक बाजपेयी को सुने जाने का आग्रह किया गया ।)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण सूचना पर आकर्षित करना चाहता हूं। आप भिज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा उत्तरांचल विकास निधि बनायी गयी है। पश्चिमांचल के लिए एक पैकेज निश्चित हो गया है। उत्तराखण्ड भी बनने जा रहा है। लेकिन मध्यान्चल का जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का समन्वित विकास तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में मध्यान्चल निधि का गठन होगा। इसमें कानपुर मण्डल, लखनऊ मण्डल और आगरा के एटा और मैनपुरी दो जिले मध्यांचल प्रदेश में आने चाहिए। यह जो मध्यवर्ती जिले हैं इनमें न तो कोई उद्योग धन्धा है और न कोई रोजगार के विशेष साधन हैं। समूचे प्रदेश का विकास तभी होगा, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, उत्तर हो या दक्षिण हो जब सबका समन्वित विकास हो। यह जिले शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं, उद्योग की दृष्टि से पिछड़े है, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है इसीलिए वहां पर अपराध भी ज्यादा हैं। मान्यवर, जब वहां के रहने वालों के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई धन्धा नहीं है तो यह स्थिति बड़ी नाजुक होती है।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि मध्यान्चल विकास के लिए एक निधि का गठन किया जाय और उस निधि से मध्यान्चल में मैनपुरी, एटा, कानपुर, लखनऊ मण्डलों को शामिल करके इनके अन्तर्गत आने वाले जिलों का विकास किया जाय। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पश्चिमांचल के लिए एक पैकेज की शीघ्र घोषणा करने वाले हैं। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल की तरह मध्यांचल निधि की भी घोषणा आज करें। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक-महत्व का प्रश्न है, इसलिए इस पर सदन के सारे कार्य रोक कर आप चर्चा करायें।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मध्य उत्तर प्रदेश की इस गम्भीर समस्या पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं विश्वास करता था कि यह सरकार समग्र उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चिन्तित होगी लेकिन जिस तरह से प्रदेश को टुकड़े-टुकड़े में बांट कर मध्य उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी है यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह मध्य उत्तर प्रदेश शैक्षणिक और औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा है और इसके अन्तर्गत आने वाले सभी जिले, अधिकांश जिले, उद्योग शून्य जिले हैं। मान्यवर, मेरे जनपद हरदोई में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है और इसके साथ ही मेरे जिले के आस-पास के जिलों की भी स्थिति बड़ी दयनीय है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मध्य उत्तर प्रदेश के साथ जो राजनीति का भेद-भाव बरता गया है जिससे मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों की स्थिति बड़ी चिन्तनीय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह पूर्वांचल और उत्तराखण्ड के विकास हेतु निधि की स्थापना हुई है और इसके साथ ही पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश विकास निधि की मुख्य मंत्री जी घोषणा करने वाले हैं तो फिर मध्य उत्तर प्रदेश के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों बरता जा रहा है। मान्यवर, मध्य उत्तर प्रदेश दैवी आपदाओं का शिकार रहा है जिससे इसके अन्तर्गत आने वाले जिले जैसे–लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव आदि सभी जिले पिछड़ेपन की आग में झुलस रहे हैं। मान्यवर, यह जिले आर्थिक दृष्टि और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं और यहां कोई बड़े उद्योग नहीं लगे हैं। मान्यवर, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का सवाल है तो मैं कहना चाहता हूं कि इन जिलों में महाविद्यालयों और इण्टर कालेजों की संख्या भी प्रदेश के अन्य जिलों के अनुपात में कम है जिससे इन जिलों की आर्थिक पिछड़ेपन का यह मुख्य कारण रहा है। मान्यवर, कृषि के अतिरिक्त मध्य उत्तर प्रदेश में कोई नये उद्योग

की स्थापना नहीं हुई है । इस प्रकार पूर्वांचल, उत्तरांचल और पश्चिमांचल के विकास के लिए निधि की स्थापना की जाय लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निधि न बने तो यह भेद-भाव करना ठीक नहीं है । इसलिए इससे अधिक कोई चिन्ता का विषय नहीं हो सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्वांचल की भांति एक निधि की स्थापना की जाय । राजधानी से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों के विकास के लिए एक नई कार्य योजना बनाई जाए व इसके लिए धन आवंटित किया जाए । सौभाग्य से आप इस पीठ पर बैठे हुए हैं जो इस क्षेत्र के हैं । आप इसके दर्द को अच्छी तरह से महसूस करते हैं । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भांति नए पैकेज की घोषणा की जाए । इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है । मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र के खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर पहले ही व्यवस्था दी चुकी है कि नेता प्रतिपक्ष के अतिरिक्त दो माननीय सदस्यों को और सुना जाएगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील और जनहित का है । इस पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैंने और हमारे साथियों ने दिया है । प्रश्न यह है कि मध्यांचल के लिए भी पैकेज घोषित किया जाए । आजादी से आज तक यह मध्यांचल उत्तर प्रदेश जो है, विकास के लिए पिछड़ता जा रहा है । इसमें सर्वाधिक ऊसर भूमि है । नदियों के रिवाइन्स भी इसी में हैं । आगरा से लेकर कानपुर, फतेहपुर यमुना और चम्बल के रिवाइन्स हैं । यहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है । उद्योग धन्धे हैं नहीं । इस मध्यांचल उत्तर प्रदेश में कानपुर मण्डल, लखनऊ मण्डल, आगरा मण्डल के फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी जनपद आते हैं । यह पिछड़ता ही जा रहा है । इस ओर के लोगों के अलावा उधर के लोग भी इससे चिन्तित है, लेकिन वह बन्धुआ मजदूर हैं वह अपनी बात किसी तरह उठा नहीं सकते हैं । यहां पर सर्वसम्मति से यह पास होना चाहिए कि पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड का जो पैकेज है, पश्चिमांचल, उत्तरांचल विकास निधि है. इसी प्रकार मध्यांचल का पैकेज सबसे अधिक घोषित किया जाए । अधिष्ठाता महोदय आप भी मध्यांचल प्रदेश में आते हैं । अतः मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें कि शीघ्र ही मध्यांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे, ऊसर को सुधार के रिवाइन्स को समतलीकरण करके वहां के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए और लोगों को रोजी-रोटी देने का काम करे । इसी के साथ मैं अपने काम रोको प्रस्ताव पर बल देते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मा० संसदीय कार्यमंत्री जी का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

(डा० धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री दीपक कुमार जी के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी दल की तरफ से माननीय नेता विपक्ष को सुन लिया गया और अन्य लोगों को भी सुन लिया गया । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम औतार शाक्य, श्री दीपक कुमार, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य वेल पर आ गये और जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे, जिससे कुछ सुनाई नहीं दिया–घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल पर बैठ गये और धर्मज्ञ मिश्र जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे–घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री दीपक कुमार जी की है। श्री दीपक कुमार जी यदि आपको अपनी बात कहनी है तो कहें, चूंकि दीपक कुमार जी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री राम चन्द्र यादव जी आप अपनी बात कहें, चूंकि श्री यादव जी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री राम विशुन आजाद जी आप अपनी बात कहें। चूंकि श्री आजाद जी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री मुन्ना चौहान जी आप अपनी बात कहें। चूंकि मुन्ना चौहान जी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री राम प्यारे सिंह जी आप अपनी बात कहें, चूंकि श्री राम प्यारे सिंह भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री समरपाल सिंह जी आप अपनी बात कहें, चूंकि श्री समरपाल सिंह जी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये में आगे की सूचना ले रहा हूं। श्री प्रमोद कुमार जी आप अपनी बात कहें, चूंकि श्री तिवारी जी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, इसलिये मैं आगे की सूचना ले रहा हूं। श्री अम्बरीष कुमार जी अपनी सूचना पर आप अपने विचार रखें, चूंकि श्री अम्बरीष कुमार जी भी अपनी बात नहीं कह रहे है, इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। श्री चन्द्रनाथ सिंह जी आप अपनी बात कहें, चूंकि श्री चन्द्रनाथ सिंह जी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गई उनके नाम हैं–सर्वश्री उदयराज यादव, राम ललित चौधरी, विनोद मणि, लालमणि, श्रीराम पाल, विजयपाल सिंह, हरदेव सिंह, ओम प्रकाश गुप्त, श्री चन्द्रनाथ सिंह, कमला प्रसाद रावत, गजेन्द्र सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, दद्दू प्रसाद आर० के० सिंह, पटेल, डा० धर्मज्ञ मिश्र, बुनियाद हुसैन अंसारी, राम कृपाल, श्री राजेन्द्र यादव और श्री प्रीतम राम।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,72,07,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

(कटौती का प्रस्ताव किसी ने नहीं रखा)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,72,07,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,56,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,56,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23,87,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23,87,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,56,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,56,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,96,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,96,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,53,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,53,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,64,54,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,64,54,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,10,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,35,58,13,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,35,58,13,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,53,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,53,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,79,53,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,79,53,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,87,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,87,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 34,36,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कटौती के लिए पुकारे जाने पर तथा कटौती न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 34,36,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,78,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कटौती के लिए पुकारे जाने पर तथा किसी के द्वारा कटौती न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,78,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात

प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 46,38,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(कटौती के लिए पुकारे जाने पर तथा किसी के द्वारा कटौती न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 46,38,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,13,89,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(कटौती के लिए पुकारे जाने पर तथा किसी के द्वारा कटौती न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,13,89,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री राम औतार शाक्य अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(कोई अपना संकल्प नहीं प्रस्तुत कर रहा है इसलिए मैं मद संख्या–21 को ले रहा हूं ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य जी आप अपना संशोधन रखें । संशोधन नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 25 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 में नई धारा 33-ङ का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :–

"33–ङ–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1982 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1982 एतद्द्वारा विखण्डित किये जाते हैं ।"

आदेशों का विखण्डन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्सम्मान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 19-3-99 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । पहली सूचना डा० लक्ष्मी कांत बाजपेई की एड्स से भी भयंकर बीमारी हिपेटाइटिस (बी) को प्रदेश व्यापी फैलने के सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पल्स पोलियो की भांति व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दूसरी सूचना श्री बाबूराम कुरील की जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–2 के सहायक अभियन्ता श्री आर० के० अग्रवाल द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना डा० राम बाबू हरित की प्रदेश की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालय बनाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना डा० कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर के कस्बा खीरी की पेयजल समस्या के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश के पूर्वांचल विशेषतः देवरिया में निरन्तर बढ़ती अपराधिक घटनाएं तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के संबंध है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री दीपक कुमार की जनपद उन्नाव की सदर तहसील मे 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि से कार्य पूर्ण व सन्तोषजनक न होने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री रामाधार सिंह की जनपद हमीरपुर के राठ क्षेत्रान्तर्गत राठ–ग्राम धमना के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

अगली सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की जनपद संत रविदास नगर (भदोही) के महाराजा देव सिंह चिकित्सालय ज्ञानपुर (जिला अस्पताल) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के मऊ तहसील के ग्राम कटेयाखादर मौजा सिलौदा निवासी श्री समोखे लाल की फसल को जबरन काट लिये जाने तथा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री चौधरी बाबू लाल की जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत गहरांकला पेयजल योजना में नगला जसौला

में दूसरा ट्यूबवेल लगाकर जलापूर्ति किये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री मुश्ताक सोलंकी की विधायक कोटे के अन्तर्गत कानपुर नगर के चयनित 5 गांवों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत । अगली सूचना श्री राम कृपाल की जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी विकास खण्ड कौरावं में लपरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की जनपद सीतापुर के थाना रेउसा में त्रिवेदीपुरवा, मजरा कटरा व बढ़ईडीह गांव में कथित रूप से थाना रेऊसा की शह पर तीन व्यक्तियों की पिटाई किये जाने तथा एक व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्रान्तर्गत सुजानगंज विकास खण्ड में 33 के०वी० के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण शीघ्र तथा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर के क्षेत्रान्तर्गत मसकनवा और वजीरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री विनोद मणि की जनपद महराजगंज के जिला मुख्यालय पर भवनों का निर्माण न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री हरदेव सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों द्वारा मनमानी किये जाने के संबंध में है । ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । अगली सूचना श्री लालजी वर्मा जी की (नियम 56 में प्राप्त) जनपद सोनभद्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शारदा प्रसाद सिंह की मृत्यु की सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी किसी अधिकारी द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने हेतु न जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[1] मा० राम औतार शाक्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश विशेषकर जनपद मैनपुरी में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अध्यापकों की नियुक्ति न होने/किये जाने के कारण पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था ठप्प हो गई है । जनपद मैनपुरी में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों में करीब 80 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं हैं । यह खास तौर से गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की जानबूझकर उपेक्षा है ।

इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 27 हजार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है । निकट भविष्य में इनके संक्षिप्त बी०टी०सी० प्रशिक्षण के बाद रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेंगी । जहां तक जनपद मैनपुरी में विभिन्न क्षेत्र पंचायतों में लगभग 80 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक विहीन होने का प्रश्न है इस संबंध में वास्तविकता यह है कि जनपद मैनपुरी में 71 प्राथमिक विद्यालय

---

[1] । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अध्यापक विहीन थे जिनमें से 11 प्राथमिक विद्यालयों में बाह्य जनपदों से स्थानान्तरित एवं पदस्थापन से अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गई है शेष 50 प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिये पदोन्नति एवं नवीन नियुक्तियों द्वारा कार्यवाही गतिमान है । निकट भविष्य में शीघ्र रिक्त पदों को भर दिया जायेगा । जनपद मैनपुरी के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा नहीं की जा रही है बल्कि अध्यापकों की कमी के कारण कतिपय क्षेत्रों में अध्यापक कम तैनात हैं । जिनकी निकट भविष्य में शीघ्र नियुक्ति करके पूर्ति कर दी जायेगी जिससे शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकेगी ।]

जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के छः/सात वर्ष पूर्व कराए गए बैनामें में स्टाम्प शुल्क की कमी दिखाकर अधिकारियों द्वारा किसानों/व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उपर्युक्त सूचना के माध्यम से सन्त रविदास नगर (भदोही) के स्टाम्प/राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से नोटिस तथा आर०सी० भेजकर तत्काल रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क जमा करके बैनामा कराने वाले लोगों को छः/सात वर्ष बाद उत्पीड़न किये जाने की बात कही गई है, जबकि बैनामा कराते समय उस समय के रेट लिस्ट के आधार पर ही स्टाम्प ले लिया जाता है ।

2–उक्त सूचना के द्वारा अधिनियम की धारा 47 ख, नया स्टाम्प नियमावली 1950 के साथ पठित धारा 33 व 40 ख के अन्तर्गत कमी स्टाम्प शुल्क लगाए जाने तथा दस गुना अर्थदण्ड दिए जाने की नोटिस भेजी गई है, जबकि लोगों ने तत्कालीन रेट (उस समय के) अनुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराके बैनामा कराने की बात कही है । इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित लोगों के नाम अंकित किये गये है, जिनको गलत नोटिस दिया जाना बताया गया है :–

(1) श्रीमती विट्ठन देवी पत्नी श्री सियाराम वैश्य निवासी सुरियांवा पट्टी ।

(2) श्री भोला शंकर, श्री गिरजा शंकर, श्री राधेश्याम पुत्रगण रामलाल निवासी सुरियावां पट्टी ।

(3) श्री गुलाब चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद निवासी सुरियावां ।

(4) श्री राधेश्याम पुत्र गोपालदास निवासी सुरियावां ।

(5) श्रीमती कमला देवी पत्नी रामवृक्ष निवासी रेवड़ा परसपुर भदोही, तहसील भदोही ।

3–उपरोक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती विट्ठन देवी का लेखपत्र दिनांक 02-03-1996 को संदर्भित हुआ है तथा श्री भोला शंकर आदि का विलेखपत्र सहायक महानिरीक्षक की निरीक्षण तिथि 20-03-1996 के आधार पर संदर्भित हुआ है । श्री गुलाब चन्द्र जायसवाल से संबंधित लेखपत्र दिनांक 02-07-1995 को संदर्भित हुआ है । श्री राधे मोहन से संबंधित लेखपत्र दिनांक 10-09-1993 को संदर्भित हुआ है एवं श्रीमती कमला देवी से संबंधित विलेख पत्र वर्ष 1996 में जनपद वाराणसी से स्थानान्तरित होकर जनपद भदोही में प्राप्त हुआ तथा उस समय उप निबंधक भदोही जनपद वाराणसी में स्थित था तथा उपरोक्त 5 लेखपत्रों का भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47–ए के अन्तर्गत नियमानुसार 4 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत संदर्भित किया गया है । उक्त सभी संदर्भण संबंधित सहायक महानिरीक्षक के निरीक्षण आख्या के आधार पर नियमों के अन्तर्गत किया गया है । उक्त पांचों प्रकरण एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–श्रीमती विट्ठन देवी के प्रकरण में नोटिस तामीली के बावजूद पक्षकार द्वारा प्रतिवाद न करने के कारण 03-12-1998 को रु० 27,500/– की कमी स्टाम्प कमी का एक पक्षीय न्यायिक आदेश पारित किया जा चुका है । श्री भोला शंकर व श्री गुलाब चन्द्र जायसवाल के प्रकरण सुनवाई के लिए विचाराधीन हैं । श्री राधेमोहन के प्रकरण में नोटिस की तामीली के बावजूद प्रतिवाद न करने के कारण 18-12-1998 को एकपक्षीय आदेश पारित हुए और पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-01-1999 निस्तारण के लिए विचाराधीन हैं तथा श्रीमती कमला देवी के प्रकरण में भी नोटिस तामीली के बावजूद प्रतिवाद न करने के कारण 26-11-1998 को एक पक्षीय आदेश पारित हुआ जिसके विरुद्ध पुनर्स्थापन का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है तथा सभी प्रकरण उप-जिलाधिकारी, भदोही के न्यायालय से सम्बन्धित हैं और इस प्रकार प्रकरणों का निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत ही होता है ।]

जनपद सिद्धार्थनगर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित माननीय सदस्य की आवश्यक परियोजना को स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मो० मुकीम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना प्रदेश शासन ने पूर्वांचल के संतुलित विकास एवं अन्तरक्षेत्रीय विषमताओं तथा पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से सन् 1990 में की गई थी । जनपद सिद्धार्थनगर पूर्वांचल विकास निधि से आच्छादित/पोषित है ।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में राज्यांश के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली अति विशिष्ट परियोजनाओं का प्रस्ताव आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती द्वारा उनके पत्रांक 252/पू०वि०नि०/96-97/राज्यांश, दिनांक 30 मार्च 1998 को शासन को उपलब्ध कराया गया था । प्रस्तावों का परीक्षण नियोजन विभाग के प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कराया गया । तदुपरान्त क्षेत्रीय आवश्यकताओं/महत्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए संहत प्रस्ताव मा० मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया था, किन्तु क्षेत्रीय आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता को देखते हुए मा० सदस्य द्वारा संस्तुत योजना को स्वीकृत नहीं किया जा सका ।]

जनपद चित्रकूट की तहसील मऊ में पात्र व्यक्तियों को प्रदत्त पट्टों की अमल दरामद न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ददूद प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद चित्रकूट की तहसील/ग्राम सभा-मऊ के कृषि भूमि आवंटन के प्रस्ताव उप जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त 57 ख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराने हेतु दिनांक 3-11-98 को सहायक बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी, चित्रकूट को प्रेषित की गई थी । जिसमें 37 व्यक्तियों के नाम कृषि भूमि आवंटन के पट्टों का उल्लेख किया गया था ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अध्यक्ष ग्राम सभा मऊ द्वारा दिनांक 6-11-98 को प्रार्थना-पत्र के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करने पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चित्रकूट ने उप जिलाधिकारी मऊ को अपने पत्र संख्या-193/आ०शु० दिनांक 10-12-98 द्वारा यह निर्देश दिये कि ग्राम मऊ में कथित आवंटन के शिकायत की जांच आख्या अतिशीघ्र उपलब्ध करायें तथा अग्रिम आदेशों तक अभिलेखों में अमल दरामद न करायें। इन आदेशों की प्रति बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी चित्रकूट को भी तदनुसार कार्यवाही/अनुपालन हेतु भेजी गई थी।

ग्राम व तहसील मऊ जिला चित्रकूट में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4क(2) का प्रकाशन दिनांक 20-2-93 को हुआ था। सम्प्रति भूचित्र संशोधन की कार्यवाही चल रही है। अभी परताल नहीं हुई है इसलिए धारा-9 के प्रकाशन के उपरान्त ही राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किये जाने का प्राविधान है किन्तु मा० सदस्य द्वारा जैसा कि अपनी सूचना में इंगित किया गया है। जिन लोगों के पट्टे का अमल दरामद धारा-9 के प्रकाशन से पूर्व ही किया गया है उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी चित्रकूट को जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

इस प्रकार अमल दरामद की कार्यवाही पट्टों के सम्बन्ध में जांच विचाराधीन होने के कारण तथा धारा-9 का प्रकाशन न होने के कारण नहीं हो पा रही है।।

जनपद-मथुरा में डी० आर० डी० ए० द्वारा सड़कों/लिंक मार्गों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जांच आख्या को गायब किये जाने विषयक श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

1-अछनेरा-कीठम मार्ग से जोधपुर मार्ग :-

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

। इस मार्ग का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी, फरह जनपद मथुरा के माध्यम से वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत हेतु मात्राकृत 15 प्रतिशत की धनराशि के अन्तर्गत माह मई, जून 98 में कराया गया है। उक्त मार्ग पर 1-40 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य व चार पुलिया निर्माण कार्य की रुपया 1-145 लाख धनराशि आगणन के आधार पर स्वीकृत की गई है। जिसके सापेक्ष खण्ड विकास अधिकारी, फरह द्वारा 1-40 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य तथा 4 पुलिया निर्माण पर रु० 0-917 लाख धनराशि का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य का निरीक्षण अभिकरण के सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 5-11-98 को किया गया था, जिसमें मौके पर कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार पाया गया था। बाद में उक्त मार्ग को चौड़ाई में काटकर कृषकों द्वारा अपने खेतों में मिला लिया गया जिसमें वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई कम हो जाने के कारण मूल्यांकन में लगभग 8000-00 रु० का अन्तर आ रहा है। वर्तमान में इस मार्ग पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मथुरा द्वारा स्टोन सोलिंग का कार्य जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत अभिकरण अंश की धनराशि से कराया जा रहा है। अतः मार्ग पर धनराशि का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

नोट :-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–गढाया से नगला छत्ती अवशेष मार्ग पर मिट्टी का कार्य :–

इस मार्ग पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1996-97 में माननीय सांसद श्री आर० एन० आर्या की निधि से 120 मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य की आगणन के अनुसार रु० 0–185 लाख धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष अभिकरण स्तर से 120 मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य पूर्ण कराकर रु० 0–148 लाख धनराशि का नियमानुसार भुगतान मजदूरों को किया गया है । उक्त कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० द्वारा माह मई, 1997 में किया गया है तथा मौके पर कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार पाया गया है, तत्पश्चात ही अभिकरण से भुगतान किया गया है । अतः मार्ग पर किसी धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

3– जमुनावता से भवनपुरा-महमदपुर मार्ग :–

इस मार्ग पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना वर्ष 1996-97 में माननीय सांसद श्री आर० एन० आर्या की निधि से 2.950 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य की आगणन के अनुसार रु० 3.090 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष अभिकरण स्तर से 3.300 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण कराकर रु० 3.019 लाख धनराशि का नियमानुसार भुगतान मजदूरों को किया गया है । उक्त कार्य का निरीक्षण माह मई, 97 में सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा द्वारा किया गया है तथा मौके पर कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार पाया गया है, तत्पश्चात् ही अभिकरण से भुगतान किया गया है । अतः मार्ग पर किसी धनराशि का दुरुपयोग नहीं पाया गया है ।

4– बरौली से मंगला गढ़ी मार्ग :–

इस मार्ग पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि वर्ष 1996-97 में माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह की निधि से 1.410 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी कार्य की आगणन के अनुसार रु० 1-620 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके सापेक्ष अभिकरण स्तर से 1-410 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण कराकर रु० 1.601 लाख धनराशि का नियमानुसार मजदूरों को भुगतान किया गया है । उक्त कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मथुरा द्वारा माह मई, 97 में किया गया है तथा मौके पर कार्य माप-पुस्तिका के अनुसार बताया गया है तत्पश्चात् ही अभिकरण से भुगतान किया गया है । अतः मार्ग पर किसी धनराशि का दुरुपयोग नहीं पाया गया है ।

टी०ए०सी० के श्री अग्रवाल की जांच आख्या गायब करने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में श्री अग्रवाल की अभिकरण के कार्यों के सम्बन्ध में कोई जांच आख्या अभिकरण को प्राप्त नहीं हुई है । अभिकरण कार्यालय को श्री अग्रवाल की खण्ड विकास अधिकारी, मथुरा, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण व सिंचाई विभाग के कार्यों की जांचाख्या प्राप्त हुई थी जिन्हें परिपालन हेतु संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को भेज दिया गया है । |

जनपद गोंडा के विकास खण्ड-छपिया में राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवा के उच्चीकरण एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद-गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड-छपिया में राजकीय कन्या हाई स्कूल मसकनवां संचालित है जहां पर छात्राएं हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर रही है । सम्बन्धित विकास खण्ड में जहां छात्रायें हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करती है अद्यतन विद्यालय में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। सम्बन्धित विकास खण्ड में बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण छात्राओं को इण्टर स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

विद्यालय में चहारदीवारी न होने के कारण विद्यालय की निजी भूमि असुरक्षित है एवं छात्राओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए चहारदीवारी का निर्माण संस्था के लिए आवश्यक है।

शिक्षा निदेशालय द्वारा विद्यालय को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण करने का प्रस्ताव दिनांक 12-6-98 को तथा विद्यालय में चहारदीवारी के निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 2-11-98 को शासन में प्राप्त हुआ था। राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर तक ऊच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जिला योजनान्तर्गत परिव्यय आवन्टित न होने के कारण विद्यालय का उच्चीकरण किया जाना सम्भव नहीं हो सका। जहां तक प्रश्नगत विद्यालय के चहारदीवारी का प्रश्न है, यह कार्य भवनों का निर्माण, विस्तार विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय, जिलायोजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय/प्राविधान के अनुसार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के अन्तर्गत 1551.30 लाख रुपये के परिव्यय के सापेक्ष मात्र 21 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण पुनः बजट की उपलब्धता परिव्यय के सापेक्ष कराने हेतु अनुपूरक मांग का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया परन्तु उक्त व्यवस्था पर सहमति प्रदान नहीं हो सकी है। 21 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में ही अन्य विद्यालयों के उपयोगार्थ निर्गत की जा चुकी है।

आगामी वित्तीय वर्ष में यदि परिव्यय/प्राविधान की व्यवस्था उपलब्ध होगी तो प्रश्नगत विद्यालय के उच्चीकरण एवं विद्यालय की चहारदीवारी के निर्माण की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों के 8 से 10 कि०मी० दूरी पर निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की वर्ष 1999 की परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति/सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने, परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने एवं परीक्षाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु शासनादेश संख्या–3627/15-7-98-1(13)/90, दिनांक 10 सितम्बर, 1998 द्वारा परीक्षा के केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में निम्नवत् नीतिगत निर्देश दिये गये :–

(I) संस्थागत बालक परीक्षार्थियों का केन्द्र यथा सम्भव 8 किलोमीटर के अन्तर्गत ही निर्धारित किया जाय और यदि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो और सभी परीक्षार्थियों को इस दूरी के अन्तर्गत समायोजित किया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों को दूर केन्द्र पर आवंटित किया जाय तथा हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को कम दूरी वाले परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय। पर्वतीय क्षेत्र के सभी विद्यालयों के बालक परीक्षार्थियों को अपने विद्यालय से हटाकर स्थानीय/निकटस्थ दूसरे विद्यालय के केन्द्र पर भेजा जाय और निकट में दूसरा विद्यालय केन्द्र न हो तो उनके ही विद्यालय में उनके लिये स्वकेन्द्र बनाया जाय।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) संस्थागत बालिकाओं को अपने ही विद्यालय के केन्द्र पर आवंटित किया जाय, यदि वह विद्यालय परीक्षा का केन्द्र बनाया गया हो, बालिकाओं को जहां स्वकेन्द्र/स्थानीय केन्द्र की सुविधा न दी जा सके वहां उन्हें यथा सम्भव निकटस्थ केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी जाय। स्वकेन्द्र/स्थानीय/निकटस्थ केन्द्र की यह सुविधा उन संस्थागत बालिकाओं को भी प्रदान की जाय जो बालक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

(3) यथासम्भव परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को आवंटित किया जाय।

(4) विगत वर्षों में जिन विद्यालयों के विरुद्ध जिलाधिकारी, स्थानीय शिक्षाधिकारियों एवं बाहरी केन्द्र निरीक्षकों ने परीक्षा की सुविधा न बनाये रखनें की आख्या दी है अथवा विद्यालय में प्रबन्धाधिकरण और प्रधानाचार्य में कोई विवाद हो, उन्हें परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार न किया जाय। जिन परीक्षा केन्द्रों में विगत तीन वर्ष की परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग अथवा जिला प्रशासन के निरीक्षण/सर्वेक्षण में अधिकारियों और सचल दल के साथ अभद्र व्यवहार या हिंसात्मक घटनायें हुई हों अथवा जिन केन्द्रों पर सामूहिक नकल की घटनायें हुई हों और पुनः परीक्षा सम्पादित करानी पड़ी हो, उन्हें आगामी वर्षों की परीक्षाओं का केन्द्र न बनाया जाय।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करने हेतु जनपद एवं मण्डल स्थर पर निम्नांकित समितियों का गठन किया गया है :–

1–जनपद स्तरीय समिति

1–जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2–जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
3–बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
4–जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य	–	सदस्य
5 जिस सब डिवीजन के परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण पर विचार किया जाय उसके परगना मजिस्ट्रेट को भी बैठक में आमंत्रित किया जाय।		

2–मण्डल स्तरीय समिति

1–मण्डलीय आयुक्त	–	अध्यक्ष
2–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक (जहां जैसी स्थिति हो)	–	सदस्य सचिव
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	–	सदस्य
4–मण्डल के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य

परिषद् की परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी :–

जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण 30 सितम्बर, 1998 तक कर दिया जाय और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से इस प्रकार प्रकाशित कर दिया जाय। जिससे सभी संबंधित को प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों के बारे में पूर्ण जानकारी एवं प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त

समय/अवसर मिल सके । निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों की एक सूची मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०) को भी भेजी जायेगी . निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 20 अक्टूबर, 1998 तक उपलब्ध करा सकते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समस्त प्रत्यावेदनों पर अपनी आख्या सहित जिला स्तरीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । समिति द्वारा प्राप्त ऐसे प्रत्यावेदनों पर अपनी संस्तुति 31 अक्टूबर, 1998 तक मण्डलीय कार्यालय को उपलब्ध करा दी जायेगी । तत्पश्चात् मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मण्डलीय स्तरीय समिति की बैठक बुलाकर ऐसे प्राप्त प्रत्यावेदनों पर समिति का निर्णय प्राप्त करते हुए 15 नवम्बर, 1998 तक परीक्षा केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे ।

शासन द्वारा यह भी स्पष्ट प्राविधान किया गया कि परीक्षा केन्द्रों के परिवर्तन के संबंध में इसके पश्चात् सामान्यतः कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार न किये जायं । शासन द्वारा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में निर्गत नीति से यह स्वतः स्पष्ट है कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण का दायित्व जनपद स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय समितियों को इस आशय से सौंपा गया था कि ये जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं, विद्यालयों के वातावरण आदि से बहुत अच्छी तरह अवगत रहती है । निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा न तो अधिकार माध्यमिक शिक्षा परिषद् में और नहीं लखनऊ में स्थित किसी संस्था/कार्यालय को सौंपा गया है । शासन द्वारा जनपद स्तरीय समितियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में जनप्रतिनिधियों आदि को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाये ताकि बाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार की मांग न की जा सके । कुल मिलाकर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा बहुत ही पारदर्शी एवं जनतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़ें ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार मा० विधायक जी द्वारा उदाहरण के तौर पर सूचना में जिन विद्यालयों का उल्लेख किया गया है, उनमें के० के० इण्टर कालेज, मेरठ के इण्टरमीडिएट के छात्रों का परीक्षा केन्द्र एस० डी० इंटर कालेज कंकरखेड़ा मेरठ एवं वी० ए० वी० इण्टर कालेज, सुभाषनगर, मेरठ में किया गया हैं, जो कि पूर्णरूपेण स्थानीय हैं और हाईस्कूल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र नवभारत विद्यापीठ इ० का० परतापुर में किया गया है, जो कि विद्यालय से 7 कि० मी० की दूरी पर है तथा मेरठ शहर के अन्तर्गत ही है । सेंट जोजफ इ० का० मेरठ का इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र जनपद एवं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा एस० डी० इ० का० कंकरखेड़ा बनाया गया है जो कि स्थानीय है और हाईस्कुल के परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र सरश्री राम इ० का० दौराला 9 कि० मी० की दूरी पर तथा डा० अम्बेडकर इ० का० तेजगढ़ी 7 कि०मी० की दूरी पर बनाया गया है । इसी तरह मुरादाबाद मण्डल के भी जनपदीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं । गढ़वाल मण्डल की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण तथा आवागमन हेतु पहाड़ मार्गीय विद्यालयों की पारस्परिक दूरी के अधिक होने के कारण तथा कुछ विद्यालयों में न्यून परीक्षार्थी संख्या आदि सीमाओं के अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय समितियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जनपद एवं मण्डल स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर वर्ष 1999 की परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है और अब जबकि परीक्षा प्रारम्भ होने में दो सप्ताह से भी कम समय शेष है यदि केन्द्रों का परिवर्तन किसी स्तर से किया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् को पूरे प्रदेश की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होने की सम्भावना उत्पन्न होगी तथा ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण रहेंगे जिससे परीक्षार्थियों

एवं उनके अभिभावकों को आगे चलकर परीक्षाफल घोषणा के बाद परीक्षाफल पूर्ण कराने हेतु बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अनावश्यक रूप से जनाक्रोश उत्पन्न होगा ।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1999 की परीक्षाओं हेतु केन्द्रों का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नीति के आलोक में जनपदीय एवं मण्डलीय समितियों द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है । अब जबकि परीक्षा प्रारम्भ होने में एक सप्ताह से भी कम समय शेष है, इस स्तर पर परिवर्तन करना न तो परीक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा होगा और न ही छात्रों के परीक्षाफल की दृष्टि से ।

जनपद बिजनौर के अन्तर्गत स्योहारा गन्ना मिल द्वारा प्रदूषित जल को गंगा नदी में प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद बिजनौर में गागन नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी के रूप में प्रवाहित होती है । यह नजीबाबाद तहसील व जिला बिजनौर से निकलकर मुरादाबाद के ग्राम मछरिया के पास रामगंगा में मिलती है । गागन नदी में मुख्य रूप से जल प्रदूषणकारी उद्योगों का उत्प्रवाह तथा गागन नदी के किनारे स्थित गांव, कस्बों, शहरों आदि का जलमल निस्तारित किया जाता है । गागन नदी में जल प्रदूषण की समस्या है । स्योहारा गन्ना मिल का उत्प्रवाह गागन नदी में निस्तारित नहीं किया जाता है, अपितु रामगंगा नदी में किया जाता है । गागन नदी में जिन प्रमुख उद्योगों का उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है वे निम्नवत् है :–

1–बद्री केदार पेपर मिल्स लि० नजीबाबाद, बिजनौर

उद्योग द्वारा वर्ष 1994 से कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज, बैगास, रोजिन आदि का प्रयोग कर लगभग 16 टन प्रतिदिन पेपर का उत्पादन किया जाता है । उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद द्वारा दिनांक 17-2-98 को किया गया था । उद्योग के निस्तारित उत्प्रवाह में रंग की समस्या है । पेपर उद्योग के उत्प्रवाह से रंग को दूर करने की तकनीक भारत वर्ष में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है । उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह से रंग दूर करने के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं तथा वर्ष 1999 हेतु सहमति आवेदन-पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विचाराधीन है ।

2–मै० मानसरोवर पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, नजीबाबाद, बिजनौर

उद्योग द्वारा वर्ष 1992 से रद्दी कागज, रोजिन आदि का प्रयोग कर डुप्लेक्स बोर्ड का उत्पादन किया जाता है जो कि लगभग 50 टन/दिन है । औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28-1-99 को किये गये निरीक्षण में उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप पाया गया है ।

3–मेमर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, बुन्दकी, बिजनौर

उद्योग द्वारा वर्ष 1995 से गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है । यह एक सीजनल उद्योग है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 5000 टन प्रतिदिन है । उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 30-11-98 के अनुसार उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप पायी गयी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4-मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स (शुगर एवं केमिकल यूनिट)

शुगर यूनिट :-

उद्योग द्वारा वर्ष 1933 से गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है । वर्तमान में उत्पादन क्षमता 9000 टन प्रतिदिन है तथा यह एक सीजनल उद्योग है । उद्योग में शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है । उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 16-12-98 को किया गया तथा उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, फलस्वरूप उद्योग को जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र में वांछित सुधार करने तथा प्रभावी संचालन करने के निदेश दिये गये हैं ।

केमिकल यूनिट :-

उद्योग की केमिकल यूनिट द्वारा औद्योगिक अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एनहाइड्राइड, इथाइल एसीटेट का उत्पादन किया जाता है । उद्योग में शुद्धीकरण संयंत्र (प्राथमिक एवं द्वितीय चरण का) स्थापित किया गया है, परन्तु शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन न करने तथा निस्तारित उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण उद्योग के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए के अन्तर्गत दिनांक 4-2-98 को बन्दी आदेश जारी किये गये थे । उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र में वांछित सुधार कर संचालन करने के लिए समय देने के बावजूद पुनः इसमें अपेक्षित कार्य न होने के कारण उक्त बन्दी आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी, बिजनौर से दिनांक 20-2-99 को पुनः अनुरोध किया जा चुका है । ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा० विधायक ने प्रश्नगत सूचना में मथुरा जनपद स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा में मण्डी सचिव द्वारा भ्रष्टाचार, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जाना, प्रवेश पर्ची जारी न कराना, दिनांक 29-9-98 को श्री नानक चन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी पुरा पोस्ट मुगर्रा, जिला मथुरा को सुविधाशुल्क लेकर दुकान का कब्जा दिलाने व उन्हें उत्पीड़ित किये जाने, मै० सिराजुद्दीन-जमालुद्दीन को दुकान संख्या-सी०-31, निदेशक, मण्डी के आदेश दिनांक 23-10-98 के बाद भी कब्जा न देने, पुरानी तारीख में रसीदें काटने तथा श्री इस्तहार पुत्र कलक्टर निवासी मनोहर पुरा मथुरा के मामले में आवेदन पत्र गायब करने तथा मोटी रकम लेकर लाइसेन्स देने जैसे शिकायती बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है तथा मण्डी समिति के सचिव की सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने एवं दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उसके स्थानान्तरण की भी अपेक्षा की गयी है ।

मा० विधायक द्वारा दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि मण्डी समिति के प्रवेश द्वार पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नहीं बैठता है जिससे प्रवेश पर्ची जारी नहीं हो पाती तथा इस प्रकार शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का अपवंचन होता है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायत के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण कर जांच किये जाने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है । तद्नुसार इस संबंध में कार्यवाही कर जांच हेतु संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन) को निर्देशित कर दिया गया है ।

मा० विधायक द्वारा अपनी सूचना में श्री नानक चन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रसाद को उत्पीड़ित करने एवं दुकान पर कब्जा न दिये जाने का जो बिन्दु उठाया गया है उसके संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पहले

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संदर्भित दुकान का आवंटन दिनांक 17-10-95 को हुआ था परन्तु प्रीमियम की धनराशि रु० 2,51,000.00 जमा न होने के कारण दिनांक 29-9-97 को पुनः दुकान की नीलामी करायी गयी जिसमें अधिकतम बोली रु० 1,32,500.00 की आयी जिसके संबंध में, आवंटन के पूर्व निदेशक, मण्डी समिति से स्वीकृति आवश्यक थी जो प्राप्त न होने के कारण दिनांक 6-11-98 को उक्त दुकान की नीलामी पुनः करायी गयी जो रु० 1,43,000.00 में श्री नानक चन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ ग्राम पुरा, पोस्ट मुगर्रा के पक्ष में की गयी । उक्त दुकान के आवंटन का अनुमोदन दिनांक 29-1-99 को जिलाधिकारी मथुरा द्वारा किया गया तत्पश्चात् सचिव के पत्रांक 1854 दिनांक 9-2-99 द्वारा नीलामी क्रेता को धनराशि जमा करने हेतु लिखा गया पूर्व में श्री नानक चन्द्र द्वारा दिनांक 6-11-98 को रु० 40,000 तथा सचिव के पत्र दिनांक 9-2-99 के पश्चात् रु० 50,000 जमा किये गये । शेष रु० 53,000.00 जमा करने हेतु एक माह का समय नीलामी क्रेता द्वारा लिया गया है । इस प्रकार पूर्ण धनराशि जमा हो जाने पर आवंटन सम्बन्धी अन्तिम आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

मा० विधायक द्वारा प्रश्नगत सूचना में शिकायत का अगला बिन्दु मै० सिराजुद्दीन-जमालुद्दीन के पक्ष में फल एवं सब्जी की दुकान संख्या–सी–31 पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में निदेशक मण्डी के आदेश दिनांक 23-10-98 के बाद भी कब्जा न दिये जाने से संबंधित है । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि यह निदेशक, मण्डी परिषद् के आदेश संख्या–3226 दिनांक 23-10-98 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित फर्म/सचिव, मण्डी समिति, मथुरा को भेजी गयी । उक्त आदेश के बाद भी मण्डी सचिव द्वारा समय से मै० जमालुद्दीन सिराजुद्दीन को दुकान का कब्जा नहीं दिया गया । संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि सचिव मण्डी समिति मथुरा द्वारा निदेशक के उक्त आदेशों का अनुपालन करने हेतु अपने पत्र दिनांक 2-12-98 द्वारा संबंधित फर्म को लिखा गया । इस प्रकार निदेशक के आदेश दिनांक 23-10-98 का अनुपालन सचिव द्वारा अत्यन्त विलम्ब से किया गया जिसके कारण विपक्ष मै० बाबू कुरैसी मोहम्मद शरीफ को दिवानी न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त करने का पूरा मौका मिला । इस प्रकार सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा द्वारा विपक्षी फर्म से सांठ-गांठ कर उन्हें लाभ दिये जाने का पूरा मौका दिया गया ।

मा० विधायक द्वारा अपनी सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि सचिव द्वारा मोटी रकम लेकर लाइसेन्स जारी किये जा रहे हैं और जो इस तरह रकम नहीं दे रहा है उसे उत्पीड़ित करते हुए उसके आवेदन पत्र गायब किये जा रहे हैं । मा० विधायक द्वारा ऐसे मामलों में श्री इस्तहार पुत्र श्री कलक्टर निवासी मनोहर पुरा मथुरा का संदर्भ दिया है । इस संबध में उल्लेखनीय है कि श्री इस्तेहार का लाइसेन्स बनाये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-10-98 पत्रावली में उपलब्ध है । सचिव ने अपनी आख्या में लिखा है कि आवेदक के पास कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है और न ही औपचारिकतायें पूरी की गयी हैं लेकिन उक्त के संबंध में सचिव द्वारा सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा को कोई आख्या प्रेषित नहीं की गयी है और न ही प्रार्थना-पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट हुई अनियमितताओं के प्रकाश में संबंधित मण्डी सचिव का स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद् को निर्देशित किया जा रहा है । ।

वाराणसी में गंगा जल का रंग काला एवं बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। वाराणसी में गंगा जल का रंग काला एवं बदबूदार होने से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गयी थी ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बनारस में गंगा जल अकस्मात काला भूरा एवं बदबूयुक्त होने की सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 17-2-99 को प्राप्त हुई थी । इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय बनारस, इलाहाबाद, झांसी, मथुरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं बरेली को यह निर्देश दिये गये थे कि बनारस में अकस्मात गंगा जल में परिवर्तन का कारण जानने हेतु अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली नदियां जिनका उत्प्रवाह अन्तिम रूप से गंगा एवं यमुना नदी में मिलता है, का सर्वेक्षण कर यह पता लगाये कि इस परिवर्तन का क्या कारण है जिससे कि संबंधित उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

3–क्षेत्रीय कार्यालय बनारस द्वारा सर्वेक्षण के बाद यह अवगत कराया गया कि रामनगर में गंगा तट में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो इस तरह से गंदा पानी गंगा नदी में प्रवाहित करता है जिससे पानी के परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है । क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि फर्रुखाबाद में स्थित चीनी मिल एवं आसवनी इकाई में शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है एवं आसवनी इकाई काफी दिनों से स्वयं के कारण से बन्द चल रही है जिससे कि इस इकाई में काले रंग के प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है । मै० किसान सहकारी चीनी मिल फर्रुखाबाद में शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है तथा इससे निकलने वाले उत्प्रवाह में कलर नहीं होता है । अतः इस कारण भी यह समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती है ।

4–उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना, गंगा, काली, रामगंगा, हिण्डन, बेतवा, चम्बल उल्लिखित सहायक एवं मुख्य नदियों में औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दुओं के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम बिन्दुओं का व्यापक सर्वेक्षण कराकर किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(1) यमुना नदी में उत्तर प्रदेश की सीमा नोएडा में प्रवेश करने के पूर्व दिल्ली के औद्योगिक एवं घरेलू स्रोतों से उत्प्रवाह मिलता है । दिनांक 18-2-99 को क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा द्वारा यमुना नदी का सर्वेक्षण एवं नमूना एकत्र किया गया । ग्रेटर नोएडा से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण लोहिया नाले के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जाता है । लोहिया नाला कसना के पास हिण्डन नदी में मिलती है जो अन्ततः यमुना नदी में मिलती है । नोएडा फेज–1, फेज–2 व एन०ई०पी०जेड० से जनिहत औद्योगिक/सीवेज उत्प्रवाह इरीगेशन कैनाल के माध्यम से अन्ततः यमुना नदी में निस्तारण होता है । इरीगेशन कैनाल का उद्गम दिल्ली से होता है, जिससे सीवेज भी निस्तारित होता है । नोएडा शहर का उत्प्रवाह बिना किसी शुद्धिकरण के इरीगेशन कैनाल में निस्तारित होता है एवं निरीक्षण के समय इसका रंग गहरा काला (सीवेज) पाया गया । इरीगेशन कैनाल के यमुना नदी में मिलने के पश्चात् यमुना नदी का रंग हल्का काला पाया गया । इसके अतिरिक्त शाहदरा ड्रेन जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली एवं साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र का उत्प्रवाह निस्तारित होता है, का रंग भी गहरा काला पाया गया । शाहदरा ड्रेन ओखला बैराज के पास यमुना में मिल जाती है एवं इसके मिलने के पश्चात् यमुना नदी का रंग हल्का काला पाया गया ।

उत्तर प्रदेश में स्थित साहिबाबाद औद्योगिक ड्रेन के माध्यम से उत्प्रवाह यमुना नदी में निस्तारित होता है इसको रोकने/इसमें प्रदूषण को कम करने हेतु मा० उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका सं० 725/94 विचाराधीन है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 119 उद्योगों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है कि यह अपना उत्प्रवाह साहिबाबाद ड्रेन के माध्यम से अन्ततः यमुना नदी में निस्तारित करते हैं । इन 119 उद्योगों में से 61 उद्योगों द्वारा शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया है एवं 58 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित नहीं है । बोर्ड द्वारा इन उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 12-1-99 को जारी किया गया था कि वह 31 मार्च, 1999 से पूर्व अपना शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप निस्तारित करें अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध बंदी की कार्यवाही कर दी जायेगी ।

2–मथुरा में यमुना नदी का सर्वेक्षण दिनांक 18-2-99 को कराया गया । कोसी अपस्ट्रीम में नदी का जल रंगहीन पाया गया ।

3–आगरा के अपस्ट्रीम में कैलाशघाट पर यमुना नदी का जल हल्का भूरा पाया गया जबकि वजीराबाद पुल दिल्ली के निकट यमुना नदी का जल स्वच्छ पाया गया। इन दोनों बिन्दुओं के मध्य गोपी ड्रेन जिसमें हरियाणा से जल आता है। ओखला बैराज का प्रदूषित जल एवं शाहदरा ड्रेन आदि का प्रदूषित जल मिलने के कारण आगरा अपस्ट्रीम में यमुना का जल रंगीन पाया गया।

4–झांसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 19-2-99 को यमुना नदी का सर्वेक्षण किया गया। यमुना नदी बांदा–फतेहपुर–इलाहाबाद जाती है एवं मार्ग में कालपी से गुजरती है जो झांसी से लगभग 140 कि०मी० की दूरी पर है। यहां यमुना नदी में 4 प्रमुख इकाईयों के उत्प्रवाह निस्तारित होने की सम्भावना है परन्तु इसमें से किसी भी उद्योग का उत्प्रवाह मटमैला अथवा भूरे रंग का नहीं होता है। उरई के डाउन स्ट्रीम में कालपी में यमुना नदी का जल हल्का मटमैला पाया गया जो रखने पर रंगहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बेतवा नदी मध्य प्रदेश से आती है एवं ललितपुर, झांसी तथा हमीरपुर होती हुई यमुना में चिल्लाघाट पर मिलती है। इसमें एक इकाई का उत्प्रवाह निस्तारित होता है परन्तु उत्प्रवाह, शुद्धिकरण के पश्चात रंगहीन होता है। भहरूआ–सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र हमीरपुर के डाऊन स्ट्रीम में नदी का जल रंगहीन पाया गया।

5–इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 17-2-99 व 18-2-99 को यमुना व गंगा नदी का सर्वेक्षण किया गया। यमुना नदी पर स्थित वाटर अपटेक प्वाइंट पर नदी का जल हल्का पीला पाया गया। यद्यपि अन्य परिचालक जैसे पी०एच०, डी०ओ०, कलर व गंध सामान्य पाये गये।

6–गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदी रामगंगा आदि का सर्वेक्षण दिनांक 19-2-99 व 20-2-99 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद द्वारा किया गया दिनांक 18-2-99 को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली द्वारा भी सर्वेक्षण किया गया। तथा दिनांक 18–2–99 को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा भी सर्वेक्षण किया गया कछलाघाट बदायूं में गंगा नदी का जल नदी को देखने से रंगीन प्रतीत हो रहा था परन्तु बीकर में जल लेकर देखने से रंगहीन प्रतीत हो रहा था। रामगंगा नदी का जल विभिन्न स्थानों पर रंगीन पाया गया, जिसका मुख्य कारण विभिन्न नालों से निस्तारित होने वाला शहरी मल–जल व औद्योगिक उत्प्रवाह है। राम गंगा एवं काली नदी के मिलने के पूर्व गंगा नदी के जल घटियाघाट फरूखाबाद में रंगीन पाया गया। रामगंगा में फतेहगढ़ पर जल का रंग हल्का भूरा था। काली नदी में खुदागंज ब्रिज पर गंगा में मिलने के पूर्व रंग की तीव्रता रामगंगा व गंगा की अपेक्षा अधिक पाई गई। क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अनुसार कानपुर में गंगा नदी में रंग का मुख्य कारण काली नदी है।

इलाहाबाद में दिनांक 17–2–99 व 18–2–99 को किये गये सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में हल्का रंग पाया गया यद्यपि अन्य परिचालक पी०एच०, डी०ओ० आदि सामान्य पाये गये।

7–काली नदी कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिलती है। दिनांक 19-2-99 को काली नदी का सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा किया गया। काली नदी का जल जनपद बुलन्दशहर में अपस्ट्रीम में, बुलन्दशहर के डाउन स्ट्रीम में, तथा बुलन्दशहर से लगभग 25 कि०मी० की दूरी पर डाइन स्ट्रीम में शिकारपुर कस्बे के समीप काली नदी का जल, काला व बदबूदार पाया गया। काली नदी में मुख्य रूप से मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, गुलावटी तथा बुलन्दशहर में स्थापित 67 उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है इसमें 43 उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है एवं 24 उद्योगों में शुद्धिकरण संयंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है। इस संबंध में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33–ए के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि यदि इनके द्वारा 31 मार्च, 1999 तक अपना उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं किया जाता है तो उद्योग के विरुद्ध बंदी आदेश जारी कर दिये जायेंगे। काली नदी के प्रदूषण के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सं० 725/94 विचाराधीन है जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी एक पार्टी है जिसमें बोर्ड द्वारा उद्योग में शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार एक्शन प्लान दिया गया है।

8–वाराणसी में भी गंगा नदी में यद्यपि रंग पाया गया परन्तु अन्य परिचालक सामान्य पाये गये । बोर्ड द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :–

(क) सर्वेटीम द्वारा वजीराबाद पुल दिल्ली के निकट यमुना का जल स्वच्छ पाया गया एवं यह देखा गया कि गोधी ड्रेन जो कोसी कला मथुरा में मिलती है अत्यन्त रंगीन था । इसी प्रकार ओखला बैराज से यमुना नदी में जल छोड़ा जा रहा था जो प्रदूषित प्रतीत हो रहा था । इसके पश्चात् शाहदरा ड्रेन यमुना नदी में आकर मिलती है एवं इसका जल भी अत्यधिक प्रदूषित प्रतीत हो रहा था एवं आगरा के अपस्ट्रीम यमुना का जल हल्का रंगीन पाया गया, इससे प्रतीत होता है कि यमुना/गंगा नदी में रंग व प्रदूषण का मुख्य कारण दिल्ली, नोएडा एवं हरियाणा से निस्तारित होने वाला शहरी जल-मल व औद्योगिक उत्प्रवाह है ।

(ख) गंगा नदी में रंग का कारण मुख्यतः काली नदी एवं अन्य सहायक नदियां है जिसमें विभिन्न उद्योगों का उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण है ।

(ग) यह भी विचारणीय है कि क्योंकि शहरी जल मल एवं औद्योगिक उत्प्रवाह तो लगातार प्रवाहित होते हैं अतः अचानक रंग का उत्पन्न होने के कारण इनका उत्प्रवाह नहीं होना चाहिए । अचानक एवं अत्यधिक मात्रा में छोड़े गये उत्प्रवाह से ऐसी समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है । सर्वेक्षण के समय इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका । परन्तु सम्भावना है कि किसी जलाशय, बैराज आदि से जल अचानक काफी मात्रा में छोड़ा गया होगा, जिसमें एलगी के कारण रंग एवं दुर्गन्ध की समस्या रही हो, के कारण यह समस्या भी पैदा हो गई हो ।

(घ) जैसा कि माननीय विधायक द्वारा यह कहा गया है कि भविष्य हेतु इस परिवर्तन को रोकने हेतु जल विशेषज्ञों की सहायता ली जाये । मैंने अपने विभाग को यह निर्देशित कर दिया है कि वह हरियाणा, दिल्ली एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से वार्ता कर एक बैठक करे एवं एक टीम गठित कर विस्तृत सर्वेक्षण कराये जिससे वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके । तदोपरान्त उसके निराकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया जा सकेगा ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के विधायकों को ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति पांच गांव विद्युतीकरण योजना के अनुसार शहर के वार्डों और मुहल्लों में विद्युतीकरण की अनुशंसा के अधिकार के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–34 स्थगित की जाती है ।

प्रदेश में ग्रामीण अंचल में पानी की निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन की व्यवस्था हर वर्ष की जा रही है । इन हैण्डपम्पों के कारण गांवों, घरों का रिहायसी पानी बहने के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कारण पानी की निकासी की व्यवस्था एवं गांवों में समस्या को हल करने हेतु नाली के निर्माण द्वारा किया जा सकता है । इस कार्य हेतु जवाहर रोजगार योजना एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध दशम् वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से गलियों के निर्माण किये जा रहे हैं । खडन्जों के साथ-साथ नाली का भी निर्माण उपलब्ध धनराशि से किये जाने हेतु ग्राम सभाओं को निर्देश दिया जा सकता है । पानी के निकासी हेतु नाली निर्माण को ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत बनाया जा सकता है जिससे सारे गांव के रिहायसी पानी तथा पेयजल के लिये अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–2 से पहुंचे पानी को गांव के किसी ऐसी जगह पर जहां पर तालाब या अन्य किसी गहरे स्थान पर पहुंचाया जा सके । इस कार्य को पूरा करने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों को एक सुनियोजित ढंग से हर ग्राम के ले आउट के आधार पर ही व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं ।

जल निगम को भी निर्देशित किया गया है कि वे इण्डिया मार्क–2 के पानी की निकासी इन नालियों तक करने की व्यवस्था प्लेटफार्म के निर्माण के साथ-साथ करें ।]

प्रदेश में संचालित आई० सी० एस० ई० तथा सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में जारी किये गये शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का अनुपालन न किये जाने के संबंध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में सी० बी० एस० ई० तथा आई० सी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु शासनादेश संख्या–2762/15-13-91-4(46)/91, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 द्वारा नीति और प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार जिन विद्यालयों द्वारा आई० सी० एस० ई० तथा सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आवेदन दिया जाता है, उन प्रकरण पर मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की स्थलीय निरीक्षण आख्या तथा शिक्षा निदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन स्तर पर विस्तृत परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था है :–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन संस्था को करना अनिवार्य होगा और किसी समय यह पाया जाता है कि किसी संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

2–इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी संस्था को आई० सी० एस० ई० तथा सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं का सम्यक् परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आदेश दिये जाते हैं और जारी किये गये आदेशों में भी यह उल्लेख कर दिया जाता है कि यदि किसी संस्था द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जायेगा तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा । ज्ञातव्य है कि इन शर्तों को सोसायटी के बाईलाज में समावेश किये जाने के पश्चात् ही संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जिससे भविष्य में इनके अनुपालन की स्थिति में कोई विधिक कठिनाई न हो तथा यह अपेक्षा की जाती है कि संस्था द्वारा इन शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा इनके अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिया जा सकता है ।

3–इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सी० बी० एस० ई० तथा आई० सी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन शासित नहीं होते हैं । इनकी सेवा शर्तें सी० बी० एस० ई०/आई० सी० एस० ई० के बाईलाज के अन्तर्गत नियंत्रित होते हैं । प्रदेश में स्थित ऐसे विद्यालयों के नियंत्रण अधिकारी संबंधित मंडलों के सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक है और इनके द्वारा ही अपने मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है । शासनादेश दिनांक 30-11-91 में निहित शर्तों का अनुपालन किये जाने हेतु समय-समय पर शासन स्तर से भी निर्देश जारी किये जाते रहे हैं । शासनादेश संख्या–3238/15-7-94-16(17)/94 दिनांक 9 सितम्बर, 1994 के द्वारा शिक्षा निदेशक (मा०) तथा मण्डलीय अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये गये कि कतिपय संस्थाओं द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् शर्तों का अनुपालन भलीभांति नहीं किया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित रहेंगे । अतः यह निर्देश दिये गये कि ऐसे विद्यालयों को स्थलीय निरीक्षण संबंधित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन विद्यालयों में वांछित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं । यदि ऐसे किसी विद्यालय में शासनादेश में वर्णित प्राविधानों/शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो अग्रेतर कार्यवाही हेतु इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय । इसी प्रकार शासनादेश संख्या–वि०स० 47/15-7-7(25)/98 दिनांक 3 अगस्त, 1998 के द्वारा सभी मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को शिक्षा निदेशक (मा०) के माध्यम से निर्देश दिये गये कि वे अपने मण्डलों में स्थित ऐसे विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विद्यालय में ली जा रही शुल्क विवरण प्राप्त करते हुए यह देखा जाय कि विगत वर्षों की तुलना में शुल्क की दरों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है ।

4–जहां तक प्रश्नगत विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विद्यालय स्ववित्त पोषित हैं और इन विद्यालयों को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नहीं है । इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनादि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धतंत्र पर है । ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों के समुचित संचालन हेतु फीस लिये जाने की व्यवस्था है । सी० बी० एस० ई०/आई० सी० एस० ई० बाईलाज के अन्तर्गत फीस विद्यालय में प्रयुक्त सुविधा के अनुरूप चार्ज की जायेगी । किसी

प्रकार की कैपटिशन फीस या डोनेशन लिये जाने की व्यवस्था नहीं है इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 30-11-91 के अधीन यह भी व्यवस्था है कि इन विद्यालयों में काशन मनी/भवन शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा फीस उन्हीं मदों में चार्ज की जायेगी जो अनुमन्य हो । ऐसा विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा । यदि इसका अनुपालन विद्यालय विशेष द्वारा नहीं किया जा रहा है और इसकी सम्यक् जानकारी दिये जाने पर संबंधित विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिया जा सकता है ।

5–इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश शासन द्वारा आई० सी० एस० ई०/सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही है और इस हेतु जारी किये गये शासनादेश दिनांक 30-11-91 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है । इस संबंध में उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा इस हेतु सर्वेक्षण कर जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः विस्तृत निर्देश दिये जा रहे हैं और किसी विद्यालय विशेष द्वारा इस प्रकार की कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर जांच करा ली जायेगी और इसकी पुष्टि होने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद–अल्मोड़ा में ''जालली'' विकास खण्ड की घोषणानुसार अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में श्री अजय भट्ट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार जनपद–अल्मोड़ा में प्रश्नगत विकास खण्ड हेतु जालली में कोई शासकीय भवन रिक्त (उपलब्ध) नहीं है एवं विकास खण्ड के मानक स्टाफिंग के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतन/कार्यालय व्यय आदि हेतु लगभग 19.80 लाख रु० (रु० उन्नीस लाख अस्सी हजार) वार्षिक धनराशि की आवश्यकता होगी ।

प्रदेश में विकास खण्ड की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र में 75 हजार से एक लाख जनसंख्या तथा पर्वतीय क्षेत्र में 35 हजार से 50 हजार जनसंख्या का मानक निर्धारित है । एक विकास खण्ड की स्थापना पर आवर्तक एवं अनावर्तक मद में लगभग एक करोड़ रुपये का व्यय भार आता है । नवीन विकास खण्डों के सृजन हेतु अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि नवीन विकास खण्डों के सृजन का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार उठा सके । अतः लिये गये नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति नये विकास खण्डों के सृजन की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा नगर पालिका/परिषद् अधिनियम में संशोधन कर गृह कर प्रणाली को बदलने के संबंध में योजना बनाये जाने विषयक श्री केशो मेहरा आदि की नियम–49 के अन्तर्गत तथा सरकारी नलकूपों के रखरखाव अथवा संचालन हेतु वर्तमान व्यवस्था नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक, कुंवर रेवती रमण सिंह आदि की नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का स्थगन

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद संख्या–38 एवं 39 को आज स्थगित कर दिया जाय ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि मद संख्या–38 व 39 को स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं, 22 मार्च को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 20 मिनट पर सोमवार 22 मार्च, 1999 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
19 मार्च, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

गोमती नगर योजना फेज–दो के अन्तर्गत वर्ष 1985 से 1990 तक आवंटित भूखण्डों के विरुद्ध माफ की गयी धनराशि का विवरण ।

क्रमांक	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम व पता	माफ की गयी धनराशि
1	सी–1/27 विशेष खण्ड	श्रीमती नजमुन निशां पत्नी स्वर्गीय सै० महबूब हुसैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अब्बू सरांय, सिविल लाइन, फैजाबाद ।	रु० 16,894.80 रु० 1,666.93
2	सी–1/190 विशेष खण्ड	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता एमआईजी–2, शेखपुरा, लखनऊ ।	रु० 17,449.70
3	सी–1/162–ए विशेष खण्ड	श्री हरीश चन्द्र गुप्ता, ए–208 संचार बिहार कालोनी, आईटीआई लि०, मनकापुर, गोण्डा ।	रु० 17,309.33
4	ए-1/213 विशेष खण्ड	श्री तेज किशन रस्तोगी, चौक, लखनऊ ।	रु० 21,684.99
5	ए- 1/216 विशेष खण्ड	श्री छविनाथ पाठक, ग्राम–हरखपुर पोस्ट–रामदयाल गंज, जिला–जौनपुर ।	रु० 87,437.99
6	ए-1/217–ए विशेष खण्ड	श्री एस० एन० सिंह एवं श्रीमती प्रकाश सिंह ए-799 इन्द्रानगर, लखनऊ ।	रु० 6,000.00 लगभग
7	सी–2/1आई० विशेष खण्ड	श्रीमती रमा सिंह, 3/243 विश्वास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।	रु० 21,180.60
8	सी–2/13 विशेष खण्ड	श्रीमती स्नेहलता गुप्ता 6, वे रोड, लखनऊ ।	रु० 24, 175.25
9	बी–3/2 विशेष खण्ड	श्री बाबूलाल गर्ग, से० नि०, आई०ए०एस०, प्लास्टेड पैकेज इंटर प्राईजेज नाका, पैसार, फैजाबाद रोड, लखनऊ ।	रु० 11, 017.00

उत्तर प्रदेश संघ

क्रमांक	भूखण्ड संख्या	आवंटी का नाम व पता	माफ की गयी धनराशि
10	बी–3/105 विशेष खण्ड	श्री श्याम पाल सिंह, न्यू ट्रांसपोर्ट कं० स्टेशन रोड गोण्डा।	रु० 12, 131.00
11	बी–3/159 विशेष खण्ड	श्री के० बी माथुर, चीफ आडीटर एवं प्रेसीडेन्ट, 10/4 डालीबाग, कालोनी, लखनऊ।	रु० 14, 037.70
12	सी–1/106 विक्रांत खण्ड वर्तमान में समायोजित सी–1/33 विक्रांत खण्ड	श्री आलेरजा 10, वजीरगंज लखनऊ।	19, 737.73
13	डी–4/502 विजयन्त खण्ड	श्री काजी अहमद दुलहा 2/47 हाइडिल कालोनी, प्र नारायण रोड, लखनऊ।	रु० 8, 399.92
14	एस० एस० 4/685 विभव खण्ड	श्रीमती राजकुमारी, 95/5 राम नारायण वैद्य गली, आर्य समाज मन्दिर रोड, गणेशगंज, लखनऊ।	रु० 9, 644.00
15–	सी–1/14 विभव खण्ड	श्री कृष्ण चन्द्र शुक्ल, सी–22, एच० रोड, महानगर विस्तार, योजना, लखनऊ।	रु० 12, 569.17

उदय प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं०–57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राम ललित चौधरी माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–57 के उत्तर का संलग्नक

संलग्नक

मोहल्लों की नालियों के निर्माण की रूपरेखा का विवरण ।

1–ईदगाह से कम्पनी बाग तक नाला निर्माण एवं निर्माण कार्य	1, 72,500.00
2–जिला अस्पताल क्रासिंग से दक्षिण दरवाजा क्रासिंग तक नाला निर्माण	8, 08,800.00
3–करूवा बाबा क्रासिंग से रानी पोखरा तालाब तक नाला निर्माण कार्य	6, 74,400.00
4–बस्ती क्लब से अमहट तक नाला निर्माण का कार्य	13,52,700.00
5–दक्षिण दरवाजा रोड पर गायत्री मन्दिर से पुलिस चौकी तक नाला निर्माण।	9, 33,800.00
6–स्टेशन रोड पर जे० ए० इण्डियन कानवेन्ट स्कूल के पास से होटल सुयश तक नाला निर्माण ।	12,37,300.00
7–पाण्डेय बाजार क्रासिंग से मेहदावल रोड पुलिस चौकी (पालिका सीमा के अन्तर्गत) नाला निर्माण ।	5, 65,900.00
8–आवास विकास क्रासिंग से कम्पनी बाग तक नाला	5, 43,400.00
9–डुमरियागंज पुलिस चौकी पाण्डेय बाजार क्रासिंग तक नाला	3, 37,500.00
10–राजा बाजार रोड पर सुभाष के मकान से सेंट्रल बैंक होते हुए मालगोदाम रोड होते हुए मेहदावल रोड पर नाला ।	7, 18,300.00
11–विशुनपुरवा रोड से मलंग बाबा मजार के पास तक नाला	1, 88,200.00
12–बैरिहवा मोहल्ले में रामदेव हरिजन के मकान से विष्णुदेव के मकान के पास तक नाली निर्माण ।	3, 18,400.00
13–द्विजेष मार्ग से हरदिया मार्ग पुलिया तक नाला निर्माण	2, 91,500.00
	81,42,000.00
(ब)–14–संगठित विकास योजना के अन्तर्गत मालवीय रोड पर नाला निर्माण।	33,00,000.00
कुल योग :–	1,14,42,000.00

लालजी टण्डन

मंत्री

नगर विकास विभाग ।

नत्थी "ग"

(देखिये अता०प्र०सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 10-01-99 तक हाई पावर कमेटी के सदस्यों पर विद्युत परिषद् ने माहवार कितना-कितना मदवार व्यय किया है ?

हाई पावर कमेटी पर लखनऊ मुख्यालय पर दिनांक 10-1-99 तक किये गये व्ययों का माहवार एवं मदवार विवरण निम्नवत् है :–

माहवार	वेतन एवं यात्रा भत्ता	वाहन एवं टेलीफोन	कार्यालय सामग्री/ विविधि व्यय	परामर्श शुल्क	कुल व्यय रुपये
1	2	3	4	5	6
फरवरी, 98	3236.60	3103.32	—	—	6,339.92
मार्च, 98	2666.40	14,086.97	2732.94	—	19,486.31
अप्रैल, 98	6411.20	3658.78	1989.65	—	12,059.63
मई, 98	1240.10	8580.58	3514.00	—	13,342.68
जून, 98	4883.20	13,846.00	72,070.93	—	90,800.13
जुलाई, 98	1.07,557.73	12,977.78	2,905.75	8,70,000	9,93,441.26
अगस्त, 98	39,473.00	4557.13	1886.75	—	49,916.88
सितम्बर, 98	14,648.40	19,611.57	1981.50	—	36,241.47
अक्टूबर, 98	21,803.10	5267.00	1967.74	—	29,037.84
नवम्बर, 98	4907.47	10,897.37	2849.25	—	26,654.09
दिसम्बर, 98	10,516.00	6861.53	1924.75	96,000	1,15,302.28
जनवरी, 99	57,010.00	1186.78	—	—	58,196.78
कुल योग	2,74,362.00	1,12,634.81	93,823.26	9,66,000.00	14,46,820.07

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (घ)

(देखिये अता०प्र०सं०–119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित सर्वश्री हरदेव सिंह एवं नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–119 का संलग्नक

अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं का विवरण (संख्या)

	1994–95	1995–96	1996 से अब तक
मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद	88	105	218
अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण मण्डल, इलाहाबाद	173	215	371
अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण मण्डल, आजमगढ़	47	103	100
अधीक्षण अभियन्ता, वितरण मण्डल, जौनपुर	156	192	536

यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त भुगतान (रुपयों में)

	1994–95	1995–96	1996 से अब तक
मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद	11,990.70	11,548.10	44,042.95
अधीक्षण अभियन्ता, प्रेषण मण्डल, इलाहाबाद	3,014.00	5,909.00	17,437.90
अधीक्षण अभियन्ता, प्रेषण मण्डल, आजमगढ़	13,957.75	12,145.45	14,437.83
अधीक्षण अभियन्ता, वितरण मण्डल, जौनपुर	सूचना संकलित नहीं हो पायी है।		

परिषदीय वाहनों के अनुरक्षण/तेल आदि पर व्यय (रुपयों में)

	1994–95	1995–96	1996 से अब तक
मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), इलाहाबाद	1,02,310.47	87,470.00	2,27,524.69
अधीक्षण अभियन्ता, प्रेषण मण्डल, इलाहाबाद	84,832.16	79,782.83	2,56,661.21
अधीक्षण अभियन्ता, प्रेषण मण्डल, आजमगढ़	48,357.33	49,567.50	2,04,749.78
अधीक्षण अभियन्ता, वितरण मण्डल, जौनपुर	54,110.49	65,977.11	1,69,405.51

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री।

अवध सभा विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं०–207 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

लेसा क्षेत्र — संलग्नक–1

खण्डवार राजस्व वसूली का विवरण — माह सितम्बर 98

रोकड़ बुक के अनुसार

1–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–हुसैनगंज	239.22
2–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–रेजीडेन्सी	200.00
3–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–चौक	56.57
4–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–अलीगंज	220.99
5–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–इन्द्रानगर	146.20
6–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–गोमतीनगर	191.95
7–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–ऐशबाग	152.40
8–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–आलमबाग	215.00
9–विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–कानपुर रोड	64.00
10–विद्युत वितरण खण्ड–सेस	144.27
11–विद्युत वितरण खण्ड–खुर्रमनगर	202.48
योग :	1833.08

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–2

लखनऊ क्षेत्र में माह 9/98 में की गई वसूली का खण्डवार विवरण

क्रम सं०	खण्ड/मण्डल का नाम	सितम्बर, 98 में की गई वसूली (लाख में)
1	रायबरेली–प्रथम	175.07
2	रायबरेली–द्वितीय	63.83
3	उन्नाव	337.49
4	सीतापुर–प्रथम	79.46
5	सीतापुर–द्वितीय	44.64
6	लखीमपुर खीरी–प्रथम	63.82
7	लखीमपुर खीरी–द्वितीय	63.66
8	हरदोई	112.66
9	फैजाबाद–प्रथम	59.52
10	फैजाबाद–द्वितीय	66.34
11	अम्बेडकर नगर	115.97
12	सुल्तानपुर	56.23
13	जगदीशपुर	214.49
14	बाराबंकी	168.17
15	गोण्डा	83.91
16	बलरामपुर	133.68
17	बहराइच	121.09
	क्षेत्र का योग :–	1960.03

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं०–209 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

पुनर्निर्धारित 4 थे शुक्रवार का अतारांकित प्रश्न–209 का संलग्नक

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लेसू, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 362–मु०अ०/लेसू/वाणिज्य–1/अनाद्रत चेक, दिनांक 28-1-98 द्वारा गठित समिति की कार्य-प्रगति ।

(1) लेसू मुख्यालय की कार्य अवधि में अनाद्रत चेक से सम्बन्धित अभिलेख जो विकेन्द्रीकरण के पश्चात् उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जांचोपरान्त सभी अभिलेख अनाद्रत चेकों सहित सभी विवरण प्राप्त हो गये हैं ।

(2) सम्बन्धित कार्यालय सहायक द्वारा विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, तृतीय के अधीन तैनात लेखाधिकारी की देख-रेख में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के बुक–संख्या, कनेक्शन, जमा की गयी धनराशि एवं बैंक का नाम दर्शाते हुये सूची तैयार कर ली गयी है ।

(3) उपरोक्त सूची विकेन्द्रीकरण के पश्चात् नवसृजित खण्डवार तैयार करायी गयी है एवं सम्बन्धित खण्डों को चेक के अनाद्रत होने की दशा में उपभोक्ताओं के खाते में पुनः प्रभारित किये जाने की पुष्टि हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता०प्र०सं०–212 का उत्तर पीछे पृष्ठ 95 पर)

लेसा वितरण क्षेत्र का माहवार राजस्व वसूली विवरण

जनवरी, 98 से नवम्बर, 98 तक

संलग्नक–1

(रु० लाख में)

खण्ड का नाम	1/98	2/98	3/98	4/98	5/98	6/98	7/98	8/98	9/98	10/98	11/98
वि० न० वि० खं० हुसैनगंज	194.86	277.67	393.60	56.19	163.02	236.70	251.92	236.11	228.06	476.73	372.05
वि० न० वि० खं० रेजीडेंसी	201.40	202.30	399.03	47.50	148.70	188.85	143.20	204.06	203.16	254.18	327.30
वि० न० वि० खं० चौक	100.86	279.76	278.67	23.64	59.36	55.25	55.91	54.78	56.57	84.89	128.77
वि० न० वि० खं० अलीगंज	178.31	202.70	307.36	79.81	151.93	188.14	173.04	202.39	220.99	234.10	334.53
वि० न० वि० खं० इन्द्रानगर	127.32	130.57	233.21	28.63	95.78	128.82	108.39	131.17	146.21	175.26	222.17
वि० न० वि० खं० गोमतीनगर	134.62	108.18	200.07	91.90	144.62	184.89	164.35	195.11	191.95	212.93	273.01
विद्युत वितरण खण्ड	149.95	154.21	251.26	47.47	129.07	120.44	124.20	183.64	197.16	210.51	226.68
वि० न० वि० खं० ऐशबाग	189.02	171.87	325.66	48.11	134.25	126.16	133.25	148.60	152.92	188.54	209.74

अवध प्रदेश विधान सभा

खण्ड का नाम	1/98	2/98	3/98	4/98	5/98	6/98	7/98	8/98	9/98	10/98	11/98
वि० न० वि० खं० आलमबाग	218.49	229.11	297.00	120.22	174.75	196.00	174.51	207.71	213.60	248.31	251.31
वि० न० वि० खं० कानपुर रोड	53.93	59.78	99.49	23.94	49.96	67.15	65.80	62.28	61.59	108.81	116.31
वि० वि० खं० सेस	180.38	186.77	173.86	148.75	142.09	146.79	140.16	153.23	133.31	167.83	162.64
लेसा का महायोग	1729.14	2002.92	2959.21	715.66	1394.03	1639.19	1520.73	1779.08	1805.52	2362.09	2624.51

टिप्पणी :—वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अधिक प्रयासों एवं सरकारी विभागों से भुगतान के कारण राजस्व वसूली सुचारु रूप से होती है । वित्तीय वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण अप्रैल, मई, जून में राजस्व वसूली कम होती है ।

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

अवध विधान सभा

लेसा वितरण क्षेत्र का माहवार प्रगामी ऊर्जा प्राप्ति (नि० यु०) एवं प्रतिशत लाइन हानि

क्र० संख्या	खण्ड का नाम	01/98	02/98	03/98	04/98	05/98	06/98	07/98	08/98	09/98	10/98	11/98
1	वि० न० वि० खं०	163.153	173.234	187.496	16.763	35.849	54.436	73.597	93.627	113.865	132.30	145.376
	हुसैनगंज	30.13	28.32	28.26	38.81	35.02	34.68	31.53	30.07	29.40	28.73	24.94
2	वि० न० वि० खं०	144.040	154.805	168.103	16.403	37.040	59.930	79.590	100.028	114.048	128.756	140.988
	रेजीडेंसी	37.80	36.50	36.55	55.87	52.09	55.01	54.60	52.65	49.87	46.93	43.00
3	वि० न० वि० खं०	116.668	125.345	139.843	13.242	27.322	41.818	56.567	70.995	84.944	98.999	111.719
	चौक	46.18	44.30	45.52	63.23	56.27	52.75	52.97	54.09	54.19	54.10	53.26
4	वि० न० वि० खं०	177.447	191.799	207.881	19.175	41.583	65.034	89.911	113.902	137.293	160.413	177.561
	अलीगंज	40.90	39.74	39.34	49.57	52.69	53.83	53.87	51.62	49.08	47.59	44.60
5	वि० न० वि० खं०	96.172	103.813	114.086	11.180	25.488	40.604	54.278	68.010	81.398	94.631	103.862
	इन्द्रानगर	30.79	29.10	29.75	34.36	43.51	46.62	46.56	45.52	44.68	43.20	40.49
6	वि० न० वि० खं०	107.863	114.767	123.568	10.442	22.482	34.520	45.173	56.328	67.204	77.954	85.755
	गोमतीनगर	33.26	32.59	31.01	53.16	38.59	43.53	36.27	30.77	29.50	29.64	24.63
7	विद्युत वितरण	111.096	120.867	131.965	13.374	26.524	39.943	55.564	71.377	86.721	101.888	116.430
	खण्ड खुर्रमनगर	27.79	26.20	23.67	30.14	30.82	29.08	32.58	30.87	28.54	27.32	25.51
8	वि० न० वि० खं०	111.493	120.121	130.416	14.059	29.885	44.627	54.298	68.507	83.183	97.241	108.551
	ऐशबाग	21.53	20.48	20.33	50.86	46.42	46.09	39.06	39.79	39.26	39.58	37.66
9	वि० न० वि० खं०	117.909	128.305	140.007	11.619	25.699	37.889	55.940	69.915	86.450	102.289	115.020
	आलमबाग	23.43	22.70	20.06	25.73	30.77	28.40	33.08	30.89	32.18	33.81	32.63

क्र० संख्या	खण्ड का नाम	01/98	02/98	03/98	04/98	05/98	06/98	07/98	08/98	09/98	10/98	11/98
10	वि० न० वि० खं०	51.076	55.717	60.649	5.793	13.441	20.567	27.249	34.112	42.705	50.936	57.559
	कानपुर रोड	39.30	34.18	33.69	32.93	44.63	45.73	44.91	43.70	44.14	45.02	44.79
11	वि० वि० खं० सेस	163.529	179.266	196.894	16.623	32.609	47.714	61.271	75.809	90.013	104.054	120.475
		31.50	30.99	31.14	29.18	28.00	24.83	21.53	20.63	20.61	20.06	21.30
	कुल :	1360.446	1468.039	1600.908	149.673	317.922	487.082	653.514	822.610	987.824	1149.461	1283.305
		33.05	31.67	31.21	42.67	42.14	42.51	41.31	39.85	38.73	38.02	35.71

टिप्पणी :—विभिन्न विलिंग साठकिल में उपभोक्ताओं की संख्या अलग-अलग होने के कारण लाइन हानियां घटती/बढ़ती दिखाई पड़ती हैं । अतः लाइन हानियां प्रगामी रूप में प्रदर्शित हैं ।

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—एल० 189 विधान सभा (472)—1999—813 (डी०टी०पी०) ।